मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी

# अनवारे शरीअ़त
## उर्फ़
# अच्छी नमाज़



लेखक
मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी
दारुल ऊलूम अमजदिया हैदरपुर
ओझा गंज, जि0 बस्ती

हिन्दी कर्ता
मौलाना अ़लाउद्दीन साबिर बस्तवी
हैदर पुर ओझा गंज बस्ती

# इनतिसाब

अपने वालिदैन करीमैन के नाम। जिनके तक़्वा परहेज़गारी और दुआए सुब्हगाही की बरकत से मैं तदरीस, तसनीफ और इफ़्ता की ख़िदमत के लाइक हुआ। ख़ुदाए तआला उनकी क़ब्रों पर रहमत के फूल बरसाये।

जलालुद्दीन अहमद अमजदी

# अ़रबी हुरूफ़ हिन्दी में

| | | | |
|---|---|---|---|
| स़ ث | त ت | ब ب | अ ا |
| द د | ख़ خ | ह़ ح | ज ج |
| स س | ज़ ز | र ر | ज़ ذ |
| त़ ط | ज़ ض | स़ ص | श ش |
| फ़ ف | ग़ غ | अ़ ع | ज़ ظ |
| म م | ल ل | क ك | क़ ق |
| य ي | ह ه | व و | न ن |
| | त़ ة | | |

# फिहरिस्ते-माज़ामीन

JANNATI KAUN?

# पहली नज़र

अनवारे शरीअ़त उर्फ़ अच्छी नमाज़ जिसमें ज़रूरी अक़ीदे और रोज़ाना पेश आने वाले नमाज़ वगैरह के शरअ़ी मसाइल का बयान है। और जिसे हमने बीस साल फ़तावा लिखने के तजरबा के बाद मुरत्तब किया है। इसका उर्दू एडीशन कई बार छप कर बे इन्तिहा मक़बूल हुआ। कुछ लोगों ने इस किताब को हिन्दी में छापने की ख्वाहिश ज़ाहिर की ताकि हिन्दी जानने वाले लोग भी इस किताब से फ़ायदा उठा सकें। मगर बहुत दिनों तक इस काम के लिए कोई मुनासिब आदमी न मिल सका आख़िर मौलाना अलाउद्दीन साहिब मुदर्रिस मदरसा अमाजदिया अरशदुल अलूम ओझागंज ज़िला बस्ती ने इस किताब को हिन्दी में कर दिया जिसे हम छापते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और दुआ करते हैं कि खोदाए तआला मुसलमानों को इस हिन्दी एडीशन से भी, ज़्यादह से ज़्यादह फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये और आख़िरत में हमारे लिए इस किताब को बख़शिश का सामान बनाये। आमीन

## जलालुद्दीन अहमद अमजदी

15 रबिअुल आख़र 1400 हिजरी 3 मार्च 1980 ईसवी

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है।

# अल्लाह तआ़ला

सवाल:- अल्लाह तआ़ला के बारे में कैसा अक़ीदा रखना चाहिए?

जवाब:- अल्लाह तआ़ला एक है उसका कोई शरीक नहीं। आसमान व ज़मीन और सारी मख़लूक़ात का पैदा करने वाला वही है। वही इबादत के लाइक़ है दूसरा कोई इबादत के लाइक़ नहीं है। वही सबको रोज़ी देता है। अमीरी ग़रीबी और इ़ज़्ज़त व ज़िल्लत सब उसके इख़तियार में है। जिसे चाहता है इ़ज़्ज़त देता है। और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। उसका हर काम हिक्मत है। बंदो की समझ में आये या न आये वह हर कमाल व खूबी वाला है। झूट, दग़ा, ख़ियानत, जुल्म जिह्ल वग़ैरह हर ऐब से पाक है। उसके लिए किसी ऐब का मानना कुफ़्र है।

सवाल:- क्या अल्लाह तआ़ला को बुढ़ऊ कहना जाइज़ है?

जवाब:- अल्लाह तआ़ला की शान में ऐसा लफ़्ज़ बोलना कुफ़्र है।

सवाल:- बाज़ लोग कहते हैं कि "ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा होगा" और कहते हैं "ऊपर अल्लाह है नीचे तुम हो" या इस तरह कहते हैं कि "ऊपर अल्लाह नीचे पंच हैं"

जवाब:- यह सब जुमले गुमराही के हैं, मुसलमानों को इन से बचना निहायत ज़ुरूरी है।

## फ़रिश्ते

सवाल:- फ़रिश्ते क्या चीज़ हैं ?

जवाब:- फ़रिश्ते इन्सान की तरह एक मख़्लूक़ हैं लेकिन वह नूर से पैदा किए गए हैं। न वह मर्द हैं। न औरत हैं न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं। जितने काम खुदायेतआला ने उनके सिपुर्द किया है उसी में लगे रहते हैं। कुछ फ़रिश्ते बंदों का अच्छा बुरा अ़मल लिखने पर मुक़र्रर हैं जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। कुछ फ़रिश्ते क़ब्र में मुर्दों से सुवाल करने पर मुक़र्रर हैं, जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। और कुछ फ़रिश्ते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में मुसलमानों के दुरुद व सलाम पहुंचाने पर मुक़र्रर हैं, उनके अ़लावा और भी बहुत से काम हैं जो फ़रिश्ते अनजाम देते रहते हैं। उनमें चार फ़रिश्ते बहुत मशहूर हैं, अव्वल हज़रते जिबरील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तआला के अ़हकाम पैग़म्बरों तक पहुंचाते थे दूसरे हज़रते इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जो क़ियामत के दिन सूर फूंकेंगे तीसरे हज़रते मीकाईल अलैहिस्सालाम जो पानी बरसाने और रोज़ी पहुंचाने पर मुक़र्रर हैं, और चौथे हज़रते इज़राईल अलैहिस्सलाम जो लोगों की जान निकालने पर मुक़र्रर हैं। जो शख़्स यह कहे फ़रिश्ता कोई चीज़ नहीं या यह कहे कि फ़रिश्ता

नेकी की क़ूवत का नाम है तो वह काफ़िर है।

# खुदाये तआला की किताबें

सवाल:- खुदाये तआला की किताबें कितनी हैं ?

जवाब:- खुदाये तआला की छोटी बड़ी बहुत सी किताबें नाज़िल हुई बड़ी किताब को किताब और छोटी को सहीफ़ह कहते हैं, उनमें चार किताबें बहुत मशहूर हैं अव्वल तौरेत जो हज़रते मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई दूसरे ज़बूर जो हज़रते दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और तीसरे इन्जील जो हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई चौथे कुरान मजीद जो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ।



सवाल:- पूरा कुरान मजीद एक दफ़ा नाज़िल हुआ या थोड़ा-थोड़ा ?

जवाब:- पूरा कुरान मजीद एक दफ़ा इकट्ठा नहीं नाज़िल हुआ बल्कि ज़रूरत के मुताबिक़ 23 तेईस बरस में थोड़ा-थोड़ा नाज़िल हुआ।

सवाल:- क्या कुरान मजीद की हर सूरत और हद आयत पर ईमान लाना ज़ुरूरी है ?

जवाब:- हां कुरान मजीद की हर सूरत पर ईमान लाना ज़ुरूरी है अगर एक आयत का भी इन्कार कर दे या यह कहे कि कुरान जैसा नाज़िल हुआ था अब वैसा नहीं है, बल्कि घटा बढ़ा दिया

गया है तो वह काफ़िर है।

## रसूल और नबी

सवाल:- रसूल और नबी कौन होते हैं ?

जवाब:- रसूल और नबी खुदयेतआला के बन्दे और इन्सान होते हैं। अल्लाह तआला ने उनको इन्सान की हिदायत के लिए दुनियां में भेजा है। वह बंदों तक खुदायेतआला का पैग़ाम पहुंचाते हैं। मुअजिज़े दिखाते हैं और ग़ैब की बातें बताते हैं झूट कभी नहीं बोलते वह हर गुनाह से पाक साफ़ होते हैं। उनकी तादाद कुछ कम व बेश एक लाख चौबीस हज़ार या तक़रीबन दो लाख चौबीस हजार है, सब से पहले नबी हज़रते आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिरी नबी हमारे पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद मुसतफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं।

सवाल:- क्या हम हिन्दुओं के पेशवावों को नबी कह सकते हैं!

जवाब:- किसी शख़्स को नबी कहने के लिए कुरान व हदीस से सुबूत चाहिए और हिन्दुओं के पेशवावों के नबी होने पर कुरान व हदीस से कोई सुबूत नहीं मिलता इस लिए हम उन्हें नबी नहीं कह सकते।

## हमारे नबी

सवाल:- हमारे नबी कौन हैं ? उनका कुछ हाल बयान कीजिए?

जवाबः- हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुसतफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहिवसल्लम हैं, जो 12 रबीउल अव्वल मुताबिक़ 20 अप्रैल सन् 571 ई0 में मक्का शरीफ़ में पैदा हुए उनके वालिद का नाम हज़रते अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम हज़रते आमिना है (रज़ियल्लाहु तआला अनहुमा) आप की ज़ाहिरी ज़िन्दगी तिरसठ (63) बरस की हुई तिरपन (53) बरस की उम्र तक मक्का शरीफ़ में रहे फिर दस साल मदीना तैयिबा में रहे 12 रबीउल अव्वल सन् 11 हिजरी मुताबिक़ 12 जून सन् 632 ई0 में वफ़ात पाई, आपका मज़ारे मुबारक मदीना शरीफ़ में है। जो मक्का शरीफ़ से तक़रीबन 320 किलो मीटर उत्तर है।

सवालः- हमारे नबी की कुछ ख़ूबियां बयान कीजिए ?

जवाबः- हमारे नबी सैयिदुल अंबिया और नबीयुल अंबिया हैं यानी अंबियाएकिराम के सरदार हैं और तमाम अंबिया हुज़ूर के उम्मती हैं। आप ख़ातमुन्नबीईन हैं यानी आप के बाद कोई नबी नहीं पैदा होगा जो शख़्स आप के बाद नबी होने को जाइज़ समझे वह काफ़िर है सारी मख़लूक़ात खुदायेतआ़ला की रज़ा चाहिती है और खुदायेतआ़ला हुज़ूर की रज़ा चाहता है। हुज़ूर की फ़रमांबरदारी अ़ल्लाहतआला की फ़रमाबरदारी है ज़मीन व आसमान की सारी चीज़ें आप पर जाहिर थीं दुनियां के हर गोशे और हर कोने में क़ियामत तक जो कुछ होने वाला है हुज़ूर उसे इस तरह मुलाहिजा फ़रमाते हैं जैसे कोई अपनी हथेली देखे, ऊपर नीचे आगे और पीठ के पीछे यकसां देखते थे। आप के

लिए कोई चीज़ आड़ नहीं बन सकती हुज़ूर जानते हैं कि ज़मीन के अन्दर कहां क्या हो रहा है।

खुशू जो दिल की एक कैफ़ियत का नाम है हुज़ूर उसे भी मुलाहज़ा फ़रमाते हैं, हमारे चलने फिरने उठने बैठने और खाने पीने वग़ैरा हर क़ौल व फ़ेल की हुज़ूर को हर वक़्त ख़बर है।

सवाल:- क्या हमारे नबी ज़िन्दा हैं ?

जवाब:- हमारे नबी और तमाम अंबियाये किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ज़िन्दा हैं। हदीस शरीफ़ में है कि सरकारे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहिवसल्लम ने फ़रमाया कि खुदायेतआला ने ज़मीन पर अंबियाये किराम अलैहिमुस्सलाम के जिस्मों को खाना हराम फ़रमा दिया है। तो अल्लाह के नबी ज़िन्दा हैं रोज़ी दिये जाते हैं, (मिश्कात 121 पृ0)

सवाल:- जो शख़्स अंबियाए किराम के बारे में कहे कि मर कर मिट्टी में मिल गए तो उसके लिए क्या हुक्म है ?

जवाब:- ऐसा कहने वाला गुमराह बदमज़हब ख़बीस है।

# क़ियामत का बयान

सवाल:- क़ियामत किसे कहते हैं ?

जवाब:- क़ियामत उस दिन को कहते हैं जिस दिन हज़रते इसराफ़ील अ़लैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे सूर सींग के शक्ल की एक चीज़ है जिसकी आवाज़ सुनकर सब आदमी और तमाम जानवर मर जाएंगे ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज और पहाड़ वग़ैरह दुनिया की हर चीज़ टूट फूट कर फ़ना हो जाएगी यहां तक कि

सूर भी खत्म हो जाएगा और इसराफ़ील अलैहिस्सलाम भी फ़ना हो जाएंगे यह वाक़िअह मुहर्रम की दसवीं तारीख़ जुमा के दिन होगा।

सवाल:- क़ियामत की कुछ निशानियां बयान कीजिए ?

जवाब:- जब दुनियां में गुनाह ज़्यादा होने लगे 'हराम' कामों को लोग खुल्लमखुल्ला करने लगें मां बाप को तकलीफ़ दें और ग़ैरों से मेल जोल रक्खें अमानत में ख़ियानत करें "ज़कात देना लोगों पर गिरां गुज़रे" दुनियां हासिल करने के लिए इल्मेदीन पढ़ा जाए "नाच गाने का रवाज ज़्यादा हो जाए" बदकार लोग क़ौम के पेशवा और लीडर हो जाएं चरवाहे वग़ैरह कम दर्जा के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और कोठियों में रहने लगें तो समझ लो कि क़ियामत क़रीब आ गई है।

सवाल:- जो शख़्स क़ियामत का इन्कार करे उसके लिए क्या हुक्म है ?

जवाब:- क़ियामत क़ाइम होना हक़ है उसका इन्कार करने वाला काफ़िर है।

## तक़दीर का बयान

सवाल:- तक़दीर किसे कहते हैं ?

जवाब:- दुनियां में जो कुछ होता है और बन्दे जो कुछ भलाई बुराई करते हैं खुदायेतआ़ला ने उसे अपने इल्म के मुआफ़िक़

पहले से लिख लिया है उसे तक़दीर कहते हैं।

सवाल:- क्या अल्लाहतआ़ला ने जैसा हमारी तक़दीर में लिख दिया है हमें मजबूरन वैसा करना पड़ता है ?

जवाब:- नहीं अल्लाहतआ़ला के लिख देने से हमें मजबूरन वैसा करना नहीं पड़ता है बल्कि हम जैसा करने वाले थे अल्लाह तआला ने अपने इल्म से वैसा लिख दिया अगर किसी की तक़दीर में बुराई लिखी तो इस लिए कि वह बुराई करने वाला था अगर वह भलाई करने वाला होता तो खुदाये तआ़ला उसकी तक़दीर में भलाई लिखता खुलासह यह कि खुदायेतआ़ला के लिख देने से बन्दा किसी काम के करने पर मजबूर नहीं किया गया। तक़दीर हक़ है उसका इन्कार करने वाला गुमराह बदमज़हब है।



## मरने के बाद ज़िन्दा होना

सवाल:- मरने के बाद ज़िन्दा होने का मतलब क्या है ?

जवाब:- मरने के बाद ज़िन्दा होने का मतलब यह है कि क़ियामत के दिन जब ज़मीन, आसमान, इन्सान और फ़रिश्ते वग़ैरा सब फ़ना हो जाएंगे तो फिर खुदायेतआ़ला जब चाहेगा हज़रते इसराफ़ील अ़लैहिस्सलाम को ज़िन्दा फ़रमाएगा वह दोबारा सूर फूंकेंगे तो सब चीज़ें तो सब चीज़ें मौजूद हो जाएंगी। फ़रिश्ते और आदमी वग़ैरा सब ज़िन्दा हो जाएंगे मुरदे अपनी अपनी क़बरों से उठेंगे, हश्र के मैदान में खुदायेतआला के सामने

पेशी होगी, हिसाब लिया जाएगा और हर शख़्स को अच्छे बुरे कामों का बदला दिया जाएगा यानी अच्छों को जन्नत मिलेगी और बुरों को जहन्नम में भेज दिया जाएगा हिसाब और जन्नत व दोज़ख़ हक़ हैं उनका इन्कार करने वाला काफ़िर है।

# शिर्क व कुफ़्र का बयान

सवाल:- शिर्क किसे कहते हैं ?

जवाब:- खुदायेतआला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क है। ज़ात में शरीक ठहराने का मतलब यह है कि दो या दो से ज़ियादा खुदा माने जैसे ईसाई कि तीन खुदा मान कर मुश्रिक हुए और जैसे हिन्दू कि कई खुदा मानने के सबब मुश्रिक हैं। और सिफ़ात में शरीक ठहराने का मतलब यह है कि खुदायेतआला की सिफ़ात की तरह किसी दूसरे के लिए कोई सिफ़त साबित करे मसलन सुनना और देखना वग़ैरा जैसा कि खुदायेतआला के लिए बग़ैर किसी के दिए ज़ाती तौर पर साबित है उसी तरह किसी दूसरे के लिए सुनना और देखना वग़ैरा ज़ाती तौर पर माने कि बग़ैर खुदा के दिए उसे यह सिफ़तें खुद हासिल हैं तो शिर्क है और अगर किसी दूसरे के लिए अताई तौर पर माने कि खुदायेतआला ने उसे यह सिफ़तें अता की हैं तो शिर्क नहीं जैसा कि अल्लाहतआला ने खुद इन्साफ़ के बारे में पारा 29 रुकू 19 में फ़रमाया जिसका तर्जमा यह है कि हमने

इन्सान को सुनने वाला, देखने वाला बनाया।

सवाल:- कुफ्र किसे कहते हैं ?

जवाब:- ज़रूरियाते दीन में से किसी एक बात का इन्कार करना कुफ्र है ज़ुरूरियाते दीन में से किसी एक बात का इन्कार करना कुफ्र है ज़ुरूरियाते दीन बहुत हैं उनमें से कुछ यह है खुदायेतआ़ला को एक और वाजिबुलवजूद मानना, उसकी ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक न समझना, जुल्म और झूट वग़ैरा तमाम उयूब से उसको पाक मानना, उसके मलाइका और उसकी तमाम किताबों को मानना, कुरान मजीद की हर आयत को हक़ समझना, हुज़ूर सैय्यिदे आलम सल्लल्लाहु अलैहिवसल्लम और तमाम अंबियायेकिराम की नुबूवत को तस्लीम करना उन सबको अज़मत वाला जानना, उन्हें ज़लील और छोटा न समझना उनकी हर बात जो क़तई और यक़ीनी तौर पर साबित हो उसे हक़ जानना हुज़ूर अलैहिस्सलाम को खातमुन्नबीयीन मानना उनके बाद किसी नबी के पैदा होने को जाइज़ न समझना, क़ियामत हिसाब व किताब और जन्नत व दोज़ख़ को हक़ मानना, नमाज़ व रोज़ा और हज व ज़कात की फ़रज़ीयत को तस्लीम करना, जिना, चोरी और शराब नोशी वग़ैरा हराम क़तई की हुरमत का इतिक़ाद करना और काफ़िर को काफ़िर जानना वग़ैरा।

सवाल:- किसी से शिर्क या कुफ्र हो जाए तो क्या करे ?

जवाब:- तौबा और तजदीदे ईमान करे बीवी वाला हो तो तजदीदे निकाह करे और मुरीद हो तो तजदीदे बैअ़त भी करे।

सवाल:- शिर्क और कुफ्र के अलावा कोई दूसरा गुनाह हो जाए तो मुआफ़ी की क्या सूरत है ?

जवाब:- तौबा करे खुदायेतआ़ला की बारगाह में रोये गिड़गिड़ाये अपनी ग़लती पर नादिम व पशीमा हो और दिल में पक्का अ़हद करे कि अब कभी ऐसी ग़लती न करूंगा सिर्फ़ जुबान से तौबा तौबा कह लेना तौबा नहीं है।

सवाल:- क्या हर क़िस्म का गुनाह तौबा से मुआफ़ हो सकता है !

जवाब:- जो गुनाह किसी बन्दा की हक़तलफ़ी से हो मसलन किसी का माल ग़सब कर लिया, किसी पर तुहमत लगाई या ज़ुल्म किया तो इन गुनाहों की मुआफ़ी के लिए ज़रूरी है कि पहले उस बन्दे का हक़ वापस किया जाए या उससे मुआफ़ी मांगी जाए फिर खुदायेतआ़ला से तौबा करे तो मुआफ़ हो सकता है। और जिस गुनाह का तअ़ल्लुक़ किसी बन्दा की हक़तलफ़ी से नहीं है बल्कि सिर्फ़ खुदायेतआ़ला से है उसकी दो क़िस्में हैं एक वह जो सिर्फ़ तौबा से मुआफ़ हो सकता है जैसे शराब नोशी का गुनाह और दूसरे वह जो सिर्फ़ तौबा से मुआफ़ नहीं हो सकता है जैसे नमाज़ों के न पढ़ने का गुनाह इसके लिए ज़रूरी है कि वक़्त पर नमाज़ों के अदा न करने का जो गुनाह हुआ उससे

तौबा करे और नमाजों की कज़ा पढ़े अगर आखिरे उम्र में कुछ कज़ा रह जाए तो उनके फ़िदयह की वसीयत कर जाए।

# बिदअ़त का बयान

सवाल:- बिदअ़त किसे कहते हैं। और उसकी कितनी क़िस्में हैं।

जवाब:- इसतिलाहे शरा (इस्लामी बूली) में बिदअ़त ऐसी चीज़ के ईजाद करने को कहते हैं जो हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माना में न हो ख़्वाह वह चीज़ दीनी हो या दुनियावी (अशिअ़तुल्लमआत जिल्द अव्वल सफ़ा 125) और बिदअत की तीन क़िस्में हैं। बिदअते हसना, बिदअ़ते सय्येआ, बिदअ़ते मुबाहा बिदअते हसना वह बिदअत है जो कुरान व हदीस के वसूल व क़वाइद के मुताबिक़ हो और उन्हीं पर क़ियास किया गया हो उस की दो क़िस्में हैं। अव्वल बिदअतेवाजिबा जैसे कुरान व हदीस समझने के लिए इल्मे नहूव् का सीखना और गुमराह फ़िरक़े मसलन खारजी, राफ़ज़ी, क़ादियानी और वहाबी वग़ैरा पर रद के लिए दलाइल क़ायम करना।

दोम बिदअ़ते मुसतहब्बा जैसे मदरसों की तामीर और हर वह नेक काम जिसका रवाज इबतिदाए ज़माना में नहीं था जैसे अज़ान के बाद सलात पुकारना, दुर्रे मुख़तार बाबुल अज़ान में हैं कि अज़ान के बाद अस्सलातु वस्सल्लमु अलैक या रसूलल्लाह पुकारना, माहे रबीउल आख़र सन् 781 हिजरी में जारी हुआ

और यह बिदअ़ते हसना है।

सवाल:- बिदअ़ते सय्एआ किसे कहते हैं। और उसकी कितनी क़िस्में हैं !

जवाब:- बिदअ़ते सय्येआ वह बिदअ़त है जो कुरान व हदीस के उसूल व क़वाइद के मुख़ालिफ़ हो (अशिअतुल्लम आतजिल्द अव्वल सफ़ा 125) उसकी दो क़िस्में हैं।

अव्वल बिदअ़ते मुहर्रमा जैसे हिन्दुस्तान की मुरव्वजा ताज़ियादारी (फ़तावा अज़ीज़िया रिसाला ताज़ियादारी आला हज़रत) और जैसे अहलेसुन्नत व जमाअ़त के ख़िलाफ़ नए अक़ीदा वालों के मज़ाहिब (अशिअतुल्लमआत जिल्द अव्वल सफ़ा 125) दोम बिदअ़ते मकरुहा जैसे जुमा व ईदैन का ख़ुतबा ग़ैरे अरबी में पढ़ना।



सवाल:- बिदअ़ते मुबाहा किसे कहते हैं।

जवाब:- जो चीज़ हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माना में न हो और जिसके करने न करने पर सवाब व अज़ाब न हो उसे बिदअ़ते मुबाहा कहते हैं (अशिअ तुल्लमआत जिल्द अव्वल सफ़ा 125) जैसे खाने पीने में कुशादगी इख़्तियार करना और रेल गाड़ी वग़ैरा में सफ़र करना।

सवाल:- ह़दीस शरीफ़ में है कि हर बिदअ़त गुमराही है तो इससे कौन सी बिदअ़त मुराद है।

जवाब:- इस ह़दीस शरीफ़ से सिर्फ़ बिदअ़ते सय्येआ मुराद है

{देखिए मिरकात शरह मिशक़ात जिल्द अव्वल सफ़ा 179 और अशिअतुल्लमआत जिल्द अव्वल सफ़ा 125}इसलिए कि अगर बिदअ़त की तमाम क़िस्में मुराद ली जाएं जैसे कि जाहिरे हदीस से मफ़हूम होता है तो फ़िक़ह, इल्मे कलाम और सर्फ़ व नह्व व वग़ैरा की तदवीन और उनका पढ़ना पढ़ाना सब ज़लालत व गुमराही हो जाएगा।

सवाल:- क्या बिदअत का हसना और सय्येआ होना हदीस शरीफ़ से भी साबित है।

जवाब:- हां बिदअत का हसना और सय्येआ होना हदीस से भी साबित है तिरमिज़ी शरीफ़ में है कि हज़रते उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहुतआला अनहू ने तरावीह की बाक़ायदा जमाअ़त काइम करने के बाद फ़रमाया कि यह बहुत अच्छी बिदअ़त है (मिशकात सफ़ा 115) और मुस्लिम शरीफ़ में हज़रते जरीर रज़ियल्लाहुअनहू से रिवायत है कि रसूले करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि जो इस्लाम में किसी अच्छे तरीक़ा को राइज करेगा तो उसको अपने राइज करने का भी सवाब मिलेगा और उन लोगों के अमल करने का भी सवाब मिलेगा जो उसके बाद उस तरीक़ा पर अमल करते रहेंगे और अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी भी न होगी और जो शख़्स मज़हबे इस्लाम में किसी बुरे तरीक़ा को राइज करेगा तो उस शख़्स पर उसके राइज करने का भी गुनाह होगा

और उन लोगों के अमल करने का भी गुनाह होगा जो उसके बाद उस तरीक़ा पर अमल करते रहेंगे और अमल करने वालों के गुनाह में कोई कमी भी न होगी (मिशक़ात सफ़ा 33)

सवाल:- क्या मीलाद शरीफ़ की महफ़िल मुनअ़क़िद करना बिदअ़ते सय्येआ है।

जवाब:- मीलाद शरीफ़ की महफ़िल मुनअ़क़िद करना उस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के हालात और दीगर फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करना बरकत का बाइस है। उसे बिदअ़ते सय्येआ कहना गुमराही व बदमज़हबी है।

सवाल:- क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में मय्यित का तीजा होता था।

जवाब:- मय्यत का तीजा और इसी तरह दसवां, बीसवां और चालीसवां वग़ैरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माना में नहीं होता था बल्कि यह सब बाद की ईजाद हैं और बिदअ़ते हसना हैं इसलिए कि इनमें मय्यत के ईसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी होती है। सदक़ा ख़ैरात किया जाता है और गुरबा व मसाकीन को खाना खिलाया जाता है और यह सब सवाब के काम हैं। हां इस मौक़ा पर दोस्त व अहबाब और अज़ीज़ व अक़ारीब की दावत करना ज़रूर बिदअ़ते सय्येआ है (शामी जिल्द अव्वल सफ़ा स0 629 फ़तहुल क़दीर जिल्द दोम सफ़ा 102)

# किताबुल आमाल

## वज़ू का बयान

सवाल:- वज़ू करने का तरीक़ा क्या है।

जवाब:- वज़ू करने का तरीक़ा यह कि पहले तस्मिया (बिस्मिल्लह) पढ़े फिर मिसवाक करे अगर मिसवाक न हो तो उंगली से दांत मसले फिर दोनों हाथों को गट्टों तक तीन बार धोए पहले दाहिने हाथ पर पानी डाले फिर बाएं हाथ पर दोनों हाथों को एक साथ न धोए फिर दाहिने हाथ से तीन बार कुल्ली करे फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करे और दाहिने हाथ से तीन बार नाक में पानी चढ़ाए फिर पूरा चेहरा धोए यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से ढोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर हिस्सा पर तीन बार पानी बहाए इसके बाद दोनों हाथ कुहनियों समेत तीन बार धोए उंगलियों की तरफ़ से कुहनियों के ऊपर तक पानी डाले कुहनियों की तरफ़ से न डाले फिर एक बार दोनों हाथ से पूरे सर का मसह करे फिर कानों का और गर्दन का एक एक बार मसह करे फिर दोनों पांव टखनों समेत तीन बार धोए।

सवाल:- धोने का क्या मतलब क्या है।

जवाब:- धोने का मतलब यह है कि जिस चीज़ को धोवो उसके हर हिस्सा पर पानी बह जाए।

सवाल:- अगर कुछ हिस्सा भीग गया मगर उस पर पानी नहीं बहा तो वज़ू होगा या नहीं।

जवाब:- इस तरह वज़ू हरगिज़ न होगा भीगने के साथ हर हिस्सा पर पानी बह जाना ज़रूरी है।

सुवाल:- वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं।

जवाब:- वज़ू में चार चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अव्वल मुंह धोना यानी बाल निकलने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक दूसरे कुहनियों समेत दोनों हाथ धोना तीसरे चौथाई सर का मसह करना यानी भीगा हुआ हाथ फेरना चौथे दोनों पांव टख़नों समेत धोना।

सवाल:- वज़ू में सुन्नतें कितनी हैं।



जवाब:- वज़ू में सुन्नतें सोलह हैं नीयत करना, तस्मिया पढ़ कर शुरु करना, दोनों हाथों को गट्टों तक तीन बार धोना, मिसवाक करना, दाहिने हाथ से तीन बार कुल्लियां करना दाहिने हाथ से तीन बार नाक में पानी चढ़ाना, बाएं हाथ से नाक साफ़ करना, दाढ़ी का ख़िलाल करना, हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना हर उज़्व को तीन तीन बार धोना, पूरे सर का एक बार मसह करना, कानों का मसह करना, तरतीब से वज़ू करना, दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे हैं उनका मसह करना, आज़ा को पैदर पै धोना, हर मकरुह बात से बचना।

सवाल:- वज़ू में कितनी बातें मकरुह हैं।

ज़वाब:- वजू में इक्कीस बातें मकरुह हैं। औरत के गुस्ल या वजू के बचे हुए पानी से वजू करना। वजू के लिए नजिस जगह बैठना,नजिस जगह वजू का पानी गिराना, मस्जिद के अन्दर वजू करना, वजू के आज़ा से बरतन में क़तरे टपकाना, पानी में रींठ या खंकार डालना। क़िबला की तरफ़ थूक या खंकार डालना या कुल्ली करना। बेज़रूरत दुनियां की बातें करना, ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करना, पानी इस क़दर कम खर्च करना कि सुन्नत अदा न हो, मुंह पर पानी मारना, मुंह पर पानी डालते वक़्त फूंकना, सिर्फ़ एक हाथ से मुंह धोना,गले का मसह करना, बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना, दाहिने हाथ से नाक साफ़ करना, अपने लिए कोई लोटा वग़ैरह खास कर लेना, तीन नए पानियों से तीन बार सर का मसह करना जिस कपड़े से इसतिनजा का पानी खुश्क किया हो उससे आज़ाए वुजू पोंछना, धूप के गर्म पानी से वजू करना, किसी सुन्न्त को छोड़ देना।

सवाल:- किन चीज़ों से वजू टूट जाता है।

जवाब:- पाख़ाना या पेशाब करना, पाख़ाना पेशाब के रास्ते से किसी और चीज़ का निकलना, पाख़ाना के रास्ते से हवा का निकल जाना, बदन के किसी मुक़ाम से खून या पीप निकलकर ऐसी जगह बहना कि जिसका वजू या गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है, खाना पानी या सफ़रा की मुंह भर के आना, इस तरह सो जाना कि जिस्म के जोड़ ढीले पड़ जाएं, बेहोश होना जुनून होना, गशी

होना, किसी चीज़ का इतना नशा होना कि चलने में पांव लड़खड़ाएं, रुकू और सज्दा वाली नमाज़ में इतनी ज़ोर से हंसना कि आस पास वाले सुनें, दुखती आंख से आंसू बहना, इन तमाम बातों से वज़ू टूट जाता है।

## गुस्ल का बयान

सवाल:- गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है।

जवाब:- गुस्ल करने का तरीक़ा यह है कि पहले गुस्ल की नीयत करके दोनों हाथ गट्टों तक तीन बार धोए फिर इसतिनजा की जगह धोए उसके बाद बदन पर अगर कहीं नजासते हक़ीक़ीया यानी पेशाब या पाख़ाना वग़ैरह हो तो उसे दूर करे फिर नमाज़ जैसा वज़ू करे मगर पांव न धोए हां अगर चौकी या पत्थर वग़ैरह ऊँची चीज़ पर नहाए तो पांव भी धोले। इसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़े फिर तीन बार दाहिने कंधे पर पानी बहाए और फिर तीन बार बायें कंधे पर फिर सर पर और तमाम बदन पर तीन बार पानी बहाए तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले फिर नहाने के बाद फ़ौरन कपड़ा पहन ले।

सवाल:- गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं ?

जवाब:- गुस्ल में तीन बातें फ़र्ज़ हैं कुल्ली करना, नाक में सख़्त हड्डी तक पानी चढ़ाना, तमाम ज़ाहिर बदन पर सर से पांव तक पानी बहाना।

सवाल:- गुस्ल में कितनी बातें सुन्नत हैं !

जवाब:- गुस्ल में यह बातें सुन्नत हैं। गुस्ल की नीयत करना दोनों हाथ गट्टों तक तीन बार धोना। इसतिनजा की जगह धोना। बदन पर जहां कहीं नजासत हो उसे दूर करना। नमाज़ जैसा वज़ू करना। बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ना। दाहिने मोंढे फिर बांए मोंढे फिर सर पर और तमाम बदन पर तीन बार पानी बहाना तमाम बदन पर हाथ फेरना और मलना। नहाने में क़िबला रुख़ न होना और कपड़ा पहन कर नहाना हो तो कोई हर्ज नहीं। ऐसी जगह नहाना कि कोई न देखे। नहाते वक़्त किसी क़िस्म का कलाम न करना। कोई दुआ न पढ़ना। औरतों को बैठकर नहाना। नहाने के बाद फौरन कपड़ा पहन लेना।



सवाल:- किन सूरतों में गुस्ल करना फ़र्ज़ है।

जवाब:- मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़्व से निकलना, इहतिलाम, हशफ़ा यानी सरे ज़कर का औरत के आगे या पीछे या मर्द के पीछे दाखिल होना दोनों पर गुस्ल फ़र्ज करता है। हैज़ से फ़ारिग़ होना। निफ़ास का खत्म होना।

सवाल:- किन वक़्तों में गुस्ल करना सुन्नत है।

जवाब:- जुमा, ईद, बक़राईद अ़र्फ़ा के दिन और इहराम बांधते वक़्त नहाना सुन्नत है।

सवाल:- किन सूरतों में गुस्ल करना मुसतहब है।

जवाब:- वकूफ़े अर्फ़ात, वकूफ़े मुजदलफ़ा, हाज़रीये हरम, हाज़रीये सरकारे आज़म सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहिवसल्लम तवाफ़, दुखूलेमिना, तीनों दिन जमरों पर कंकरियां मारने के लिए, शबेबराअत, शबे क़द्र, अर्फ़ा की रात, मजलिसे मौलाद शरीफ़ और दीगर मजलिसे खैर की हाज़िरी के लिए, मुर्दा नहलाने के बाद, मजनून को जुनून जाने के बाद, ग़शी से इफ़ाक़ा के बाद, नशा जाते रहने के बाद, गुनाह से तौबा करने के लिए, नया कपड़ा पहनने के लिए, सफ़र से वापसी के बाद, इसतिहाज़ा बन्द होने के बाद। नमाज़े कुसूफ़, खुसूफ, इसतिसक़ा, ख़ौफ, तारीकी और सख्त आंधी के लिए,बदन पर नजासत लगी हो और यह मालूम न हो कि किस जगह है। इन सब सूरतों में गुस्ल करना मुस्तहब है।



## तयम्मुम का बयान

सवाल:- तयम्मुम करने का तरीक़ा क्या है।

जवाब:- तयम्मुम करने का तरीक़ा यह है कि अव्वल दिल में नीयत करे फिर दोनों हाथ की उंगलियां कुशादा करके ज़मीन पर मारे और ज़्यादा गर्द लग जाए तो झाड़ ले फिर उससे सारे मुंह का मसह करे फिर दोबारा दोनों हाथ ज़मीन पर मारकर दाहिने हाथ को बाएं हाथ से और बाएं हाथ को दाहिने हाथ से कुहनियों समेत मले।

सवाल:- जुबान से तयम्मुम की नीयत अदा करते वक़्त क्या कहे।

जवाब:- यह कहे नीयत की मैंने तयम्मुम की अल्लाह तआ़ला का तक़र्रुब हासिल करने के लिए।

सवाल:- तयम्मुम का यह तरीक़ा वज़ू के लिए है या गुस्ल के लिए।

जवाब:- तयम्मुम का यही तरीक़ा वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए है।

सवाल:- तयम्मुम में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं।

जवाब:- तयम्मुम में तीन बातें फ़र्ज़ हैं, नीयत करना, पूरे मुंह पर हाथ फेरना, दोनों हाथों का कुहनियों समेत मसह करना, अगर अंगूठी पहने हो तो उसके नीचे हाथ फेरना फर्ज़ है। और औरत अगर चूड़ी या ज़ेवर पहने हो तो उसे हटा कर हर हिस्सा पर हाथ फेरना फ़र्ज़ है।

सवाल:- किन चीज़ों से तयम्मुम करना जाइज़ है।

जवाब:- पाक मिट्टी, पत्थर, रेत, मुलतानी मिट्टी, गेरु, कच्ची या पक्की ईंट, मिट्टी और ईंट पत्थर या चूना की दीवारों से तयम्मुम करना जाइज़ है।

सुवाल:- किन चीज़ों से तयम्मुम करना जाइज़ नहीं।

जवाब:- सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, लकड़ी, अलमूनियम, जस्ता, कपड़ा, राख, और हर क़िस्म के ग़ल्ला से तयम्मुम करना

जाइज़ नहीं। यानी जो चीज़ें आग में पिघल जाती हैं या जलकर राख हो जाती हैं उन चीजों से तयम्मुम करना जाइज़ नहीं।

सवाल:- तयम्मुम करना कब जाइज़ है।

जवाब:- जब पानी पर कुदरत न हो तो तयम्मुम करना जाइज़ है।

सवाल:- पानी पर कुदरत न होने की क्या सूरत है।

जवाब:- पानी पर कुदरत न होने की यह सूरत है कि ऐसी बीमारी हो कि वज़ू या गुस्ल से उसके ज़्यादा हो जाने का सहीह़ अन्देशा हो या ऐसे मुक़ाम पर मौजूद हो कि वहां चारों तरफ़ एक एक मील तक पानी का कहीं पता न हो या इतनी सरदी हो कि पानी के इस्तेमाल से मर जाने या बीमार हो जाने का क़वी अन्देशा हो या कुआं मौजूद है मगर डोल व रस्सी नहीं पाता है। इनके अलावा पानी पर कुदरत न होने की और भी सूरतें हैं जो बहारे शरीअत वग़ैरा बड़ी किताबों से मालूम की जा सकती हैं।

सवाल:- किन चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है।

जवाब:- जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है या गुस्ल वाजिब होता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है। अलावा इनके पानी पर कुदरत हो जाने से भी तयम्मुम टूट जाता है।

# इसतिनजा का बयान

सवाल:- इसतिनजा का तरीक़ा क्या है ?

जवाब:- पेशाब के बाद इसतिनजा करने का तरीक़ा यह है कि पाक मिट्टी, कंकर या फटे पुराने कपड़े से पेशाब सुखाये फिर पानी से धो डाले और पाख़ाना के बाद इसतिनजा करने का तरीक़ा यह है कि मिट्टी, कंकर या पत्थर के तीन, पांच या सात टुकड़ों से पाख़ाना की जगह साफ़ करले फिर पानी से धो डाले।

सवाल:- इसतिनजा का ढेला और पानी किस हाथ से इस्तेमाल करना चाहिए?

जवाब:- बाएं हाथ से।



सवाल:- किन चीज़ों से इसतिनजा करना मना है ?

जवाब:- किसी क़िस्म का खाना, हड्डी, गोबर लीद, कोयला, और जानवर का चारा, इन सब चीज़ों से इसतिनजा करना मना है।

सवाल:- किन जगहों पर पेशाब पाख़ाना करना मना है।

जवाब:- कुएं या हौज़ या चश्मा के किनारे, पानी में अगरचे बहता हुआ हो, घाट पर, फलदार दरख़्त के नीचे, ऐसे खेत में कि जिसमें खेती मौजूद हो, साया में जहां लोग उठते बैठते हों, मस्जिद या ईदगाह के पहलू में, क़ब्रिस्तान या रास्ते में, जिस

जगह जानवर बंधे हों और जहां वजू या गुस्ल किया जाता हो इन सब जगहों में पाख़ाना पेशाब करना मना है।

सवाल:- पाख़ाना या पेशाब करते वक़्त मुंह किस तरफ़ होना चाहिए।

जवाब:- पाख़ाना या पेशाब करते वक़्त क़िबला की तरफ़ मुंह या पीट करना मना है हमारे मुल्क में उत्तर या दक्खिन जानिब मुंह करना चाहिए।

# पानी और जानवरों के झूटे का बयान

सवाल:- किन पानियों से वज़ू करना जाइज़ है।



जवाब:- बरसात का पानी, नदी, नाले, चश्मे, समुन्दर, दरया और कुयें का पानी, पिघली हुई बर्फ़ या ओले का पानी, तालाब या बड़े हौज़ का पानी, इन सब पानियों से वज़ू करना जाइज़ है।

सवाल:- किन पानियों से वज़ू करना जाइज़ नहीं।

जवाब:- फल और दरख़्त का निचोड़ा हुआ पानी या वह पानी कि जिसमें कोई पाक चीज़ मिल गई और नाम बदल गया जैसे शर्बत, शोरबा, चाय वगैरा या बड़े हौज़ और तालाब का ऐसा पानी कि जिसका रंग या बू या मज़ा किसी नापाक चीज़ के मिल जाने से बदल गया और छोटे हौज़ या घड़े का वह पानी कि जिसमें कोई नापाक चीज़ गिर गई हो या ऐसा जानवर मर गया

हो कि जिसमें बहता हुआ खून हो अगर पानी का रंग या बू या मज़ा न बदला हो और वह पानी कि जो वज़ू या गुस्ल का धोवन है। इन सब पानियों से वज़ू करना जाइज़ नहीं।

सवाल:- क्या वज़ू और गुस्ल के पानी में कुछ फ़र्क़ है।

जवाब:- नहीं, जिन पानियों से वज़ू जाइज़ है उनसे गुस्ल भी जाइज़ है और जिन पानियो से वज़ू नाजाइज़ है गुस्ल भी नाजाइज़ है।

सवाल:- किन जानवरों का झूठा पाक है

जवाब:- जिन जानवरों का गोश्त खाया जात है उनका झूटा पाक है। जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, कबूतर और फ़ाख़्ता वग़ैरा।



सवाल:- किन जानवरों का झूटा मकरूह है।

जवाब:- घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली और उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा, बाज़, बहरी, चील और कौआ वग़ैरा। और वह मुर्गी जो छूटी फिरती हो और नजासत पर मुंह डालती हो और वो गाय जिसकी आदत गलीज़ खाने की हो इन सब का झूटा मकरूह है।

सवाल:- किन जानवरों का झूटा नापाक है।

जवाब:- सूअर, कुत्ता, शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, गीदड़ और दूसरे शिकारी चौपाये का झूटा नापाक है।

# कुयें का बयान

सवाल:- कुआं कैसे नापाक हो जाता है।

जवाब:- कुएं में आदमी, बैल, भैंस या बकरी गिर कर मर जाए या किसी क़िस्म की कोई नापाक चीज़ गिर जाए तो कुआं नापाक हो जाता है।

सवाल:- कुएं में अगर कोई जानवर गिर जाए और ज़िन्दा निकाल लिया जाए तो कुआं नापाक होगा या नहीं।

जवाब:- अगर कोई ऐसा जानवर गिर गया कि उसका झूटा नापाक है जैसे कुत्ता और गीदड़ वग़ैरा तो कुआं नापाक हो जाएगा। और अगर वह जानवर गिरा कि जिस का झूटा नापाक नहीं जैसे गाय और बकरी वग़ैरा और उनके बदन पर नजासत भी न लगी हो तो गिर कर ज़िन्दा निकल आने की सूरत में जब तक उनके पाखाना पेशाब कर देने का यक़ीन न हो कुआं नापाक न होगा।

सवाल:- कुआं अगर नापाक हो जाए तो कितना पानी निकाला जाएगा।

जवाब:- अगर कुएं में नजासत पड़ जाए या आदमी, बैल, भैंस, बकरी या इतना ही बड़ा कोई दूसरा जानवर गिर कर मर जाए या दो बिल्लियां मर जाएं या मुर्ग़ी और बतख की बीट गिर जाए या मुर्ग़ा, मुर्ग़ी बिल्ली, चूहा, छिपकली या और कोई बहते

हुए खून वाला जानवर कुएं में गिर कर फूल जाए या फट जाए या ऐसा जानवर गिर जाए कि जिस का झूटा नापाक है अगरचे ज़िन्दा निकल आए जैसे सूअर और कुत्ता वग़ैरा तो इन सब सूरतों में कुल पानी निकाला जाएगा।

सवाल:- अगर चूहा या बिल्ली कुएं में में गिर कर मर जाए और फूलने फटने से पहले निकाल ली जाए तो क्या हुक्म है।

जवाब:- चूहा, छछूंदर, गौरय्या चिड़या, छिपकली, गिरगिट या इनके बराबर या इनसे छोटा कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में गिर कर मर जाए और फूलने फटने से पहले निकाल लिया जाए, तो बीस डोल से तीस डोल तक पानी निकाला जाएगा। और अगर बिल्ली, कबूतर, मुर्ग़ी या इतना ही बड़ा कोई दूसरा जानवर कुएं में गिर कर मर जाए और फूले फटे नहीं तो चालिस से साठ डोल तक पानी निकाला जाएगा।

सवाल:- डोल कितना बड़ा होना चाहिए।

जवाब:- जो डोल कुएं पर पड़ा रहता है वही डोल मुतबर है और अगर कोई डोल खास न हो तो ऐसा डोल होना चाहिए कि जिसमें तक़रीबन सवा पांच किलो पानी आ जाए।

सवाल:- कुएं का पानी पाक हो जाने के बाद कुआं की दीवार और डोल रस्सी भी पाक करना पड़ेगा या नहीं।

जवाब:- कुआं की दीवार और डोल रस्सी नहीं पाक करना पड़ेगा, पानी पाक होने के साथ यह सब चीज़ें भी पाक हो

जाएंगी।

# नजासत का बयान

सवाल:- नजासत की कितनी क़िस्में हैं।

जवाब:- नजासते हक़ीक़ीया की दो क़िस्में है। नजासते ग़लीज़ा, नजासते खफ़ीफ़ा।

सवाल:- नजासते ग़लीज़ा क्या चीज़ें हैं।

जवाब:- इन्सान के बदन से ऐसी चीज निकले कि उससे वज़ू या गुस्ल वाजिब हो जाता हो तो वह नजासते ग़लीज़ा है जैसे पाख़ाना, पेशाब, बहता ख़ून, पीप, मुंह भर क़े और दुखती आंख का पानी वग़ैरा, और हराम चौपाये जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, खच्चर, हाथी और सूअर वग़ैरा का पाख़ाना पेशाब और घोड़े की लीद और हर हलाल चौपाये का पाख़ाना जैसे गाय भैंस का गोबर बकरी और ऊंट की मेंगनी, मुर्गी और बतख़ की बीट, हाथी के सूंड की रतूबत और शेर कुत्ता वग़ैरा दरिन्दे चौपायों का लुआब यह सब नजासते ग़लीज़ा है। और दूध पीता लड़का हो या लड़की उनका पेशाब भी नजासते ग़लीज़ा है (बहारे शरीअ़त)

सवाल:- नजासते खफ़ीफ़ा क्या चीज़ें हैं।

जवाब:- जिन जानवरों का गोश्त ह़लाल है जैसे गाय, बैल भैंस बकरी और भेड़ वग़ैरा इनका पेशाब नीज़ घोड़े का पेशाब, और

जिस परिन्द का गोश्त हराम हो जैसे कौआ, चील, शिकरा, बाज़ और बहरी वग़ैरा की बीट यह सब नजासते खफ़ीफ़ा हैं।

सवाल:- अगर नजासते ग़लीज़ा बदन या कपड़े पर लग जाए तो क्या हुक्म है।

जवाब:- अगर नजासते ग़लीज़ा एक दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है कि बग़ैर पाक किए नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ होगी ही नहीं, और अगर नजासते ग़लीज़ा एक दिरहम के बराबर लग जाए तो उसका पाक करना वाजिब है कि बग़ैर पाक किए पढ़ ली तो नमाज़ मकरूह तहरीमी हुई यानी ऐसी नमाज़ का दोबारा पढ़ना वाजिब है और अगर नजासते ग़लीज़ा एक दिरहम से कम लगी है तो उसका पाक करना सुन्नत है। कि बग़ैर पाक किए नमाज़ पढ़ ली तो हो गई मगर ख़िलाफ़े सुन्नत हुई ऐसी नमाज़ का दोबारा पढ़ना बेहतर है (बहारे शरीअ़त)

सवाल:- अगर नजासते खफ़ीफ़ा लग जाए तो उसका क्या हुक्म है।

जवाब:- नजासते खफ़ीफ़ा कपड़े या बदन के जिस हिस्सा में लगी है अगर उसकी चौथाई से कम है। मसलन दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम है या आसतीन में लगी है तो उसकी चौथाई से कम में लगी है या हाथ में हाथ की चौथाई से कम लगी है तो मुआफ़ है और अगर पूरी चौथाई में लगी

हो तो बग़ैर धोए नमाज़ न होगी।

सवाल:- अगर कपड़े में नजासत लग जाए तो कितनी बार धोने से पाक होगा।

जवाब:- अगर नजासत दलदार है जैसे पाखाना और गोबर वग़ैरह तो उसके धोने में कोई गिनती मुक़र्रर नहीं बल्कि उसको दूर करना ज़रूरी है अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही मर्तबा धोने से पाक हो जाएगा और अगर चार पांच मर्तबा धोने से दूर हो तो चार पांच मर्तबा धोना पड़ेगा। हां अगर तीन मर्तबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो तीन बार पूरा कर लेना बेहतर है, और अगर नजासत पतली हो जैसे पेशाब वग़ैरा तो तीन मर्तबा धोना और तीनों मर्तबा कूवत के साथ निचोड़ने से कपड़ा पाक हो जाएगा।



# हैज़, निफ़ास और जनाबत का बयान

सवाल:- हैज़ और निफ़ास किसे कहते हैं।

जवाब:- बालिग़ा औरत के आगे के मक़ाम से जो खून आदी तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो तो उसे हैज़ कहते हैं, उसकी मुद्दत कम से कम तीन दिन और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन है, इससे कम या ज़्यादा हो तो बीमारी यानी इसतिहाज़ा है, और बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसे निफ़ास कहते हैं, निफ़ास में कमी

की जानिब कोई मुद्दत मुक़र्रर नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज़माना चालीस दिन है चालीस दिन के बाद जो ख़ून आए वह इसतिहाज़ा है।

सवाल:- हैज़ व निफ़ास का हुक्म क्या है?

जवाब:- हैज़ व निफ़ास की हालत में रोज़ा रखना और नमाज़ पढ़ना हराम है उन दिनों में नमाज़ें मुआफ़ हैं उनकी कज़ा भी नहीं मगर रोज़ों की कज़ा और दिनों में रखना फ़र्ज़ है और हैज़ व निफ़ास वाली औरत को कुरआन मजीद पढ़ना हराम है ख़्वाह देख कर पढ़े या ज़ुबानी और उसका छूना अगरचे उसकी जिल्द या हाशिया को हाथ या उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा लगे सब हराम है। हां जुज़दान में कुरआन मजीद हो तो उस जुज़दान के छूने में हर्ज नहीं।

सवाल:- जिसे इहतिलाम हुआ और ऐसे मर्द व औरत कि जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ है उनके लिए क्या हुक्म है।

जवाब:- ऐसे लोगों को गुस्ल किए बग़ैर नमाज़ पढ़ना, कुरआन मजीद देख कर या ज़ुबानी पढ़ना उसका छूना और मस्जिद में जाना हराम है।

सवाल:- क्या जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो वह मस्जिद में नहीं जा सकता।

जवाब:- जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उसे मस्जिद के उस हिस्सा में जाना हराम है कि जो दाखिले मस्जिद है यानी नमाज़ के

लिए बनाया गया है और वह हिस्सा कि जो फनाए मस्जिद है यानी इसतिंजा ख़ाना, गुस्ल ख़ाना और वजू गाह वग़ैरा तो उस जगह जाने में कोई हर्ज नहीं बशर्ते कि उनमें जाने का रास्ता दाख़िले मस्जिद से होकर न गुज़रता हो।

सवाल:- ऐसे मर्द व औरत कि जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ है वह कुरआन की तालीम दे सकते हैं या नहीं।

जवाब:- ऐसे लोग एक एक कलिमह सांस तोड़ तोड़ कर पढ़ा सकते हैं और हिज्जे कराने में कोई हर्ज नहीं।

सवाल:- बे वजू कुरआन शरीफ छूना व पढ़ना जाइज़ है या नहीं।

जवाब:- बे वजू कुरआन शरीफ छूना हराम है ब़े छुए ज़ुबानी या देखकर पढ़े तो कोई हर्ज नहीं।



सवाल:- बे वजू पारये अम्म या किसी दूसरे पारह का छूना कैसा है।

जवाब:- बे वजू पारये अम्म या किसी दूसरे पारह का छूना भी हराम है।

# नमाज़ के वक़्तों का बयान

सवाल:- दिन व रात में कुल कितनी नमाज़ें फ़र्ज हैं।

जवाब:- दिन व रात में कुल पांच नमाज़ें फ़र्ज़ है। फ़ज्र, जुहर, अस्र, मग़रिब, और इशा।

सवाल:- फ़ज्र का वक़्त कब से कब तक है।

जवाब:- उजाला होने से फ़ज्र का वक़्त शुरू होता है और सूरज निकलने से पहले तक रहता है लेकिन खूब उजाला होने पर पढ़ना मुसतहब है।

सवाल:- ज़ुहर का वक़्त कब से कब तक रहता है।

जवाब:- ज़ुहर का वक़्त सूरज ढलने के बाद शुरू होता है और ठीक दोपहर के वक़्त किसी चीज़ का जितना साया होता है उसके अलावा उसी चीज़ का दोगुना साया हो जाए तो ज़ुहर का वक़्त खत्म हो जाता है। मगर छोटे दिनों में अव्वले वक़्त और बड़े दिनों में आख़िरे वक़्त पढ़ना मुसतहब है।

सवाल:- अस्र का वक़्त कब से कब तक रहता है।



जवाब:- ज़ुहर का वक़्त खत्म हो जाने से अस्र वक़्त शुरू हो जाता है और सूरज डूबने से पहले तक रहता है, मगर अस्र में ताखीर हमेशा मुसतहब है लेकिन न इतनी ताख़ीर कि सूरज की टिकिया में ज़र्दी आ जाए।

सवाल:- मग़रिब का वक़्त कब से कब तक रहता है।

जवाब:- मग़रिब का वक़्त सूरज डूबने के बाद से शुरू हो जाता है, और उत्तर दक्खिन फैली हुई सफ़ेदी के ग़ायब होने से पहले तक रहता है। मगर अव्वल वक़्त पढ़ना मुसतहब और ताख़ीर मकरूह।

सवाल:- इशा का वक़्त कब से कब तक रहता है।

जवाब:- इशा का वक़्त उत्तर दक्खिन फैली हुई सफेदी के ग़ायब होने से शुरू होता है और सुबह उजाला होने से पहले तक रहता है लेकिन तिहाई रात तक ताख़ीर मुसतहब और आधी रात तक मुबाह और आधी रात के बाद मकरूह है।

## मकरूह वक़्तों का बयान

सवाल:- क्या रात और दिन में कुछ वक़्त ऐसे भी हैं जिन में नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं।

जवाब:- जी हां सूरज निकलने के वक़्त, सूरज डूबने के वक़्त और दोपहर के वक़्त किसी किस्म की कोई नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं। हां अगर उस दिन अस्र की नमाज़ नहीं पढ़ी है तो सूरज डूबने के वक़्त पढ़ ले मगर इतनी देर करना सख़्त गुनाह है।

सवाल:- सूरज निकलने के वक़्त कितनी देर नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं?

जवाब:- जब सूरज का कनारा ज़ाहिर हो उस वक़्त से लेकर तक़रीबन बीस मिनट तक नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं।

सुवाल:- सूरज डूबने के वक़्त कब से कब तक नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं है।

जवाब:- जब सूरज पर नज़र ठहरने लगे उस वक़्त से लेकर डूबने तक नमाज़ पढ़ना नहीं जाइज़ है और यह वक़्त भी तक़रीबन बीस (20) मिनट है।

सवाल:- दोपहर के वक़्त कब से कब तक नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं।

जवाब:- ठीक दोपहर के वक़्त तक़रीबन चालीस (40) पचास (50) मिनट तक नमाज़ पढ़ना जाइज़ नही।

सवाल:- मकरूह वक़्त में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना कैसा है।

जवाब:- अगर मकरूह वक़्तों में जनाज़ा लाया गया तो उसी वक़्त पढ़ें कोई कराहत नहीं। कराहत उस सूरत में है कि पहले से जनाज़ा तैयार मौजूद है और ताख़ीर की यहां तक कि वक़्ते कराहत आ गया (बहारे शरीअत, आलमगीरी)

सवाल:- इन मकरूह वक़्तों में कुरआन शरीफ़ पढ़ना कैसा है।

जवाब:- इन मकरूह वक़्तों में कुरआन शरीफ़ न पढ़े तो बेहतर है और पढ़े तो कोई हर्ज नहीं (अनवारूल ह़दीस)



## अज़ान व इक़ामत का बयान

सवाल:- अज़ान कहना फ़र्ज़ है या सुन्नत।

जवाब:- फ़र्ज़ नमाजों को जमाअ़त के साथ मस्जिद में अदा करने के लिए अज़ान कहना सुन्नते मुअक्कदा है मगर उस का हुक्म मिसल वाजिब के है यानी अगर अज़ान न कहीं गई तो वहां के सब लोग गुनाहगार होंगे।

सवाल:- अज़ान किस वक़्त कहनी चाहिए।

जवाब:- जब नमाज़ का वक़्त हो जाए तो अज़ान कहनी

चाहिए। वक़्त से पहले जाइज़ नहीं अगर वक़्त से पहले कही गई तो वक़्त होने पर लौटाई जाए।

सवाल:- फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा और भी किसी वक़्त अज़ान कही जाती है।

जवाब:- हां, बच्चे और मग़मूम (फिक्रमन्द) के कान में, मिरगी वाले गज़बनाक और बदमिजाज़ आदमी या जानवर के कान में, सख्त लड़ाई और आग लगने के वक़्त, मय्यत को दफ़न करने के बाद। जिन्न की सरकशी के वक़्त और जंगल में जब रास्ता भूल जाए और कोई बताने वाला न हो इन सूरतों में अज़ान कहना मुसतहब है (बहारे शरीअ़त, शामी जिल्द अव्वल सफ़ा 258)



सवाल:- अज़ान का बेहतर तरीक़ा क्या है।

जवाब:- मस्जिद के सहन से बाहर किसी बुलन्द जगह पर क़िबला की तरफ़ मुंह करके खड़ा हो और कलिमह की दोनों उंगलियों को कानों में डालकर बुलंद आवाज़ से अज़ान के कलिमात को ठहर ठहर कर कहे जल्दी न करे और हय्य अलस्सलातु कहते वक़्त दाहिनी जानिब और हय्य अलल्फ़लाह कहते वक़्त बाएं जानिब मुंह फेरे।

सवाल:- अज़ान के जवाब का क्या मसला है।

जवाब:- अज़ान के जवाब का मसअला यह है कि अज़ान कहने वाला जो कलिमह तो सुनने वाला भी वही कलिमह कहे कहे

मगर हय्य अलस्सलात और हय्य अललफ़लाह के जवाब में लाहौल वला कूवत इल्ला बिल्लाह कहे और बेहतर यह है कि दोनों कहे। और फ़ज्र की अज़ान में अस्सलातु खैरूम मिनन्नौम के जवाब में सदक़ त व बरर त व बिलहक्क़ि नतक़ त कहे।

सवाल:- खुतबा की अज़ान का जवाब देना कैसा है।

जवाब:- खुतबा की अज़ान का ज़ुबान से जवाब देना मुक़्तदियों को जाइज़ नहीं।

सवाल:- तकबीर यानी इक़ामत कहना कैसा है।

जवाब:- इक़ामत कहना भी सुन्नते मुअक्कदा है उसकी ताकीद अज़ान से ज़्यादा है।

सवाल:- क्या अज़ान कहने वाला ही इक़ामत कहे दूसरा न कहे।



जवाब:- हां, अज़ान कहने वाला ही इक़ामत कहे। उसकी इजाज़त के बग़ैर दूसरा न कहे अगर बग़ैर इजाज़त दूसरे ने कही और अज़ान देने वाले को नागवार हो तो मकरूह है।

सवाल:- अज़ान व इक़ामत के दरमियान सलात पढ़ना कैसा है।

जवाब:- सलात पढ़ना यानी "अस्सलातु वस्सलामु अलै क या रसूलल्लाह" कहना जाइज़ व मुसतहसन है इस सलात का नाम इस्तिलाहे शरा में तसवीब है और तसवीब नमाज़ें मग़रिब के अलावा बाक़ी नमाज़ों के लिए मुसतहसन है (आलम गीरी)

तमबीह (1) जो अज़ान के वक़्त बातों में मशगूल रहे उस पर मआज़ल्लाह ख़ातिमा बुरा होने का ख़ौफ़ है (बहारे शरीअत

बहवाला फ़तावा रज़्वीया)

(2) जब अज़ान खत्म हो जाए तो मुअज़्ज़िन और अज़ान सुनने वाले दुरूद शरीफ़ पढ़ें फिर अज़ान के बाद की यह दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्म रब्ब हाजिहीद्अ् व तित्ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति सय्यिदना मुहम्मद बिल वसील त वल फ़ज़ील त वद्दरज तर्रफीअ त वबअ़सहु मक़ामम्मह् मूद निल्लज़ी वअत्तहू वरजु कना शफ़ा अ़तहू यौमल क़ियामति इन्न क ला तुखलिफुल मीआ़द।

(3) जब मुअज़्ज़िन "अशहदु अन्न मुहम्मदर्र सूलुल्लाह" कहे तो सुनने वाला दुरूद शरीफ़ पढ़े और मुसतहब है कि अगूंठों को चूमकर आंखों से लगाले और कहे "कुर्रतु ऐ नीबि क या रसूलल्लाहि अल्लाहुम्म मत्तिअ्नी बिस्समअ़ि वलबसरि" (बहारे शरीअत, शामी)

# तादादे रक्आत और नीयत का बयान

सवाल:- फ़ज्र के वक़्त कितनी रक्अ़त नमाज़ पढ़ी जाती है।

जवाब:- कुल चार रक्अत। पहले दो रक्अत सुन्नत फिर दो रक्अत फ़र्ज़।

सवाल:- दो रक्अ़त सुन्नत की नीयत किस तरह की जाएगी।

जवाब:- नीयत की मैंने दो रक्अत नमाज़ सुन्नत फ़ज्र की अल्लाह तआला के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा तरफ़

काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।
सवाल:- दो रक्अ़त फ़र्ज़ की नीयत किसतरह की जाएगी।
जवाब:- नीयत की मैंने दो रक्अत नमाज़ फ़र्ज़ फ़ज्र की अल्लाह तआला के लिए (मुक़तदी इतना और कहे पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।
सवाल:- ज़ुहर के वक़्त कुल कितनी रक्अ़त नमाज़ पढ़ी जाती है।
जवाब:- बारह (12) रक्अत। पहले चार रक्अत सुन्नत फिर चार रक्अत फ़र्ज़ फिर दो रक्अ़त सुन्नत फिर दो रक्अ़त नफ़ल।
सवाल:- चार रक्अ़त सुन्नत की नीयत किस तरह की जाएगी।
जवाब:- नीयत की मैंने चार रक्अ़त नमाज़ सुन्नत ज़ुहर की अल्लाह तआला के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।
सवाल:- फिर चार रक्अ़त फ़र्ज़ की नीयत किस तरह की जाएगी।
जवाब:- नीयत की मैंने चार रक्अ़त नमाज़ फ़र्ज़ ज़ुहर की अल्लाह तआ़ला के लिए (मुक़तदी इतना और कहे पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।
सवाल:- और दो रक्अ़त सुन्नत की नीयत किस तरह की जाएगी।
जवाब:- नीयत की मैंने दो रक्अत नमाज़ सुन्नत ज़ुहर की

अल्लाह तआला के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- फिर दो रक्अ़त नफ़्ल की नीयत कैसे करे।

जवाब:- नीयत की मैंने दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल की अल्लाह तआला के लिए मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- अस्र के वक़्त कुल कितनी रक्अ़त नमाज़ पढ़ी जाती है।

जवाब:- आठ रक्अत पहले चार रक्अत सुन्नत फिर चार रक्अत फ़र्ज़।

सवाल:- चार रक्अत सुन्नत की नीयत किस तरह की जाएगी।

जवाब:- नीयत की मैंने चार रक्अत नमाज़ सुन्नत अस्र की अल्लाह तआ़ला के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- फिर चार रक्अ़त फ़र्ज़ की नीयत कैसे करे।

जवाब:- नीयत की मैंने चार रक्अत नमाज़ फ़र्ज़ अस्र की अल्लाह तआ़ला के लिए (मुक़्तदी इतना और कहे पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- मग़रिब के वक़्त कुल कितनी रक्अत नमाज़ पढ़ी जाती है।

जवाब:- सात (7) रक्अ़त। पहले तीन रक्अत फ़र्ज़ फिर दो रक्अत सुन्नत फिर दो रक्अत नफ़्ल।

सवाल:- तीन (3) रक्अत फ़र्ज़ की नीयत किस तरह की जाएगी।

जवाब:- नीयत की मैंने तीन रक्अत नमाज़ फ़र्ज़ मग़रिब की अल्लाह तआ़ला के लिए (मुक़तदी इतना और कहे पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- और दो रक्अ़त सुन्नत की नीयत कैसे करे।

जवाब:- नीयत की मैंने दो रक्अ़त नमाज़ सुन्नत मग़रिब की अल्लाह तआला के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- फिर दो रक्अ़त नफ़्ल की नीयत कैसे करे।

जवाब:- नीयत की मैंने दो रक्अ़त नमाज़ नफ़्ल अल्लाह तआ़ला के लिए मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।



सवाल:- इशा के वक़्त कुल कितनी रक्अत नमाज़ पढ़ी जाती है।

जवाब:- सत्तरह (17) रक्अत। पहले चार रक्अत सुन्नत, फिर चार रक्अत फ़र्ज़, फिर दो रक्अत सुन्नत, फिर दो रक्अत नफ़्ल। इसके बाद फिर तीन रक्अ़त वित्र वाजिब फिर दो रक्अत नफ़्ल।

सवाल:- चार रक्अ़त सुन्नत की नीयत किस तरह की जाएगी।

जवाब:- नीयत की मैंने चार (4) रक्अत नमाज़ सुन्नत इशा की अल्लाह तआ़ला के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा तरफ़

काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- फिर चार (4) रक्अत फ़र्ज़ की नीयत कैसे करे।

जवाब:- नीयत की मैंने चार (4) रक्अत नमाज़ फ़र्ज़ इशा की अल्लाह तआ़ला के लिए मुक़तदी इतना और कहे (पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- फिर दो (2) रक्अत सुन्नत की नीयत किस तरह की जाएगी।

जवाब:- नीयत की मैंने दो (2) रक्अत नमजा़ सुन्नत इशा की अल्लाह तआला के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- फिर दो रक्अ़त नफ़्ल की नीयत किस तरह की जाएगी।



जवाब:- नीयत की मैंने दो (2) रक्अत नमजा़ नफ़्ल की अल्लाह तआ़ला के लिए मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- वित्र की नीयत किस तरह की जाएगी।

जवाब:- नीयत की मैंने तीन (3) रक्अत नमाज़ वाजिब वित्र की अल्लाह तआ़ला के लिए मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- फिर दो (2) रक्अ़त नफ़्ल की नीयत कैसे करे।

जवाब:- नीयत की मैंने दो (2) रक्अ़त नमाज़ नफ़्ल अल्लाह तआ़ला के लिए मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- अगर नीयत के अलफ़ाज़ भूल कर कुछ के कुछ ज़ुबान से निकल गए तो नमाज़ होगी या नहीं।

जवाब:- नीयत दिल के पक्के इरादा को कहते हैं यानी नीयत में ज़ुबान का एतबार नहीं तो अगर दिल में मसलन ज़ुहर का इरादा किया और ज़ुबान से लफ़्ज़े अस्र निकल गया तो ज़ुहर की नमाज़ हो जाएगी।

सवाल:- क़ज़ा नमाज़ की नीयत किस तरह करनी चाहिए।

जवाब:- जिस रोज़ और जिस वक़्त की नमाज़ क़ज़ा हो उस रोज़ और उस वक़्त की नीयत क़ज़ा में ज़रूरी है मसलन अगर जुमा के रोज़ फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो इस तरह नीयत करे कि नीयत की मैंने दो (2) रक्अत नमाज़े कज़ा जुमा के फ़ज्र फ़र्ज़ की अल्लाह तआला के लिए मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- अगर कई साल की नमाज़ें क़ज़ा हों तो नीयत कैसे करे।

जवाब:- ऐसी सूरत में जो नमाज़ मसलन ज़ुहर की क़ज़ा पढ़नी है तो इस तरह नीयत करे नीयत की मैंने चार (4) रक्अत नमाज़ क़ज़ा जो मेरे ज़िम्मे बाकी है उनमें से पहले ज़ुहर फ़र्ज़ की अल्लाह तआला के लिए मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। इसी पर दूसरी क़ज़ा नमाज़ों की नीयतों को क़ियास करना चाहिए।

सवाल:- पांच वक़्त की नमाज़ों में कुल कितनी रक्अत क़ज़ा

पढ़ी जाएगी।

जवाब:- बीस (20) रक्अत दो (2) रक्अत फ़ज्र, चार (4) रक्अत ज़ुहर चार (4) रक्अत अस्र तीन (3) रक्अत मग़रिब चार (4) रक्अत इशा और तीन (3) रक्अत वित्र खुलासा यह कि फ़र्ज़ और वित्र की कज़ा है सुन्नत नमाज़ों की कज़ा नहीं है।

# नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा

सवाल:- नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है।

जवाब:- नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा यह है कि बा वज़ू क़िबलारू दोनों पांव के पंजों में चार उंगल का फ़ासिला करके खड़ा हो और दोनों हाथ कान तक ले जाए कि अंगूठे कान की लौ से छू जाएं इस हाल में कि हथेलियां क़िबला रुख़ हों फिर नीयत करके अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ़ के नीचे बांध ले और सना पढ़े। सुबहा न क अल्लाहुम्म व बिहम्दि क व तबा र कसमु क व तआला जद्दु क व लाइलाह ग़ैरु क फिर तऔउज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैता निर्रजीम फिर तसमियह यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर अलहम्दु पढ़े आमीन आहिस्ता कहे उसके बाद कोई सूरत या तीन आयतें पढ़े या एक आयत जो कि छोटी तीन आयतों के बराबर हो। अब अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और घुटनों को हाथ

से पकड़ ले इस तरह कि हथेलियां घुटने पर हों। उंगलियां खूब फैली हों। पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो ऊँचा नीचा न हो और कम से कम तीन बार "सुबहान रब्बियल अज़ीम" कहे फिर "समि अल्लाहु लिमन हमिदह" कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए और अकेले नमाज़ पढ़ता हो तो उसके बाद "रब्बना लकल हम्दु" कहे फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाए इस तरह कि पहले घुटने ज़मीन पर रखे फिर हाथ फिर दोनों हाथों के बीच में नाक फिर पेशानी रखे इस तरह कि पेशानी और नाक की हड्डी ज़मीन पर जमाए और बाज़ुओं को करवटों और पेट को रानों और रानों को पिंडलियों से जुदा रखे और दोनों पांव की सब उंगलियों के पेट क़िबलारू जमे हों। और हथेलियां बिछी हों और उंगलियां क़िबला की हों और कम से कम तीन बार "सुबहान रब्बियल अअ़ला" कहे फिर सर उठाए फिर हाथ। और दाहिना क़दम खड़ा करके उसकी उंगलियां क़िबलारुख़ करे और बांया क़दम बिछा कर उस पर खूब सीधा बैठ जाए और हथेलियां बिछा कर रानों पर घुटनों के पास रखे फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाए ओर पहले की तरह सजदा करके फिर सर उठाए फिर हाथ को घुटनों पर रख कर पंजों के बल खड़ा हो जाए अब सिर्फ़ बिस्मिल्ला हिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर क़िराअत शुरू करे फिर पहले की तरह रुकू सजदा करके बायां क़दम बिछा कर बैठ जाए और तशहहुद पढ़े "अत्तही यातुलिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु

अलैक अय्युहन्नबीयु ज रहमतुल्लाहि व बर कातुहु अस्सलामु अलैना वअ़ला अेबादिल्ला हिस्सालिहीन अशहदु अललइलाह इल्लाहु व अशहदु अन न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु" तशहहुद पढ़ते हुए जब कलिमए "ला" के क़रीब पहुंचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्क़ा बनाए और छंगुलिया और उसके पास वाली को हथेली से मिलादे और लफ़्ज़े "ला" पर कलिमह की उंगली उठाए मगर उसको हिलाए नहीं। और कलिमए "इल्ला" पर गिरा दे और सब उंगलियां फौरन सीधी कर ले अब अगर दो से ज़्यादा रक्अत पढ़नी है तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े मगर फ़र्ज़ों की उन रक्अतों में अलहम्दु के साथ सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं अब पिछला क़ादा (बैठक) जिसके बाद नमाज़ ख़त्म करेगा उस में तशह्हुद के बाद दुरुद शरीफ़ पढ़े।

"अल्लाहुम्म सल्लिअला सैय्यिदिना मुहम्मदिं॰ वअला आलि सैय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लै त अला सय्यिदिना इब्राहीम वअ़ला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्न क हमीदुम्मजीद।

अल्लाहुम्म बारिक अ़ला सय्यिदिना मुहम्मदिंव्वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारक त अ़आ सय्यिदिना इब्राहीम व अ़ला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्न क हमीदुम्मजीद।

## फिर दुआ़ए मासूरा पढ़े

"अल्लाहुम्मग़ फ़िरली वलिवालिदय्य वलिमन तवाल

दवलिजमीअिल मूमिनी न वलमूमिनाति वल मुसलिमीन वल मुसलिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अम्वाति इन्न क मुजीबुद्दअ़वाति बिरह् मति क या अरहमर्राहिमीन।"

या कोई और दूसरी दुआए मासूरा पढ़े। इसके बाद दाहिने मोढे की तरफ़ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रह्मतुल्लाह कहे फिर बांए तरफ़। अब नमाज़ पूरी हो गयी।

# नमाज़ के बाद की दुअ़ा

"अल्लाहुम्म अन्तस्सलाम वमिन कस्सलाम वइलै क यराजिउ स्सलाम फ़हैयिना रब्बना बिस्सलाम वअदखिल ना दारस्सलाम व तबारक त रब्बना वतआले त या ज़लजलालि वल इकराम।



# औरतों के लिए नमाज़ के मख़सूस मसाइल

औरतें तकबीरे तहरीमा के वक़्त कानों तक हाथ न उठायें बल्कि मोढे तक उठायें हाथ नाफ़ के नीचे न बांधें बल्कि बाईं हथेली सीना पर छाती के नीचे रख कर उसकी पीठ पर दाहिनी हथेली रखें। रुकू में ज़्यादा न झुकें बल्कि थोड़ा झुकें यानी सिर्फ़ इस क़दर कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, पीठ सीधी न करें और घुटनों पर ज़ोर न दें बल्कि महज़ हाथ रख दें और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखें और पांव कुछ झुका रखें मर्दों की तरह

खूब सीधा न कर दें। औरतें सिमट कर सजदा करें यानी बाज़ू करवटों से मिला दें। और पेट रान से और रान पिंडलियों से पिंडलियां ज़मीन से। और क़ादा (बैठक) में बांए क़दम पर न बैठें बल्कि दोनों पांव दाहिनी जानिब निकाल दें और बांए सुरीन (पुट्ठा) पर बैठें। औरतें भी खड़ी होकर नमाज़ पढ़ें। फ़र्ज़ और वाजिब जितनी नमाज़ें बग़ैर उज़्र बैठकर पढ़ चुकी हैं उनकी कज़ा करें और तौबा करें। औरत मर्द की इमामत हरगिज़ नहीं कर सकती और सिर्फ़ औरतें जमाअ़त करें यह मकरूह तह़रीमी और नाजायज़ है। औरतों पर जुमा और ईदैन की नमाज़ वाजिब नहीं।

## नमाज़ की शर्तें



सवाल:- नमाज़ की शर्तें कितनी हैं।

जवाब:- नमाज़ की शर्तें छ: (6) हैं जिनके बग़ैर नमाज़ सिरे से होती ही नहीं। (1) तहारत यानी नमाज़ी के बदन, कपड़े और उस जगह का पाक होना कि जिस पर नमाज़ पढ़े। (2) सत्रे औरत यानी मर्द को नाफ़ से घुटनों तक छुपाना और औरत को सिवाये चेहरा, हथेली और क़दम के पूरा बदन छुपाना। औरत अगर इतना बारीक दोपट्टा ओढ़ कर नमाज़ पढ़े कि जिस से बाल की स्याही चमके तो नमाज़ न होगी जब कि उस पर कोई ऐसी चीज़ न ओढ़े कि जिस से बाल का रंग छुप जाय

(आलमगीरी) (3) इस्तिक़बाले क़िबला यानी नमाज़ में क़िबला की तरफ़ मुंह करना। अगर क़िबला की सम्त में शुब्हा हो तो किसी से दर्याफ़्त करले अगर कोई दूसरा मौजूद न हो तो ग़ौरो फ़िक्र के बाद जिधर दिल जमे उसी तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ले। फिर अगर बादे नमाज़ मालूम हुआ कि क़िब्लादूसरी सम्त था तो कोई हर्ज नहीं नमाज़ हो गई।

(4) वक़्त लिहाज़ा वक़्त से पहले नमाज़ पढ़ी तो न हुई जिसका बयान तफ़सील के साथ पहले गुज़र चुका है।

(5) नीयत यानी दिल के पक्के इरादा के साथ नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है और ज़ुबान से नीयत के अलफ़ाज़ कह लेना मुस्तहब है इस में अरबी की कुछ तख़सीस नहीं उर्दू वग़ैरा में भी हो सकती है। और यूं कहे नीयत की मैंने नीयत करता हूं न कहे (6) तकबी रेतहरीमा यानी नमाज़ के शुरू में अल्लाहु अकबर कहना शर्त है।

# इस्तिलाहाते शरओया का बयान

सवाल:- फ़र्ज़ और वाजिब किसे कहते हैं।

जवाब:- फ़र्ज वह काम है कि उसको जान बूझकर छोड़ना सख़्त गुनाह और जिस इबादत के अन्दर वह हो बग़ैर उसके वह इबादत दुरुस्त न हो। और वाजिब वह काम है कि उसको जान बूझकर छोड़ना गुनाह और नमाज़ में क़स्दन छोड़ने से नमाज़ का दोबारा

पढ़ना ज़रूरी और भूल कर छूट जाए तो सजदयेसह् व लाज़िम।

सवाल:- सुन्नते मुअक्कदा और ग़ैर मुअक्कदा किसे कहते हैं।

जवाब:- सुन्नते मुअक्कदा वह काम है कि जिस का छोड़ना बुरा और करना सवाब है और इत्तिफ़ाक़न छोड़ने पर अिताब और छोड़ने की आदत कर लेने पर मुस्तहिक्के अज़ाब। और सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा वह काम है कि उसका करना सवाब और न करना अगरचे आदतन हो अिताब नहीं मगर शरअन ना पसन्द हो।

सवाल:- मुस्तहब और मुबाह किसे कहते हैं।

जवाब:- मुस्तहब वह काम है कि जिसका करना सवाब और न करने पर कुछ गुनाह नहीं। और मुबाह वह काम है कि जिसका करना और न करना बराबर हो।



सवाल:- हराम और मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं।

जवाब:- हराम वह काम है कि जिसका एक बार भी जान बूझ कर करना सख़्त गुनाह है। और उससे बचना फ़र्ज़ और सवाब है। और मकरुह तहरीमी वह काम है कि जिसके करने से इबादत नाक़िस हो जाती है और करने वाला गुनाहगार होता है अगरचे उसका गुनाह हराम से कम है।

सवाल:- मकरुह तंज़ीही और ख़िलाफ़े औला किसे कहते हैं।

जवाब:- मकरुह तंज़ीही वह काम है कि जिस का करना शरीअ़त को पसन्द न हो और उससे बचना बेहत्तर और सवाब हो। और ख़िलाफ़े औला वह काम है कि जिसका न करना बेहत्तर है और

करने में कोई मुज़ाईका (हर्ज) और अ़िताब नहीं।

# नमाज़ के फ़राइज़

सवाल:- नमाज़ में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं।

जवाब:- नमाज़ में छ: (6) चीज़ें फ़र्ज़ हैं। (1) क़ियाम (2) क़िराअत (3)रुकू (4) सज्दा (5)क़ादये अख़ीरा (6) खुरुजबिसुनअिही।

सवाल:- क़ियाम फ़र्ज़ है इसका क्या मतलब है।

जवाब:- इसका मतलब यह है कि खड़े हो कर नमाज़ अदा करना ज़रूरी है तो अगर किसी ने बग़ैर उज़्र बैठ कर नमाज़ पढ़ी तो न हुई। ख्वाह औरत हो या मर्द। हां नफ़्ल नमाज़ बैठ कर पढ़ना जाइज़ है।



सवाल:- क़िराअत फ़र्ज़ है इसका क्या मतलब है।

जवाब:- इसका मतलब यह है कि फ़र्ज़ की दो रक्अतों में और वित्र सुन्नत और नफ़्ल की हर रक्अतों में कुरान शरीफ़ पढ़ना ज़रूारी है तो अगर किसी ने इनमें कुरान न पढ़ा तो नमाज़ न होगी।

सवाल:- कुरान मजीद आहिस्ता पढ़ने का अदना (कम) दर्जा क्या है।

जवाब:- आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा यह है कि खुद सुने अगर इस क़दर आहिस्ता पढ़ा कि खुद न सुना तो नमाज़ न होगी।

सवाल:- रुकू का अदना (कम) दर्जा क्या है।

जवाब:- रुकू का अदना दर्जा यह है कि हाथ घुटने तक पहुंच जाए और पूरा रुकू यह है कि पीठ सीधी बिछादे और सर पीठ के बराबर रखे ऊँचा नीचा न रखे।

सवाल:- सजदा की हक़ीक़त क्या है।

जवाब:- पेशानी ज़मीन पर जमना सजदा की हक़ीक़त है। और पांव की एक उंगली का पेट ज़मीन से लगना शर्त है तो अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पांव ज़मीन से उठे रहे तो नमाज़ न हुई बल्कि अगर सिर्फ़ उंगली की नोक ज़मीन से लगी जब भी नमाज़ न हुई (बहारे शरीअत)

सवाल:- कितनी उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना वाजिब है।

जवाब:- दोनों पांव की तीन-तीन उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना वाजिब है।

सवाल:- क़ादए अख़ीरा का क्या मतलब है।

जवाब:- नमाज़ की रक्अतें पूरी करने के बाद अत्तहीयातु व रसूलुहू तक पढ़ने की मिक़दार तक बैठना फ़र्ज़ है।

सवाल:- खुरुजबिसुनअ़िही किसे कहते हैं।

जवाब:- क़ादये अख़ीरा के बाद क़सदन मनाफ़ीये नमाज़ कोई काम करने को खुरूजबिसुनअिही कहते हैं। लेकिन सलाम के अलावा कोई दूसरा मनाफ़ी क़सदन पाया गया तो नमाज़ का दोबारा पढ़ना वाजिब है।

# नमाज़ के वाजिबात

सवाल:- नमाज़ में जो चीज़ें वाजिब हैं उन्हें बताइए।

जवाब:- नमाज़ में यह चीज़ें वाजिब हैं। तकबीरे तहरीमा में लफ़्ज़े अल्लाहु अकबर होना, अलहम्दु पढ़ना, फ़र्ज़ की दो पहली रक्अतों में और सुन्नत, नफ़्ल और वित्र अकी हर रक्अत में अलहम्दु के साथ सूरत या तीन छोटी आयत मिलाना, फ़र्ज़ नमाज़ में दो पहली रक्अतों में क़िराअत करना, अलहम्दु का सूरत से पहले होना। हर रक्अत में सूरत से पहले एक ही बार अलहम्दु पढ़ना, अलहम्दु व सूरत के दरमियान किसी अजनबी का फ़ासिल न होना, क़िराअत के बाद मुत्तसिलन (फ़ौरन) रुकु करना, सजदा में दोनों पांव की तीन तीन उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगना दोनों सजदा के दरमियान कोई रुक्न फ़ासिल न होना, तादील अरकान, क़ौमा यानी रुकु से सीधा खड़ा होना, जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना, क़ादयेऊला में तशह्हुद के बाद कुछ न पढ़ना, हर क़ादा में पूरा तशह्हुद पढ़ना, लफ़्ज़े अस्सलाम दो बार कहना, वित्र में दुआये कुनूत पढ़ना। तकबीरे कुनूत, ईदैन की छओं तकबीरें, ईदैन में दूसरी रक्अत की तकबीरे रुकु और उस तकबीर के लिए लफ़्ज़े अल्लाहु अकबर होना, हर जहरी नमाज़ में इमाम को जहर से क़िराअत करना और ग़ैरे जहरी में आहिस्ता, हर वाजिब और फ़र्ज़ का उसकी जगह पर होना, रुकु का हर रक्अत में एक ही बार होना और

सुजूद का दो ही बार होना, दूसरी से पहले क़ादा न करना और चार रक्अत वाली में तीसरी पर क़ादा न होना, आयते सजदा पढ़ी तो सजदये तिलावत करना और सहव हो तो सजदये सहव करना दो फ़र्ज़ या दो वाजिब या वाजिब फ़र्ज़ के दरमियान तीन तस्बीह की मिक़दार वक्फ़ा न होना, इमाम जब क़िराअत करे बुलन्द आवाज़ से ख्वाह आहिस्ता उस वक़्त मुक़्तदी का चुप रहना और सिवाये क़िराअत के तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना।

## नमाज़ की सुन्नतें

सवाल:- नमाज़ में सुन्नतों का बयान फ़रमाइए।

जवाब:- नमाज़ की सुन्नतें यह हैं। तहरीमा के लिए हाथ उठाना और हाथों की उंगलियां अपने हाल पर छोड़ना तकबीर के वक़्त सर न झुकाना और हथेलियों और उंगलियों के पेट का क़िब्ला रुख़ होना, तकबीर से पहले हाथ उठना इसी तरह तकबीरे कूनूत व तकबीराते ईदैन में कानों तक हाथ ले जाने के बाद तकबीर कहना, औरतों को सिर्फ़ मोढों तक हाथ उठाना, इमाम का अल्लाहु अकबर, समिअल्लाहुलिमन हमिदह और सलाम बुलन्द आवाज़ से कहना तकबीर के बाद हाथ लटकाए बग़ैर फ़ौरन बांध लेना, सना, तऔउज़ तसमिया पढ़ना और आमीन कहना और इन सब का आहिस्ता होना पहले सना पढ़ना फिर तऔउज फिर तसमिया और हर एक के बाद दूसरे को फ़ौरन

पढ़ना। रुकू में तीन बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना और घुटनों को हाथें से पकड़ना और उंगलियां खूब खुली रखना, औरतों को घुटनों पर हाथ रखना और उंगलियां कुशादा (खुली) न रखना, हालते रुकु में टांगें सीधी होना, रुकु के लिए अल्लाहु अकबर कहना, रुकु में पीठ खूब बिछी रखना, रुकु से उठने पर हाथ लटका हुआ छोड़ देना, रुकु से उठने में इमाम को समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहना, मुक़तदी को रब्बना लकलहम्दु कहना और अकेले को दोनों कहना, सजदा के लिए और सजदा से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना, सजदा में कम से कम तीन बार सुबहान रब्बियल अअ़ला कहना, सजदा करने के लिए पहले घुटना फिर हाथ फिर नाक फिर पेशानी (माथा) ज़मीन पर रखना और सजदा से उठने के लिए पहले पेशानी (माथा) फिर नाक फिर हाथ फिर घुटना ज़मीन से उठाना, सजदा में बाज़ू करवटों से और पेट रानों से अलग होना और कुत्ते की तरह कलाइयां ज़मीन पर न बिछाना, औरत का बाज़ू करवटों से पेट रानों से रान पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से मिला देना, दोनों सजदों के दरमियान (बीच) तशहहुद की तरह बैठना और हाथों को रानों पर रखना, सजदों में हाथों की उंगलियों का क़िबला रुख़ होना और मिली हुई न होना, और पांव की दसों उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना, दूसरी रकअत के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रख कर उठना, क़ादा में बायां पांव बिछा कर दोनों सुरीन (कुल्हा) उसपर रख कर बैठना,

दाहिना पैर खड़ा रखना और दाहिने पैर की उंगलियां क़िबला रुख़ (क़िबला की तरफ़) करना, औरत को दोनों पांव दाहिनी तरफ़ निकाल कर बायें सुरीन (कूल्हे) पर बैठना, दाहिना हाथ दाहिनी रान पर और बायां हाथ बाईं रान पर रखना और उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ना, शहादत पर इशारा करना, क़ादए अख़ीरा में तशह्हुद के बाद दुरूद शरीफ़ और दुआएं मासूरा पढ़ना।

# क़िराअत का बयान

सवाल:- अगर सूरए फ़ातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाना भूल जाए और रुकु में याद आए तो क्या करे।

जवाब:- अगर सूरत मिलाना भूल जाए फिर रुकु में याद आए तो खड़ा हो जाए और सूरत मिलाए फिर रुकु करे और आखिर में सजदए सह्व करे।

सवाल:- फ़र्ज़ की पहली दो रक्अत में सूरत मिलाना भूल जाए तो क्या करे।

जवाब:- फ़र्ज़ की पहली दो रक्अतों में सूरत मिलाना भूल जाए और रुकु के बाद याद आए तो पिछली दो रक्अतों में पढ़े और सजदए सह्व करे और मग़रिब की पहली दो रक्अतों में भूल जाए तो तीसरी में पढ़े और एक रक्अत की सूरत जाती रही। आख़िर में सजदए सह्व करे।

सवाल:- अगर फ़र्ज़ की पहली दो रक्अतों में से किसी एक में

सूरत मिलाना भूल जाए और रुकु के बाद याद आए तो क्या करे।

जवाब:- तीसरी या चौथी में सूरए फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाए और सजदए सह्व करे।

सवाल:- अगर सुन्नत या नफ़्ल में सूरत मिलाना भूल जाए और रुकु के बाद सजदा वग़ैरा में याद आए तो क्या करे।

जवाब:- अख़ीर में सजदए सह्व करे।

सवाल:- पहली रक्अत में जो सूरत पढ़ी फिर उसी को दूसरी रक्अत में भूल कर शुरू कर दी तो क्या करे।

जवाब:- फिर उसी सूरत को शुरू कर दी तो उसी को पढ़े और क़सदन (जान बूझकर) ऐसा करना मकरूह तनज़ीही है हां अगर दूसरी याद न हो तो हर्ज नहीं।



सवाल:- दूसरी रक्अत में पहली वाली से ऊपर की सूरत पढ़ी यानी पहली में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी में "इन्ना आतैना क" पढ़ी तो क्या हुक्म है।

जवाब:- दूसरी रक्अत में पहली वाली से ऊपर की सूरत या आयत्त पढ़ना मकरूह तहरीमी और गुनाह है मगर भूल कर ऐसा हो तो न गुनाह है और न सजदए सह्व।

सवाल:- भूल कर दूसरी रक्अत में ऊपर की सूरत शुरू कर दी फिर याद आया तो क्या करे ।

जवाब:- जो शुरू कर चुका है उसी को पूरी करे अगरचे अभी

एक ही हर्फ़ पढ़ा हो।

सवाल:- पहली में "अलम त र कैफ़" और दूसरी में "लिइलाफ़ि" छोड़ कर "अरऐतल्लजी" पढ़ना कैसा है।

जवाब:- दूसरी में एक छोटी सूरत छोड़ कर पढ़ना मना है और भूल कर शुरू कर दी तो उसी को ख़त्म करे छोड़ने की इजाज़त नहीं।

## जमाअ़त और इमामत का बयान

सवाल:- जमाअ़त फ़र्ज़ है या वाजिब।

जवाब:- जमाअत वाजिब है, जमाअत के साथ एक नमाज़ पढ़ने से सत्ताइस (27) नमाज़ों का सवाब मिलता है। बग़ैर उज़्र एक बार भी छोड़ने वाला गुनाहगार और छोड़ने की आदत कर लेने वाला फ़ासिक़ है।

सवाल:- जमाअ़त छोड़ने के उज़्र क्या क्या हैं।

जवाब:- अंधा या अपाहिज होना, इतना बूढ़ा या बीमार होना कि मसिजद तक जाने से मजबूर हो, सख़्त बारिश या शदीद कीचड़ का हाइल होना, आंधी या सख़्त अंधेरी या सख़्त सर्दी का होना और पाख़ाना व पेशाब की सख़्त हाजत (ज़रूरत) होना वग़ैरा।

सवाल:- इमामत का सब से ज़्यादा हक़दार कौन है।

जवाब:- इमामत का सबसे ज़्यादा हक़दार वह शख़्स है जो

नमाज़ व तहारत के अहकाम सब से ज़्यादा जानता हो। फिर वह शख़्स जो तजवीद यानी क़िराअत की जानकारी ज़्यादा रखता हो। अगर कई शख़्स इन बातों में बराबर हो तो वह शख़्स ज़्यादा हक़दार है जो ज़्यादा मुत्तक़ी हो अगर इस में भी बराबर हों तो ज़्यादा उम्र वाला फिर जिस के अखलाक़ ज़्यादा अच्छे हों फिर ज़्यादा तहज्जुद गुज़ार। गरज़े कि चन्द आदमी बराबर हो तो उन में जो शरअ़ी तरजीह रखता हो वही ज़्यादा हक़दार है।

सवाल:- किन लोगों को इमाम बनाना गुनाह है।

जवाब:- फ़ासिक़े मोलिन जैसे शराबी, जुआरी, ज़िनाकार, सूदखोर, चुग़लख़ोर और दाढ़ी मुंडाने वाला या कटा कर एक मुश्त (मुट्ठी) से कम रखने वाला और वह बद मज़हब कि जिस की बद मज़हबी हद्दे कुफ्र को न पहुंची हो। उन लोगों को इमाम बनाना गुनाह है। और उनके पीछे नमाज़ मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआ़दा है।

सवाल:- वहाबी देवबन्दी के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है।

जवाब:- वहाबी देवबन्दी के अक़ीदे कुफ्री हैं मस्लन उन लोगों का अक़ीदा यह है कि जैसा इल्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है ऐसा इल्म तो बच्चों, पागलों और जानवरों को भी हासिल है जैसा कि उनके पेशवा मोलवी अशरफ़ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ़्ज़ुल ईमान में सफहा न, 8 पर हुज़ूर अलैहिस्सातु वस्सलाम के लिए कुल इलमे ग़ैब का

इन्कार करते हुए सिर्फ़ बाज़ इलमे ग़ैब के बारे में यूं लिखा है कि "इस में हुज़ूर की क्या तख़सी है ऐसा इल्म तो ज़ैद व उमर बल्कि हर सबी (बच्चा) मजनून बल्कि जमीअ़ हैवानात व बहायम के लिए भी हासिल है" मआज़ अल्लाहि रब्बिल आलमीन।

इसी तरह उनके पेशवाओं की किताबों में बहुत से कुफ्री अक़ीदे हैं जिन्हें वह हक़ मानते हैं इसलिए उनके पीछे नमाज़ पढ़ना नाजायज़ व गुनाह है अगर किसी ने ग़लती से पढ़ ली हो तो फिर से पढ़े अगर दोबारा नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। (बहारे शरीअ़त)

सवाल:- किन लोगों को इमाम बनाना मकरूह है।

जवाब:- गंवार, अंधे, वलदुज़्ज़िना, अमरद, कोढ़ी, फ़ालिज की बीमारी वाले, बर्स (कोढ़) वाला जिस का बर्स ज़ाहिर हो। इन सबको इमाम बनाना मकरूह तनज़ीही है और कराहत उस वक़्त है जबकि जमाअत में और कोई उनसे बेहतर हो और अगर वही मुस्तहिक़्के इमामत है तो कराहत नहीं। और अंधे की इमामत में तो खफ़ीफ़ कराहत है। (बहारे शरीअ़त)

## नमाज़ फ़ासिद करने वाली चीज़ें

सवाल:- किन चीज़ों से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है।

जवाब:- कलाम करने से ख़्वाह अमदन (जानबूझकर) हो या ग़लती या भूल कर। अपनी ख़ुशी से बात करे या किसी के मजबूर

करने पर बहर सूरत नमाज़ जाती रहेगी। ज़ुबान से किसी को सलाम करे जान कर या भूल कर नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी इसी तरह ज़ुबान से सलाम का जवाब देना भी नमाज़ को फ़ासिद कर देता है। किसी की छींक के जवाब में "यरहमुकल्लाह" कहा या खुशी की खबर सुन कर जवाब में "अलहम्दुलिल्लाह" कहा या तअज्जुब में डालने वाली खबर सुन कर जवाब में "सुबहानल्लाह" कहा या बुरी खबर सुन कर जवाब में "इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन" कहा तो इन तमा मशक्लों में नमाज़ जाती रहेगी। लेकिन अगर खुद उसी को छींक आई तो हुक्म है कि चुप रहे और अगर "अलहम्दुलिल्लाह" कह लिया तो भी नमाज़ में हरज नहीं। नमाज़ पढ़ने वाले ने अपने इमाम के अलावा दूसरे को लुक़्मा दिया (याद दिलाया) तो नमाज़ फ़ासिद हो गई। इसी तरह अपने मुक़्तदी के अलावा दूसरे का लुक़्मा लेना भी नमाज़ को फ़ासिद कर देता है। और ग़लत लुक़्मा देने से लुक़्मा देने वाले की नमाज़ जाती रहती है। "अल्लाहु अकबर" की अलिफ़ को खैंच कर "आललाहु अकबर" या आकबर या अकबार कहना नमाज़ को फ़ासिद कर देता है इसी तरह "अल्लाहु अकबर" की 'र' को 'द' पढ़ने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। और "नस्तईन" को "नस्ताईन" पढ़ने से नमाज़ जाती रहती है। और अनअम्त की त को ज़बर के बजाय ज़ेर या पेश पढ़ने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। आह, ओह, उफ़ तुफ़ दर्द या मुसीबत की वजह से कहे या आवाज़ के

साथ रोए और हुरूफ़ (अक्षर) पैदा हुए तो इन सब सूरतों में नमाज़ जाती रहेगी। लेकिन अगर मरीज़ की जुबान से बे इखतियार "आह" या "ओह" निकले तो नमाज़ फ़ासिद न हुई इसी तरह छींक, खांसी, जमाही, और डेकार में जितने हुरूफ़ मजबूरन निकलते हैं मुआफ़ हैं। दांतों के अन्दर खाने की कोई चीज़ रह गई थी उस को निगल गया अगर चने से कम है तो नमाज़ मकरूह हुई और चने के बराबर है तो फ़ासिद हो गई। औरत नमाज़ पढ़ रही थी बच्चा ने उसकी छाती चूसी अगर दूध निकल आया तो नमाज़ जाती रही। नमाज़ी के आगे से गुज़रना नमाज़ को फ़ासिद नहीं करता ख्वाह गुज़रने वाला मर्द हो या औरत मगर गुज़रने वाला सख्त गुनाहगार होता है। हदीस शरीफ़ में है कि नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाला अगर जानता कि इस पर क्या गुनाह है तो ज़मीन में धंस जाने को गुज़रने से अच्छा जानता।

# नमाज़ के मकरूहात

सवाल:- नमाज़ के अन्दर जो बातें मकरूह हैं उन्हें बताइए।

जवाब:- कपड़े, बदन या दाढ़ी के साथ खेलना कपड़ा समेटना जैसे सजदा में जाते वक़्त आगे या पीछे से उठाना, कपड़ा लटकाना यानी सर या मोंढे पर इस तरह डालना कि दोनों कनारें लटकते हों, किसी आसतीन का आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ाना। दामन समेट कर नमाज़ पढ़ना, शिद्दत का (ज़ोरदार) पाख़ाना

पेशाब मालूम होते वक़्त या ग़ल्बये रियाह के वक़्त नमाज़ पढ़ना मर्द का जूढ़ा बांधे हुए नमाज़ पढ़ना, उंगलियां चटकाना, उंगलियों की कैंची बांधना, कमर पर हाथ रखना, इधर उधर मुंह फेर कर देखना, आसमान की तरफ़ निगाह उठाना। तशह्हुद या सजदों के दरमियान कुत्ते की तरह बैठना, मर्द का सजदा में कलाइयों का बिछाना, किसी शख़्स के मुंह के सामने नमाज़ पढ़ना, कपड़े में इस तरह लिपट जाना कि हाथ भी बाहर न हो। पगड़ी इस तरह बांधना कि बीच सर पर न हो नाक और मुंह को छिपाना बे ज़रूरत खंकार निकालना, बिलकस्द जमाही लेना और खुद आए तो हर्ज नहीं, जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर (फोटो) हो उसे पहन कर नमाज़ पढ़ना, तस्वीर का नमाज़ी के सर पर यानी छत में होना या लटका होना या सजदा करने की जगह में होना कि उस पर सजदा वाक़े हो, नमाज़ी के आगे या दाहिने या बायें या पीछे तस्वीर का होना जब कि लटकी हो या नसब हो या दीवार वग़ैरा में मनक़ूश हो (दीवार पर खोद कर या वैसे ही किसी जानदार की तस्वीर बनी होना) उलटा कुरआन मजीद पढ़ना, किसी वाजिब को तर्क करना (छोड़ना) क़ियाम के अलावा किसी और मौक़ा पर कुरआन पढ़ना रुकु में क़िराअत को खत्म करना, इमाम से पहले मुक़्तदी का रुकु व सुजूद वग़ैरा में जाना या उससे पहले सर उठाना यह तमाम बातें मकरूह तहरीमी हैं।

# वित्र का बयान

सवाल:- नमाज़े वित्र किस तरह पढ़ी जाती है।

जवाब:- नमाज़े वित्र भी उसी तरह पढ़ी जाती है जिस तरह और नमाज़ पढ़ी जाती है। लेकिन वित्र की तीसरी रक्अत में अलहम्दु और सूरत पढ़ने के बाद कानों तक दोनों हाथ ले जाये और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ वापस लाए और नाफ़ (ढोंड़ी) के नीचे बांध ले। फिर दुआए कूनूत पढ़े फिर उसके बाद और नमाजों की तरह रुकु और सजदा वग़ैरा करके सलाम फेर दे।

# दुआए कुनूत



"अल्लाहुम्म इन्ना नस्तओनु क व नस्तग़फ़िरु क व नुमिनु बि क व नतवक्कलु अलै क व नुसनी अलैकल खैर व नशकुरुक वला नकफुरुक व नखलउ व नतरुकु मैंयफजुरु क अल्ला हुम्म ईया का नअबुदु व ल क नुसल्ली व नसजुदु व इलैक नसआ व नह फिदु व नरजू रहमत क व नखूशा अज़ाब क इन्न अज़ाब क बिल कुफ़्फ़ारि मुलहिक़"

सवाल:- जिस शख़्स को दुआए कुनूत याद न हो वह क्या पढ़े।

जवाब:- जिस शख़्स को दुआए कुनूत याद न हो वह यह दुआ पढ़े।

"अल्लाहुम्म रब्बना आतिना फ़िद्दुनयां ह़स नतौं वफ़िल

आखिरति ह़स नतौं वकि़ना अज़ाबन्नार"

सवाल:- अगर दुआए कुनूत न पढ़े तो क्या हुक्म है।

जवाब:- अगर दुआए कुनूत क़सदन (जान बूझ) कर न पढ़े तो नमाज़े वित्र फिर से पढ़े और अगर भूल कर न पढ़े तो आखिर में सजदए सह्व करे।

सवाल:- अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए और रुकु में याद आए तो क्या करे।

जवाब:- अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए और रुकू में याद आए तो न कि़याम की तरफ़ लौटे और न रुकू में पढ़े बल्कि आखिर में सजदये सह्व करे।

# सुन्नत और नफ़्ल का बयान

सवाल:- कितनी नमाज़ें सुन्नते मुअक्कदा हैं।

जवाब:- दो रक्अत फ़ज्र के फ़र्ज़ से पहले, चार रक्अत जुहर के फ़र्ज़ से पहले और दो रक्अत जुहर फ़र्ज़ के बाद, दो रक्अत मग़रिब फ़र्ज के बाद, दो रक्अ़त इशा फ़र्ज़ के बाद, चार रक्अत जुमा फ़र्ज़ से पहले और चार रक्अत रक्अत जुमा फ़र्ज़ के बाद, इन सुन्नतों को "सुन्ननतुलहुदा" भी कहा जाता है।

सवाल:- कितनी नमाज़ें सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा हैं।

जवाब:- चार रक्अत अस्र के फ़र्ज़ से पहले, चार रक्अत इशा फ़र्ज़ के पहले, जुहर फ़र्ज़ के बाद दो के बजाय चार इसी तरह

इशां फ़र्ज़ के बाद दो के बजाय चार रक्अत, मग़रिब के बाद छः (6) रक्अत सलातुल अव्वाबीन, दो रक्अत तहीयतुल मस्जिद, दो रक्अ़त तहीयतुल वज़ू दो रक्अ़त नमाज़े इशराक़ कम से कम दो रक्अत नमाज़े चाश्त और ज़्यादा से ज़्यादा बारह (12) रक्अ़त , कम से कम दो रक्अ़त नमाज़े तहज्जुद और ज़्यादा से ज़्यादा आठ रक्अत, सलातुत्तसबीह, नमाज़े इसतिख़ारा और नमाज़े हाजत वग़ैरा इन सुन्नतों को सुननुज़्ज़वाइद और कभी मुसतहब भी कहते हैं।

सवाल:- जमाअत खड़ी होने के बाद किसी सुन्नत का शुरू करना जाइज़ है या नहीं।

जवाब:- जमाअत खड़ी हो जाने के बाद फज्र की सुन्नत के अलावा किसी सुन्नत का शुरू करना जाइज़ नहीं। अगर यह जाने कि फ़ज्र की सुन्नत पढ़ने के बाद जमाअ़त मिल जाएगी अगरचे क़ादा (बैठक) ही में शामिल होगा तो सुन्नत पढ़ ले मगर सफ़ (लाइन) के बराबर खड़े होकर पढ़ना जाइज़ नहीं बल्कि सफ़ (लाइन) से दूर हट कर पढ़े।

सवाल:- किन वक़्तों में नफ़्ल नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं।

जवाब:- तुलू व गुरुब (निकलना सूरज का और डूबना सूरज का) और दोपहर इन तीनों वक़्तों में कोई नमाज़ जाइज़ नहीं। न फ़र्ज़ न वाजिब और न नफ़्ल। हां अगर उस रोज़ अस्र की नमाज़ नहीं पढ़ी है तो सूरज डूबने के वक़्त पढ़ले। और तुलूए

फ़ज्र से तुलूए आफ़ताब (सूरज) के दरमियान सिवाय दो रक्अत सुन्नते फ़ज्र के तहीयतुल मस्जिद और तहीयतुलवज़ू वग़ैरा कोई नफ़्ल जाइज़ नहीं और नमाज़े अस्र से मग़रिब की फ़र्ज़ पढ़ने के दरमियान नफ़्ल मना है और खुतबा के वक़्त और और नमाज़े ईदैन से पेश्तर (पहले) नफ़्ल मकरूह है। चाहे घर में पढ़े या ईदगाह व मस्जिद में और नमाज़े ईदैन के बाद भी नफ़्ल मकरूह है जब कि ईदगाह या मस्जिद में पढ़े घर में पढ़ना मकरूह नहीं है।

सवाल:- नफ़्ल नमाज़ बैठ कर पढ़ सकते हैं या नहीं।

जवाब:- बैठ कर पढ़ सकते हैं मगर जबकि कुदरत (ताक़त) हो तो खड़े होकर पढ़ना अफ़ज़ल है।



# तहीयतुलवज़ू

मुस्लिम शरीफ़ में है कि नबीये करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स वज़ू करे और अच्छा वज़ू करे और ज़ाहिर व बातिन से मुतवज्जेह होकर दो रक्अत (नमाज़ तहीयतुलवज़ू) पढ़े उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है।

# नमाज़े इशराक़

तिर्मिज़ी शरीफ़ में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि जो फ़ज्र की नमाज़ जमाअत से पढ़ कर खुदा का ज़िक्र करता

रहे यहां तक कि सूरज बुलन्द हो जाए फिर दो रक्अत (नमाज़े इशराक़) पढ़े तो उसे पूरे हज और उमरा का सवाब मिलेगा।

## नमाज़े चाश्त

चाश्त की नमाज़ मुसतहब है कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा बारह (12) रक्अतें हैं तिर्मिज़ी और इब्ने माज़ा में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया जो चाश्त की दो रक्अतों पर मुहाफ़ज़त करे उसके गुनाह बख़्श दिए जाएंगे अगरचे समुन्दर के झाग बराबर हो।

## नमाज़े तहज्जुद



तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त इशा की नमाज़ के बाद सो कर उठे उस वक़्त से तुलूये सुबह सादिक़ तक है तहज्जुद की नमाज़ कम से कम दो रक्अत है और हुज़ूर अलैहिस्सालाम से आठ तक साबित है। हदीस शरीफ़ में इस नमाज़ की बड़ी फ़ज़ीलत (बड़ाई) आई है नसई और इब्ने माजा ने अपनी सुनन में रिवायत की कि रसूलुल्लाह सलल्लाहु अलैहिवसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स रात में बेदार हो (जागे) और अपने अहल को जगाए फिर दोनों दो-दो रक्अत पढ़ें तो कसरत से याद करने वालों में लिखे जायेंगे।

# सलातुत्तसबीह

सलातुत्तसबीह में बे इन्तेहा सवाब है। बाज़ मुहक़्क़ीन फ़रमाते हैं कि उसकी बुजुरगी सुनकर तर्क न करेगा मगर दीन में सुस्ती करने वाला हदीस शरीफ़ में है कि हुजूर सल्ललहु तआ़ला अलैहिवसल्लम ने हज़रते अब्बास रज़ियल्ला हुतआला अनहु से फ़रमाया कि ऐ चचा। अगर तुम से हो सके तो सलातुत्तसबीह हर रोज़ एक बार पढ़ो। और अगर रोज़ न हो सके तो हर जुमा को एक बार पढ़ों। और यह भी न हो सके तो हर महीना में एक बार। और यह भी न हो सके तो साल में एक बार और यह भी न हो सके तो उम्र में एक बार। इस नमाज़ की तरकीब सु न ने तिर्मिज़ी में हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से इस तरह मज़कूर है कि तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़े फिर पन्द्रह (15) बार यह तस्बीह पढ़े।

"सुबहानल्लाहि वलहम्दु लिल्लाहि वलाइला-ह-इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर तऔउज, तसमिया, सूरये फ़ातिहा और सूरत पढ़ कर दस बार ऊपर वाली तस्बीह पढ़े फिर रुकू करे और रुकू में दस बार पढ़े फिर रुकू से सर उठाए और तसमीअ-व-तहमीद के बाद दस बार वाही तस्बीह पढ़े फिर सजदा को जाए और उसमें दस मरतबा पढ़े फिर सजदा से सर उठाए तो दस बार दस बार पढ़े फिर दूसरे सजदा में जाए तो दस बार पढ़े। इसी तरह चार रक्अत पढ़े और रुकू व सुजूद में सुबहा न

रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल अअ़ला कहने के बाद तस्बीहात पढ़े।

## नमाज़े हाजत

अबूदाऊद में है हज़रते हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अनहु फ़रमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई अहम मुआ़मिला पेश आता तो आप उसके लिए दो या चार रक्अत नमाज़ पढ़ते। हदीस शरीफ़ में है कि पहली रक्अत में सूरए फ़ातिहा और तीन बार आयतल कुर्सी पढ़े और बाक़ी तीन रक्अतों में सूरए फ़ातिहा, कुलहुवल्लाहु, कुलअऊजु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल अऊजु बिरब्बिन्नास एक एक बार पढ़े तो यह ऐसी है जैसे शबे क़द्र में चार रक्अतें पढ़ी। मशाइख फ़रमाते हैं कि हमने यह नमाज़ पढ़ी और हमारी हाजते (ज़रूरतें) पूरी हुईं।

## तरावीह का बयान

सवाल:- तरावीह सुन्नत है या नफ़्ल।

जवाब:- तरीवीह मर्द व औरत सब के लिए सुन्नते मुअक्किदा है। उसका छोड़ना जाइज़ नहीं।

सवाल:- तरावीह की कितनी रक्अतें हैं।

जवाब:- तरावीह की बीस (20) रक्अतें हैं।

सवाल:- बीस रक्अतें तरावीह में क्या हिकमतें है।

जवाब:- बीस रक्अत तरावीह में हिकमत यह है कि सुन्नतों से फ़राइज़ और वाजिबात की तकमील होती है और सुबह से शाम तक फ़र्ज़ व वाजिब कुल बीस रक्अतें हैं तो मुनासबि हुआ कि तरावीह भी बीस (20) रक्अतें हो ताकि मुकम्मल करने वाली सुन्नतों की रक्अत और जिनकी तकमील होती है यानी फ़र्ज़ व वाजिब की रक्अत की तादाद बराबर हो जाए।

सवाल:- तरावीह की बीस रक्अतें किस तरह पढ़ी जाएं।

जवाब:- बीस रक्अतें दस सलाम से पढ़ी जाएं यानी हर दो रक्अत पर सलाम फेरे और हर तरावीह यानी चार रक्अत पर इतनी देर बैठना मुसतहब है कि जितनी देर में चार रक्अतें पढ़ी हैं।



सवाल:- तरावीह की नीयत किस तरह की जाए।

जवाब:- नीयत की मैंने दो रक्अत नमाज़ तरावीह सुन्नत रसूलुल्लाह की अल्लाह तआला के लिए (मुक़्तदी इतना और कहे पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- तरावीह की हालत में चुपका बैठा रहे या कुछ पढ़े।

जवाब:- इखतियार है चाहे चुपका बैठा रहे चाहे कलिमह या दुरूद शरीफ़ पढ़े और आम तौर से यह दुआ पढ़ी जाती है। "सुबहा न जिलमुल्किवल मलकूति सुबहा न जिल इज़्ज़ति वल

अजमति वल हैबति वल कुदरत्ति वल किबरियाइ वल जबरूत। सुबहा नलमलिकिल हैयिल्लजी ला यनामु वलायमूत। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह"

सवाल:- तरावीह जमाअ़त से पढ़ना कैसा है।

जवाब:- तरावीह जमाअ़त से पढ़ना सुन्नते किफ़ाया है। यानी अगर मस्जिद में तरावीह की जमाअ़त न हुई तो मुहल्ला के सब लोग गुनाहगार हुए और अगर कुछ लोगों ने मस्जिद में जमाअ़त से पढ़ ली तो सब लोग छुटकारा पा गए।

सवाल:- तरावीह में कुरआन मजीद खत्म करना कैसा है।

जवाब:- पूरे महीने की तरावीह में एक बार कुरआन मजीद खत्म करना सुन्नते मुअक्कदा है। और दो बार खत्म करना अफ़ज़ल है और तीन बार खत्म करना मज़ीद (ज़्यादा) फ़ज़ीलत रखता है बशर्ते कि मुक़तदियों को तकलीफ़ न हो मगर एक बार खत्म करने में मुक़तदियों का लिहाज़ नहीं किया जाएगा।

सवाल:- बिला उज़्र (मजबूरी) बैठ कर तरावीह पढ़ना कैसा है।

जवाब:- बिला उज़्र बैठ कर तरावीह पढ़ना मकरूह है बल्कि बाज़ फुक़हाये किराम के नज़दीक तो नमाज़ होगी ही नहीं (बहारे शरीअ़त)

सवाल:- बाज़ लोग शुरू रकअ़त से शरीक नहीं होते बल्कि जब इमाम रुकू में जाने लगता है तो शरीक होते हैं उनके लिए क्या हुक्म है।

जवाब:- नाजाइज़ है ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि इसमें मुनाफ़िक़ीन से मुशाबहत पाई जाती है

# क़ज़ा नमाज़ का बयान

सवाल:- अदा और कज़ा किसे कहते हैं।

जवाब:- किसी इबादत को उसके वक़्ते मुकर्ररह पर करने को अदा करते हैं और वक़्त गुज़र जाने के बाद अमल करने को क़ज़ा कहते हैं

सवाल:- किन नमाज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है।

जवाब:- फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा फ़र्ज़ है, वित्र की कज़ा वाजिब है और फ़ज्र की सुन्नत अगर फर्ज के साथ क़ज़ा हो और ज़वाल से पहले पढ़े तो फ़र्ज़ के साथ सुन्नत भी पढ़े और ज़वाल के बाद पढ़े तो सुन्नत की क़ज़ा नहीं और ज़ुहर या जुमा के पहले की सुन्नतें कज़ा हो गई और फ़ज्र पढ़ली अगर वक़्त खत्म हो गया हो तोइन सुन्नतों की कज़ा नहीं और अगर वक़्त बाक़ी है तो पढ़े और अफ़ज़ल यह है कि पिछली सुन्नतें पढ़ने के बाद उनको पढ़े।

सवाल:- छूटी हुई नमाज़ किस वक़्त पढ़नी चाहिए।

जवाब:- छः (6)या उससे ज़्यादा छूटी हुई नमाजें पढ़ने के लिए कोई वक़्त मुक़र्रर नहीं है हां जल्द पढ़ना चाहिए ताख़ीर (दिरी) नहीं करना चाहिए और उम्र में जब भी पढ़ेगा छुटकारा पा

जायेगा लेकिन सूरज निकलने सूरज डूबने और ज़वाल के वक़्त क़ज़ा नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं।

सवाल:- अगर पांच या इससे कम नमाज़ें क़ज़ा हों तो उन्हें कब पढ़ना चाहिए।

जवाब:- जिस शख़्स की पांच या उससे कम नमाज़ें क़ज़ा हों वह साहबे तरतीब है। उस पर लाज़िम है कि वक़्ती नमाज़ से पहले क़ज़ा नमाज़ें बित्ततरतीब पढ़े अगर वक़्त में गुंजाइश होते हुए वक़्ती नमाज़ पहले पढ़ली तो न हुई इस मसला की मज़ीद तफ़सील बहारे शरीअत में देखनी चाहिए।

सवाल:- अगर कोई नमाज़ क़ज़ा हो जाए जैसे फ़ज्र की नमाज़ तो नीयत किस तरह करनी चाहिए।

जवाब:- जिस रोज़ और जिस वक़्त की नमाज़ क़ज़ा हो उस रोज़ और उस वक़्त की नीयत क़ज़ा में ज़रूरी है। जैसे अगर जुमा के रोज़ फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो इस तरह नीयत करे। नीयत की मैंने दो रकअत नमाज़ क़ज़ा जुमा के फ़ज्र फ़र्ज़ की अल्लाह तआला के लिए मुंह मेरा काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर इसी पर दूसरी क़ज़ा नमाज़ों की नीयतों को समझ लेना चाहिए।

सवाल:- अगर महीना दो महीना या साल दो साल की नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं तो नीयत किस तरह करनी चाहिए।

जवाब:- ऐसी सूरत में जो नमाज़ जैसे ज़ुहर की क़ज़ा पढ़नी

है तो इस तरह नीयत करे। नीयत की मैंने चार रक्अत नमाज़ कज़ा जो मेरे ज़िम्मे बाकी है उनमें से पहले ज़ुहर फ़र्ज़ की अल्लाह तआला के लिए मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर। और मग़रिब की पढ़नी हो तो यूं नीयत करे नीयत की मैंने तीन रक्अत नमाज़ क़ज़ा जो मेरे ज़िम्मे बाकी है उनमें से पहले मग़रिब फ़र्ज़ की अल्लाह तआला के लिए मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर। इसी तरीके पर दूसरी क़ज़ा नमाज़ों की नीयतों को समझना चाहिए।

सवाल:- क्या क़ज़ा नमाज़ों की रक्अतें भी खाली और भरी यानी बग़ैर सूरत और सूरत के साथ पढ़ी जाती है।

जवाब:- हां जो रक्अतें अदा में सूरत के साथ पढ़ी जाती हैं वह क़ज़ा में भी सूरत के साथ पढ़ी जाती हैं और जो रक्अतें अदा में बग़ैर सूरत के पढ़ी जाती है वह क़ज़ा में भी बग़ैर सूरत के पढ़ी जाती हैं।

सवाल:- बाज़ लोग शबे क़द्र या रमज़ान के आखिरी जुमा को क़ज़ाए उम्री के नाम से दो या चार रक्अत पढ़ते हैं और यह समझते हैं कि उम्र भर की क़ज़ा इसी एक नमाज़ से अदा हो गई तो उसके लिए क्या हुक्म है।

जवाब:- यह ख़्याल बातिल है। तावक्ते कि हर एक नमाज़ की क़ज़ा अलग अलग न पढ़ेंगे तो छुटकारा न पाएंगे।

# सजदये सह् व् का बयान

सवाल:- सजदये सह् व् किसे कहते हैं।

जवाब:- सह् व् के माना हैं भूलने के। कभी नमाज़ में भूल से कोई खास खराबी पैदा हो जाती है उस खराबी को दूर करने के लिए क़ादए अख़ीरा में दो सजदे किए जाते हैं इनको सजदये सह्व् कहते हैं।

सवाल:- सजदये सह् व् का तरीक़ा क्या है।

जवाब:- सजदये सह् व् का तरीक़ा यह है कि आखिरी क़ादा (बैठक) में अत्तहीयतु व रसूलुहू तक पढ़ने के बाद सिर्फ़ दाहिनी तरफ़ सलाम फेर कर दो सजदे करे फिर तशह्हुद वग़ैरा पढ़ कर सलाम फेर दे।



सवाल:- किन बातों से सजदये सह् व् वाजिब होता है।

जवाब:- जो बातें कि नमाज़ में वाजिब हैं उनमें से किसी एक के भूल कर छूट जाने से सजदये सह् व् वाजिब होता है। जैसे फ़र्ज़ की पहली या दूसरी रक्अत में अलहम्दु या सूरत पढ़ना भूल गया या सुन्नत और नफ़्ल की किसी रक्अत में अलहम्दु या सूरत पढ़ना भूल गया या अलहम्दु से पहले सूरत पढ़ दी तो इन सूरतों में सजदयेसह् व् करना वाजिब होता है।

सवाल:- फ़र्ज़ और सुन्नत के छूट जाने से सजदये सह् व् वाजिब होता है या नहीं।

जवाब:- फ़र्ज़ छूट जाने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। सजदये

सह् व् से उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती इसलिए फिर से पढ़ना पड़ेगा। और सुन्नत व मुसतहब जैसेतऔउज़् तसमिया, सना आमीन और तकबीरात इन्तिकाल के छूट जाने से सजदये सह् व् वाजिब नहीं होता बल्कि नमाज़ हो जाती है मगर दोबारा पढ़ना मुसतहब है।

सवाल:- किसी वाजिब को क़सदन (जान बूझकर) छोड़ दिया तो सजदये सह् व् से तलाफ़ी होगी या नहीं।

जवाब:- किसी वाजिब को क़सदन (जान बूझकर) छोड़ दिया तो सजदये सह् व् से उस नुक़्सान की तलाफ़ी नहीं होगी बल्कि नमाज़ को दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। इसी तरह अगर भूलकर किसी वाजिब को छोड़ दिया और सजदये सह् व् न किया जब भी नमाज़ का दोबारा पढ़ना वाजिब है।



सवाल:- एक नमाज़ में कई वाजिब छूट गए तो क्या हुक्म है।

जवाब:- इस सूरत में भी सह् व् के वही दो सजदे काफ़ी हैं।

सवाल:- फ़र्ज़ या वित्र में क़ादये ऊला (पहली बैठक) भूल कर तीसरी रक्अत के लिए खड़ा हो रहा था कि याद आ गया तो इस सूरत में क्या करे।

जवाब:- अगर अभी सीधा नहीं खड़ा हुआ है तो बैठ जाए और सजदये सह् व् न करे। और अगर सीधा खड़ा हो गया तो न लौटे और आखिर में सजदये सह् व् करे और अगर लौटा तो इस सूरत में भी सजदये सह् व् वाजिब होता है।

सवाल:- रुकू, सजदा या क़ादा में भूल कर कुरआन पढ़ दिया तो क्या हुक्म है।

जवाब:- इस सूरत में भी सजदये सह् व् वाजिब है।

सवाल:- अगर फ़र्ज़ का क़ादए अख़ीरा (पिछली बैठक) नहीं किया और भूल कर खड़ा हो गया तो क्या करे।

जवाब:- जब तक उस रक्अत का सजदा न किया हो लौट आए और अत्तहीयात पढ़ कर दाहिनी तरफ़ सलाम फेरे और सजदये सह् व् करे। और अगर उस रक्अत का सजदा कर लिया तो सजदा से सर उठाते ही वह फ़र्ज़ नफ़्ल हो गया इसलिए अगर चाहे तोअलावा मग़रिब के दूसरी नमाज़ों में एक रक्अत और मिलाए ताकि रक्अत ताक़ न रहे।



सवाल:- अगर सुन्नत और नफ़्ल का क़ादा (बैठक) न किया और भूल कर खड़ा हो गया तो क्या करे।

जवाब:- सुन्नत और नफ़्ल का हर क़ादा (बैठक) क़ादए अख़ीरा है यानी फ़र्ज़ है। अगर क़ादा न किया और भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक उस रक्अत का सजदा न करे लौट आए और सजदये सह् व् करे।

सवाल:- अगर क़ादए अख़ीरा (पिछली बैठक) में अत्तहीयातु व रसूलुहु तक पढ़ने के बाद भूल कर खड़ा हो गया तो क्या करे।

जवाब:- अगर बक़द्रे तशह्हुद क़ादए अख़ीरा करने के बाद भूल

कर खड़ा हो गया तो जब तक उस रक्अत का सजदा न किया हो लौट आए और दोबारा अत्तहीयात पढ़े बग़ैर सजदए सह् व् करे। फिर तशह् हुद वग़ैरा पढ़ कर सलाम फेर दे।

सवाल:- क़ादयेऊला (पहली बैठक) में भूल कर दूरूद शरीफ़ भी पढ़ लिया तो क्या हुक्म है।

जवाब:- अगर "अल्लाहुम्म सल्लि अलामुहम्मदिन" या "अल्लाहुम्म सल्लि अला सैयिदेना" तक पढ़ा या इस से ज़्यादा पढ़ा तो सजदए सह् व् वाजिब है और अगर उससे कम पढ़ा तो नहीं। मगर यह हुक्म सिर्फ़ फ़र्ज़, वित्र और जुहर व जुमा की पहली चार रक्अत वाली सुन्नतों के लिए है रहे दीगर सुनन व नवाफ़िल तो उनके क़ादएऊला में भी दुरूद शरीफ़ पढ़ने का हुक्म है।



सवाल:- जहरी नमाज़ में भूलकर आहिस्ता पढ़ दिया या सिर्री नमाज़ में जहर् से पढ़ दिया तो क्या हुक्म है।

जवाब:- अगर जहरी (आवाज़ से पढ़ने वाली) नमाज़ में इमाम ने भूल कर कम से कम एक आयत आहिस्ता पढ़ दी या सिर्री यानी जिसमें क़िराअत आहिस्ता पढ़ी जाती है ऐसी नमाज़ में जह् र से पढ़ दिया तो सजदए सह् व् वाजिब है और अगर एक कलिमा पढ़ा तो मुआफ़ है और मुनफ़रिद (अकेला नमाज़ पढ़ने वाला ने सिर्री नमाज़ में एक आयत जह् र से पढ़ी तो सजदए सह् व् वाजिब है और जह् र में आहिस्ता पढ़ी तो नहीं।

सवाल:- क़िराअत वग़ैरा किसी मौक़ा पर ठहर कर सोचने लगा तो क्या हुक्म है।

जवाब:- अगर एक रुक्न यानी तीन बार सुब्हानल्लाह कहने की मिक़दार वक़्फ़ा (ठहरना) हुआ तो सजदए सह् व वाजिब है।

सवाल:- जिस पर सजदए सह् व होना वाजिब था अगर सह्व होना याद न था और नमाज़ ख़त्म करने की नीयत से सलाम फेर दिया तो क्या करे।

जवाब:- अगर सह् व होना याद न था और सलाम फेर दिया तो अभी नमाज़ से बाहर नहीं हुआ इसलिए जब तक कलाम वग़ैरा कोई फ़ेल (कार्य) मनाफ़ीए नमाज़ (जो नमाज़ को फ़ासिद करे) न किया हो सजदा करे और फिर तशह् हुद वग़ैरा पढ़ कर सलाम फेर दे।



# बीमार की नमाज़ का बयान

सवाल:- अगर बीमारी के सबब खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता है तो क्या क़रे ?

जवाब:- अगर खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता कि मर्ज़ बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा या चक्कर आता है या खड़े होकर पढ़ने से पेशाब का क़तरा आएगा या बहुत शदीद दर्द नाक़ाबिले बर्दाश्त हो जाएगा तो इन सब सूरतों में बैठ कर नमाज़ पढ़े।

सवाल:- अगर किसी चीज़ की टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो इस सूरत में क्या हुक्म है।

जवाब:- अगर ख़ादिम (नौकर) या लाठी या दीवार वग़ैरा पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर पढ़े। इस सूरत में अगर बैठ कर नमाज़ पढ़ेगा तो नहीं होगी।

सवाल:- अगर कुछ देर खड़ा हो सकता है तो उसके लिए क्या हुक्म है।

जवाब:- अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है अगरचे इतना ही कि खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कहले तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर उतना कहे फिर बैठे वर्ना नमाज़ न होगी।

सवाल:- बीमारी के सबब अगर रुकू सजदा भी न कर सकता हो तो क्या करे।



जवाब:- ऐसी सूरत में रुकू सजदा इशारा से करे मगर रुकू के इशारा से सजदा के इशारा में सर को ज़्यादा झुकाए।

सवाल:- अगर बैठ कर भी नमाज़ न पढ़ सकता हो तो क्या करे ?

जवाब:- ऐसी सूरत में लेट कर नमाज़ पढ़े इस तरह कि चित्त लेट कर क़िबला की तरफ़ पांव करे मगर पांव न फ़ैलाए बल्कि घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया वग़ैरा रख कर जरा ऊँचा करले और रुकू सजदा सर झुका कर इशारा से करे यह सूरत अफ़ज़ल है। और यह भी जाइज़ है कि दाहिने या बांए

करवट लेटकर मुंह क़िबला की तरफ़ करे।

सवाल:- अगर सर से इशारा भी न हो सके तो क्या करे ?

जवाब:- अगर सर से भी इशारा न हो सके तो नमाज़ साक़ित हो जाती है फिर अगर नमाज़ के छ: (6) वक़्त इसी हालत में गुज़र जाएं तो क़ज़ा भी साक़ित हो जाती है।

# सजदए तिलावत का बयान

सवाल:- सजदए तिलावत किसे कहते हैं।

जवाब:- कुरआन में चौदा मुक़ामात (जगह)ऐसे हैं कि जिन के पढ़ने या सुनने से सजदा करना वाजिब होता है उसे सजदए तिलावत कहते हैं।



सवाल:- सजदए तिलावत का तरीक़ा क्या है।

जवाब:- सजदए तिलावत का मसनून तरीक़ा यह है कि खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाए और कम से कम तीन बार सुब्हान रब्बियल अअ़्ला कहे फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाए बस। न इसमें अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाना है और न इसमें तशह्हुद है और न सलाम।

सवाल:- अगर बैठकर सजदा किया तो सजदा अदा होगा या नहीं।

जवाब:- अदा हो जाएगा मगर मसनून यही है कि खड़ा हो कर सजदा में जाए और सजदा के बाद फिर खड़ा हो।

सवाल:- सजदए तिलावत के शाराइत क्या हैं।

जवाब:- सजदए तिलावत के लिए तहरीमा के अलावा वह तमाम शरतें हैं जो नमाज़ के लिए हैं मसलन (जैसे) तहारत, सत्रे औरत, इसतिक़बाले क़िबला और नीयत वग़ैरा।

सवाल:- सजदए तिलावत की नीयत किस तरह की जाती है।

जवाब:- नीयत की मैंने सजदए तिलावत की अल्लाह तआला के वास्ते मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के अल्लाहु अकबर।

सवाल:- उर्दू ज़ुबाना में आयते सदजा का तर्जुमा पढ़ा तो सजदा वाजिब होगा या नहीं।

जवाब:- उर्दू ज़ुबान या किसी ज़ुबान में आयते सजदा का तर्जुमा पढ़ने और सुनने से भी सजदा वाजिब होता है।



सवाल:- क्या आयते सजदा पढ़ने के बाद फ़ौरन सजदा करना वाजिब होता है।

जवाब:- अगर आयते सजदा नमाज़ के बाहर पढ़ी है तो फ़ौरन सजदा कर लेना वाजिब नहीं हां बेहतर है कि फ़ौरन कर ले और वज़ू हो तो ताख़ीर मकरूह तनज़ीही है।

सवाल:- अगर नमाज़ में आयते सजदा पढ़ी तो क्या हुक्म है।

जवाब:- अगर नमाज़ में आयते सजदा पढ़ी तो फ़ौरन सजदा कर लेना वाजिब है। तीन आयत से ज़्यादा की ताख़ीर करेगा तो गुनाहगार होगा। और अगर फ़ौरन नमाज़ का सजदा कर लिया यानी आयते सजदा के बाद तीन आयत से ज़्यादा न पढ़ा

और रुकू करके सजदा कर लिया तो अगरचे सजदए तिलावत की नीयत न हो सजदा अदा हो जाएगा (बहारे शरीअत)।

सवाल:- एक मज्लिस में सजदा की एक आयत को कई बार पढ़ा तो एक सजदा वाजिब होगा या कई सजदा।

जवाब:- एक मज्लिस में सजदा की एक आयत को कई बार-बार पढ़ने या सुनने से एक ही सजदा वाजिब होता है।

सवाल:- मज्लिस में आयत पढ़ी या सुनी और सजदा कर लिया फिर उसी मज्लिस में वही आयत पढ़ी या सुनी तो दूसरा सजदा वाजिब होगा या नहीं।

जवाब:- दूसरा सजदा नहीं वाजिब होगा वही पहला सजदा काफ़ी है।



सवाल:- मज्लिस बदलने और न बदलने की सूरतें क्या हैं ?

जवाब:- दो एक लुक़्मा खाना, दो एक घूंट पीना, खड़ा हो जाना, दो एक क़दम चलना, सलाम का जवाब देना, दो एक बात करना, और मस्जिद या मकान के एक गोशा से दूसरे गोशा की तरफ़ चलना इन तमाम सूरतों में मज्लिस न बदलेगी। हां अगर मकान बड़ा है जैसे शाही महल तो ऐसे मकान में एक गोशा से दूसरे में जाने से बदल जाएगी, और तीन लुक़्मा खाना, तीन घूंट पीना, तीन कलिमे बोलना, तीन क़दम मैदान में चलना और निकाह या खरीदो फ़रोख्त करना इन तमाम सूरतों में मज्लिस बदल जाएगी।

# मुसाफिर की नमाज़ का बयान

सवाल:- मुसाफिर किसे कहते हैं ?

जवाब:- शरीअत में मुसाफिर वह शख़्स है जो तीन रोज़ की राह जाने के इरादा से बस्ती (अपने रहने के स्थान) से बाहर हुआ।

सवाल:- मील के हिसाब से तीन रोज़ की राह की मिक़दार कितनी है।

जवाब:- खुश्की में तीन रोज़ के राह की मिक़दार 57 3/8 मील है (यानी तक़रीबन 92 किलो मीटर)

सवाल:- अगर कोई शख़्स मोटर, रेलगाड़ी या हवाई जहाज़ वग़ैरा से तीन दिन की राह थोड़े वक़्त में तै कर ले तो मुसाफ़िर होगा या नहीं।

जवाब:- मुसाफ़िर हो जाएगा ख़्वाह कितनी ही जल्दी तै करे।

सवाल:- मुसाफ़िर पर नमाज़ के बारे में क्या हुक्म है।

जवाब:- मुसाफ़िर पर वाजिब है कि क़स्र करे यानी जुहर, अस्र और इशा चार रक्अत वाली फ़र्ज़ नमाज़ को दो रक्अत पढ़े कि उसके हक़ में दो ही रक्अत पूरी नमाज़ है।

सवाल:- अगर किसी ने क़सदन (जानबूझ कर) चार ही पढ़ी तो क्या हुक्म है।

जवाब:- अगर जान बूझ कर चार पढ़ी और दोनों क़ादा (बैठक) किया तो फ़र्ज़ अदा हो गया और आखरी दो रक्अतें नफ़्ल हो

गई मगर गुनाहगार व मुस्तक़िकेनार हुआ तौबा करे और दो रक्अत पर क़ादा न किया तो फ़र्ज़ अदा न हुआ।

सवाल:- फ़ज्र, मग़रिब और वित्र में क़स्र है कि नहीं है।

जवाब:- नहीं फ़ज्र, मग़रिब, और वित्र में क़स्र नहीं है।

सवाल:- सुन्नतों में क़स्र है या नहीं।

जवाब:- सुन्नतों में क़स्र नहीं। अगर मौक़ा हो तो पूरी पढ़े वर्ना मुआफ़ हैं।

सवाल:- मुसाफ़िर किस वक़्त से नमाज़ में क़स्र शुरू करे।

जवाब:- मुसाफिर जब बस्ती की आबादी से बाहर हो जाए तो उस वक़्त से नमाज़ में क़स्र शुरू करे।

सवाल:- बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर क़स्र करेगा या नहीं।



जवाब:- अगर आबादी से बाहर हों और तीन दिन की राह तक सफ़र का इरादा भी हो तो बस स्टैण्ड और रेलवे स्टेशन पर क़स्र करेगा वर्ना नहीं।

सवाल:- अगर दो ढाई दिन की राह के इरादा से निकला वहां पहुंच कर फिर दूसरी जगह का इरादा हुआ वह भी तीन दिन से कम का रास्ता है तो वह शरअ़न मुसाफिर होगा या नहीं।

जवाब:- वह शख़्स शरअन मुसाफ़िर न होगा उस वक़्त तक कि जहां से चले वहां से तीन दिन की राह का इकट्ठे इरादा न करे यानी अगर दो दो ढाई ढाई दिन की राह के इरादा से चलता रहा तो इसी तरह अगर सारी दुनियां घूम आए मुसाफिर

न होगा।

सवाल:- मुसाफिर कब तक क़स्र करता रहे।

जवाब:- मुसाफिर जब तक किसी जगह पन्द्रह (15) दिन या इससे ज़्यादा ठहरने की नीयत न करे या अपनी बस्ती में न पहुंच जाए क़स्र करता रहे।

सवाल:- मुसाफिर अगर मुक़ीम के पीछे नमाज़ पढ़े तो क्या करे।

जवाब:- मुसाफिर अगर मुक़ीम के पीछे नमाज़ पढ़े तो पूरी पढ़े क़स्र न करे।

सवाल:- मुक़ीम अगर मुसाफ़िर के पीछे नमाज़ पढ़े तो क्या करे।



जवाब:- मुक़ीम अगर मुसाफ़िर के पीछे पढ़े तो इमाम के सलाम फेर देने के बाद अपनी बाक़ी दो रक्अतें पढ़े और उन रक्अतों में क़िराअत बिल्कुल न करे बल्कि सूरये फ़ातिहा पढ़ने की मिक़दार चुप चाप खड़ा रहे।

# जुमा का बयान

सवाल:- जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ है या वाजिब।

जवाब:- जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ है और उसकी फ़र्ज़ीयत जुहर से ज़्यादा मुअक्कद है।

सवाल:- जुमा फ़र्ज़ होने की कितनी शरतें हैं ?

जवाब:- जुमा फ़र्ज़ होने को निम्नलिखित ग्यारह (11) शरतें हैं (1-2) शहर में मुक़ीम और आज़ाद होना इसलिए मुसाफ़िर और गुलाम पर जुमा फ़र्ज़ नहीं (3) सेहत यानी ऐसे मरीज़ पर कि जुमा मसिजद तक न जा सके जुमा फ़र्ज़ नहीं (4-5-6) मर्द और आक़िल बालिग़ होना यानी औरत, पागल, और नाबालिग पर जुमा फ़र्ज़ नहीं (7-8) अंखियारा होना और चलने पर क़ादिर होना इसलिए अंधे, लुंजे, और फ़ालिज वाले पर कि जो मस्जिद तक न जा सकता हो जुमा फ़र्ज़ नहीं। (9) क़ैद में न होना मगर जबकि किसी (दैन) क़र्ज़ की वजह से क़ैद किया गया हो और अदा करने पर क़ादिर हो तो फ़र्ज़ है (10) हाकिम या चोर वग़ैरा किसी ज़ालिम का ख़ौफ़ न होना
(11) बारिश या आंधी वग़ैरा का इस क़दर न होना कि जिससे नुक़सान का क़वी अंदेशा (सख़्त ख़तरा) न हो।

सवाल:- जिन लोगों पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है अगर वह लोग जुमा में शरीक हो जाएं तो उनकी नमाज़ हो जाएगी या नहीं।

जवाब:- हो जाएगी यानी जुहर की नमाज़ उनके ज़िम्मे से उतर जाएगी

सवाल:- जुमा जाइज़ होने के लिए कितनी शरतें हैं।

जवाब:- जुमा जाइज़ होने के लिए छ: (6) शरतें हैं कि उनमें से अगर एक भी नहीं पाई गई तो जुमा होगा ही नहीं।

सवाल:- जुमा जाइज़ होने की पहली शर्त क्या है।

जवाब:- जुमा जाइज़ होने की पहली शर्त मिस्त्र या फ़नाये मिस्त्र होना है।

सवाल:- मिस्त्र और फ़नाये मिस्त्र किसे कहते हैं।

जवाब:- मिस्त्र वह जगह है कि जिसमें कई कूचे (गली) और बाज़ार हों और वह ज़िला या तहसील हो कि उसके मुतअल्लिक़ देहात गिने जाते हों। और मिस्त्र के आस पास की जगह जो मिस्त्र की मसलहतों के लिए हो उसे फ़नाए मिस्त्र कहते हैं जैसे स्टेशन कबरस्तान वग़ैरा।

सवाल:- क्या गांव में जुमा की नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं है।

जवाब:- नहीं। गांव में जुमा की नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं लेकिन जहां क़ायम हो बन्द न किया जाए कि अवाम जिस तरह भी अल्लाह व रसूल का नाम लें ग़नीमत है (फ़तावा रज़वीया)

सवाल:- गांव में जुमा की नमाज़ पढ़ने से उस दिन की जुहर नमाज़ साक़ित होती है या नहीं।

जवाब:- नहीं। गांव में जुमा की नमाज़ पढ़ने से उस दिन की जुहर की नमाज़ नहीं साक़ित होती।

सवाल:- कुछ लोग गांव में जुमा पढ़ने के बाद चार रक्अत इहतियातु ज़्ज़ुहर पढ़ते हैं क्या यह सही है।

जवाब:- नहीं बल्कि गांव में इस के बजाय चार रक्अत जुहर फ़र्ज़ पढ़ना जरूरी है अगर नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा।

सवाल:- जुमा जाइज़ होने की दूसरी शर्त क्या हैं।

जवाब:- दूसरी शर्त यह है कि बादशाह या उसका नायब जुमा क़ायम करे। और अगर इस्लामी हुकूमत न हो तो सबसे बड़ा सुन्नी सही अक़ीदा रखने वाला आलिम काइम करे कि बग़ैर उसाकी इजाज़त के जुमा नहीं क़ायम हो सकता। और अगर यह भी न हो तो आम लोग जिस को इमाम बनाएं वह कायम करे।

सवाल:- जुमा जाइज़ होने की तीसरी और चौथी शर्त क्या है।

जवाब:- तीसरी शर्त जुहर के वक़्त का होना है इसलिए वक़्त से पहले या बाद में पढ़ी न हुई या दरमियाने नमाज़ में अस्त्र का वक़्त आ गया जुमा बातिल हो गया जुहर की क़ज़ा पढ़े। और चौथी शर्त यह है कि जुहर के वक़्त में नमाज़ से पहले खुतबा हो जाये।



सवाल:- जुमा के खुतबा में कितनी बातें सुन्नत हैं।

जवाब:- उन्नीस (19) बातें सुन्नत हैं खुतबा पढ़ने वाले का पाक होना, खड़े होकर खुतबा पढ़ना, ख़ुतबा से पहले खुतबा पढ़ने वाले का बैठना खुतबा पढ़ने वाले का मिमबर पर होना, और सुनने वालों की तरफ़ मुंह और क़िबला की तरफ़ पीठ होना, हाज़िर रहने वालों का खुतबा पढ़ने वाले की तरफ़ मुतवज्जेह होना, खुतबा से पहले अऊजु बिल्ला आहिस्ता पढ़ना, इतनी बुलन्द आवाज़ से खुतबा पढ़ना कि लोग सुनें। लफ़्ज़ अलहम्दु से शुरू करना, अल्लाह तआला की सना करना, अल्लाह तआला की वहदानीयत (इकताई) और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम

की रिसालत की गवाही देना, हुजूर पर दुरूद भेजना, कम से कम एक आयत की तिलावत करना, पहले खुतबा में वाज व नसीहत होना, दूसरे में हम्द व सना, शहादत और दुरुद का इआदा करना, दूसरे में मुसलमानों के लिए दुआ करना, दोनों खुतबों का हल्का होना, और दोनों खुतबों के बीच तीन आयत की मिक़दार बैठना।

सवाल:- उर्दू में खुतबा पढ़ना कैसा है।

जवाब:- अ़रबी के अलावा किसी दूसरी जबान में पूरा खुतबा पढ़ना या अरबी के साथ किसी दूसरी ज़ुबान को मिलाना दोनों बातें सुन्नते मुतावारिसा के खिलाफ़ और मकरूह हैं।

सवाल:- खुतबा की अज़ान इमाम के सामने मस्जिद के अन्दर पढ़ना सुन्नत है या बाहर।



जवाब:- खुतबा की अज़ान इमाम के समाने मस्जिद के बाहर पढ़ना सुन्नत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबयकिराम के जमाना में खुतबा पढ़ने वाले के सामने मस्जिद के दरवाज़ा ही पर हुआ करती थी जैसा कि हदीस की मशहूर किताब अबूदाऊद जिल्द अव्वल सफ़ा 162 में है कि हज़रते साइब यजीद रज़ियाल्लाहु तआला अनहु से रिवायत है उन्होंने फ़रमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमा के रोज़ मिमबर पर तशरीफ़ रखते तो हुजूर के सामने मस्जिद के दरवाज़े पर अज़ान होती और ऐसा ही हज़रते अबूबकर व उमर रज़ियल्लाहु अनहुमा के ज़माने में। इसी लिए फ़तावा क़ाज़ी खां, आलम गीरी, बहरुर्राइक़ और फ़तहु-ल क़दीर वग़ैरा

में मस्जिद के अन्दर अज़ान देने को मना फ़रमाया और तह्तावी अलामराक़िल फ़लाह ने मकरूह लिखा।

सवाल:- जुमा जाइज़ होने की पांचवी और छठी शर्त क्या है।

जवाब:- पांचवी शर्त जमाअत का होना है जिसके लिए इमाम के अलावा कम से कम तीन मर्द का होना ज़ुरूरी है। और छठी शर्त इज़्नेआम है इसका मतलब यह है कि मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया जाए ताकि जिस मुसलमान का जी चाहे आये किसी की रोक टोक न हो।

# ईद व बक़रईद का बयान

सवाल:- ईद व बक़राईद की नमाज़ वाजिब है या सुन्नत।

जवाब:- ईद व बक़रईद की नमाज़ वाजिब है मगर इनके वाजिब और जाइज़ होने की वही शर्तें हैं जो जुमा के लिए हैं, सिर्फ़ फ़र्क़ इतना है कि जुमा में खुतबा शर्त है और ईदैन में सुन्नत, दूसरा फ़र्क़ यह है कि जुमा का खुतबा नमाज़ से पहले है और ईदैन का खुतबा नमाज़ के बाद और तीसरा फ़र्क़ यह है कि ईदैन में अज़ान व इक़ामत नहीं है सिर्फ़ दो बार “अस्सलातु जामिअह” कहने की इजाज़त है।

सवाल:- ईद व बक़रईद की नमाज़ का वक़्त कब से कब तक है।

जवाब:- ईद व बक़रईद की नमाज़ का वक़्त एक नेज़ा आफ़ताब (सूरज) बुलन्द होने के बाद से ज़वाल के पहले तक है।

सवाल:- ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है।

जवाब:- पहले इस तरह नीयत करे। नीयत की मैंने दो रक्अत नमाज़ वाजिब ईदुलफ़ित्र या ईदुल अज़हा की छ: तकबीरों के साथ अल्लाह तआला के लिए (मुक़तदी इतना और कहे पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के फिर कानों तक हाथ उठाये और अल्लाहु अकबर कह कर हाथ बांध ले फिर सना पढ़े फिर कानों तक हाथ ले जाए और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दे। फिर हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दे फिर तीसरी बार हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कह कर हाथ बांध ले। इसके बाद इमाम आहिस्ता अऊज़ु बिल्लाह व बिस्मिल्लाह पढ़कर बुलन्द आवाज़ से अलहम्दु के साथ कोई सूरत पढ़े फिर रुकू और सजदे से फ़ारिग़ होकर दूसरी रक्अत में पहले अलहम्द के साथ कोई सूरत पढ़े फिर तीन बार कानों तक हाथ ले जाए और हर बार अल्लाहु अकबर कहे और किसी मर्तबा हाथ न बांधे और चौथी बार बग़ैर हाथ उठाये अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और बाक़ी नमाज़ दूसरी नमाज़ों की तरह पूरी करे। सलाम फेरने के बाद दो खुतबे इमाम पढ़े फिर दुआ मांगे खुतबये ऊला (पहला खुतबा) शुरू करने से पहले इमाम मिमबर पर खड़ा होकर 5 बार आहिस्ता अल्लाहु अकबर कहे कि यही सुन्नत है।

सवाल:- ईदुल फ़ित्र के दिन कौन कौन से काम मुस्तहब हैं।

जवाब:- हजामत बनवाना, नाखुन तरशवाना, गुस्ल करना,

मिस्वाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुश्बू लगाना, सुबह की नमाज़ मुहल्ला की मस्जिद में पढ़ना, ईदगाह सवेरे जाना, नमाज़ से पहले सदक़ये फित्र अदा करना, ईदगाह तक पैदल जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, नमाज़ के लिए जाने से पहले ताक यानी तीन या पांच या सात खजूरें खा लेना और खजूरें न हों तो कोई मीठी चीज़ खाना, खुशी ज़ाहिर करना, आपस में मुबारकबाद देना और ईदगाह इत्मिनान व विकार के साथ नीचे निगाह किए हुए जाना। यह सब बातें ईदुलफित्र के दिन मुस्तहब हैं।

सवाल:- ईदुल अज़हा के तमाम अहकाम ईदुलफित्र की तरह हैं या कुछ फ़र्क़ है।



जवाब:- ईदुलफ़ित्र की तरह हैं सिर्फ़ बाज़ बातों में फ़र्क़ है और वह यह हैं (1) ईदुलअज़हा में मुस्तहब यह है नमाज़ अदा करने से पहले कुछ न खाए अगरचे कुर्बानी न करनी हो और अगर खलिया तो कराहत नहीं (2) ईदुलअज़हा के दिन ईदगाह के रास्ता में बुलन्द आवाज़ से तकबीर कहता हुआ जाए (3) कुर्बानी करनी हो तो मुस्तहब यह है कि पहली से दसवीं ज़िलहिज्जा तक न हजामत बनवाये और न नाखुन तरशवाये (4) नवीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से तेरहवीं की अस्र तक हर नमाज़े फ़र्ज़ पंजगाना के बाद जो जमाअत मुस्तहब्बा के साथ अदा की गई हो एक बार बुलन्द आवाज़ से तकबीर कहना वाजिब है और

तीन बार अफ़ज़ल। इसे तकबीरे तशरीक़ कहते हैं वह यह है। "अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लाइलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिलहम्दु"

# कुर्बानी का बयान

सवाल:- कुर्बानी करना किस पर वाजिब है।

जवाब:- कुर्बानी करना हर मालिके निसाब पर वाजिब है।

सवाल:- कुर्बानी का मालिके निसाब कौन है।

जवाब:- कुर्बानी का मालिके निसाब वह शख़्स है जो साढ़े बावन (52 ½) तोला चांदी या साढ़े सात (7½) तोला सोना या उनमें से किसी एक की क़ीमत का सामाने तिजारत या सामाने ग़ैरे तिजारत का मालिक हो या उनमें से किसी एक की क़ीमत भर के रुपया का मालिक हो और ममलूका (जो उसकी मिलकियत हो) चीज़ें हाजते असलीया से ज़ाइद हों।



सवाल:- मालिके निसाब पर अपने नाम से ज़िन्दगी में सिर्फ़ एक बार कुर्बानी करना वाजिब है या हर साल।

जवाब:- अगर हर साल मालिके निसाब है तो हर साल अपने नाम से कुर्बानी करना वाजिब है और अगर दूसरे की तरफ़ से भी करना चाहिता हो तो उसके लिए दूसरी कुर्बानी का इन्तिज़ाम करे।

सवाल:- कुर्बानी करने का तरीक़ा क्या है।

जवाब:- कुर्बानी करने का तरीक़ा यह है कि जानवर को बायें पहलू पर इस तरह लिटाए कि मुंह उसका क़िबला की तरफ़ हो और अपना दायां पांव उस के पहलू पर रख कर तेज़ छुरी लेकर यह दुआ पढ़े। "इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लजी फ़तरस्स मावाति वल अरज़ हनीफ़ैं व मा अना मिनल मुशरिकी न इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन लाशरीक लहु व बिजालि क उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्म मिन क व ल क बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर" पढ़ कर ज़बह करे फिर यह दुआ पढ़े "अल्लाहुम्म तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बल त मिन खलीलि क इब्राहीम अलैहिस्सातु वस्सलामु व हबीबि क मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम" अगर दूसरे की तरफ़ से कुर्बानी करे तो "मिन्नी" के बजाय "मिन" कह कर उसका नाम ले।

सवाल:- साहिबे निसाब अगर किसी वजह से अपने नाम कुर्बानी न कर सका और कुर्बानी के दिन गुजर गए तो उसके लिए क्या हुक्म है।

जवाब:- एक बकरी की क़ीमत उस पर सदक़ा करना वाजिब है।

## अक़ीक़ा का बयान

सवाल:- अक़ीक़ा किसे कहते हैं।

जवाब:- बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़बह किया

जाता है उसे अक़ीक़ा कहते हैं।

सवाल:- किन जानवरों को अक़ीक़ा में ज़बह किया जाता है।

जवाब:- जिन जानवरों को कुर्बानी में ज़बह किया जाता है। उन्हीं जानवरों को अक़ीक़ा में भी ज़बह किया जाता है।

सवाल:- लड़का और लड़की के अक़ीक़ा में कैया जानवर मुनासिब है।

जवाब:- लड़का के अक़ीक़ा में दो बकरा और लड़की के अक़ीक़ा में एक बकरी ज़बह करना मुनासिब है। और लड़का के अक़ीक़ा में बकरियां और लड़की में बकरा किया जब भी हर्ज नहीं और पहुंचान न हो तो लड़का में एक बकरा भी ज़बह कर सकते हैं। और अक़ीक़ा में बड़ा जानवर ज़बह किया जाए तो लड़का के लिए सात हिस्से में से दो हिस्से और लड़की के लिए एक हिस्सा काफ़ी है।

सवाल:- अवाम में मशहूर है कि बच्चा के मां बाप, दादा, दादी और नाना नानी अक़ीक़ा का गोश्त न खाएं क्या यह सही है।

जवाब:- ग़लत है। मां बाप, दादा दादी और नाना नानी वग़ैरा सब खा सकते हैं।

सवाल:- अक़ीक़ा के लिए कौन सा दिन बेहतर है।

जवाब:- अक़ीक़ा के लिए बच्चा की पैदाइश का सातवां दिन बेहतर है और सातवें दिन न कर सकें तो जब चाहें करे सुन्नत अदा हो जाएगी।

सवाल:- लड़का के अक़ीक़ा की क्या दुआ है।

जवाब:- लड़का के अक़ीक़ा की दुआ यह है "अल्लाहुम्म हाजिही अक़ीकतु इबनी फुलां (फुलां की जगह बेटे का नाम ले अगर दूसरे के बेटे का अक़ीक़ा करे तो इबनी फुलां की जगह लड़का और उसके बाप का नाम ले)दमुहा बिदमिही व लह् मुहा बिलह मिही व शह्मुहा बिशह्मिही व अजमुहा बिअज़्मिाही वजिलदुआ बिजिलदिही व शअरुहा बिशअरिही अल्लाहुम्मजअल्हा फिदाअन लिइबनी फुलां (इस जगह भी फुलां की जगह बेटे का नाम ले। और अगर दूसरे के लड़के का अक़ीक़ा करे तो लि के बाद उसका और उसके बाप का नाम ले)मिन्नारि व तक़बलहा मिन्दु कमा तक़ब्बल तहा मिन नबीइकल मुस्तफा वहबीबिकल मुजतबा अलैहित तहीयतु वस्सना इन्न'सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला शरीक लहू व बिजालि क उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्म मिन क व ल क बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह कर ज़बह करे।

सवाल:- लड़की के अक़ीक़ा की क्या दुआ है।

जवाब:- लड़की के अक़ीक़ा की दुआ यह है "अल्लाहुम्मा हाज़िही अक़ीक़तु बिनती फुलां (फुलां की जगह अपनी बेटी का नाम लो। अगर दूसरे की लड़की का अक़ीक़ा करे तो बिनती फुलां की जगह लड़की और उसके बाप का नाम ले)

दुमुहा बिदमिहा व लह्मुहा बिलह मिहा व शह्मुहा बिशहमिहा व अज़्मुहा बिअज़्मिहा व जिलदुहा बिजिलहिदा व शअरुहा

बिशअरिहा। अल्लाहुम्मजअल्हा फिदाअन लिबिनती फुलां (इस जगह भी फुलां की जगह बेटी का नाम ले। अगर दूसरे की लड़की का अक़ीक़ा करे तो लि, के बाद लड़की और उसके बाप का नाम ले) मिन्नारि व तकब्बल्हा मिन्हा कमा तक़ब्बल्तहा मिन नबी इकलमुस्तफ़ा व हबीबिकलमुज्तबा अलैहित्तहीयतु वस्सना इन्ना सलाती व नुसुकी व मह्याय व नमाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला शरीक लहु व बिज़ालि क उमिरतु व अना मिनल मुसिलमीन अल्लाहुम्म मिन कव ल क बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह ज़बह करे।

सवाल:- अगर यह दुआ न पढ़े तो अक़ीक़ा होगा या नहीं।

जवाब:- अगर यह दुआ न पढ़े और अक़ीक़ा की नीयत से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह कर ज़बह कर दे तो भी अक़ीक़ा हो जाएगा। (बहारे शरीअत)

# नमाज़े जनाज़ा का बयान

सवाल:- नमाज़े जनाज़ा फ़र्ज़ है या वाजिब।

जवाब:- नमाज़े जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है यानी अगर एक शख़्स ने पढ़ली तो सब छुटकारा पा गए और अगर खबर हो जाने के बाद किसी ने पढ़ी तो सब गुनाहगार हुए।

सवाल:- जनाज़ा में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं।

जवाब:- दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं चार बार "अल्लाहु अकबर" कहना,

कियाम यानी खड़ा होना।

सवाल:- नमाज़े जनाज़ा में कितनी चीज़ें सुन्नत हैं।

जवाब:- नमाज़े जनाज़ा में तीन चीज़ें सुन्नते मुअक्कदा हैं। अल्लाह तआला की सना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद, और मैइत के लिए दुआ।

सवाल:- नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का तरीक़ा क्या है।

जवाब:- पहले नीयत करे। नीयत की मैंने नमाज़े जनाज़ा की चार तकबीरों के साथ अल्लाह तआला के लिए दुआ इस मैइत के लिए (मुक़तदी इतना और कहे, पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के फिर कानों तक दोनों हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ वापस लाए और नाफ़ के नीचे बांध ले फिर यह सना पढ़े "सुब्हान क अल्लाहुम्म व बिहमदि क व तबारकस्मु क व तआ़ल जद्दु क वजल्ल सनाउ क व लाइलाह ग़ैरु क" फिर बग़ैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहे और दुरुद इब्राहीमी पढ़े जो पांच वक़्त की नमाज़ में पढ़े जाते हैं। फिर बग़ैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहे और बालिग़ का जनाज़ा हो तो यह दुआ पढ़े। अल्लाहुम्ममग्फ़िर लिहैयिना व मैयितिना व शहिदिना व ग़ाइबिना सग़ीरिना व कबीरिना व ज क रिना व उनसाना अल्लाहुम्म मन अह्यैतहू मिन्ना फ़अह् यही अलल्इस्लामि व मन तवफ्फ़ैतहू मिन्ना फ़तवफ़्फ़हू अलल्ईमान" इसके बाद चौथी तकबीर कहे फिर बग़ैर कोई दुआ पढ़े हाथ खेलकर सलाम फेर दे और नाबालिग़ बच्चे का जनाज़ा

हो तो यह दुआ पढ़ी जाए "अल्लाहुम्मजअल्हु लना फ़रतौं वज्अल्हुलना अज्रौं व जख्रौं वज्अल्हु लना शफिऔं व मुशफ्फ़आ" और अगर नाबालिग़ लड़की का जनाज़ा हो तो यह दुआ पढ़े। "अल्लाहुम्मजअल्हा लना फ़रतौं वज्अल्हा लना अज्रौं व जुख्रौं वज्अल्हा लना शा फिअतौं व मुशफ्फअत।"

सवाल:- अस्र या फज्र की नमाज़ के बाद जनाज़ा पढ़ना कैसा है।

जवाब:- जाइज़ है और यह जो अवाम में मशहूर है कि नहीं जाइज है ग़लत है।

सवाल:- क्या सूरज निकलने, डूबने और ज़वाल के वक्त नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मकरूह है।

जवाब:- जनाज़ा अगर उन्हीं वक़्तों में लाया गया तो नमाज़ उन्हीं वक़्तों में पढ़ें कोई कराहत नहीं कराहत उस सूरत में हैं कि पहले से तैयार मौजूद है और देर की यहां तक कि वक़्ते कराहत आ गया (बहारे शरीअत, आलमगीरी)

## ज़कात का बयान

सवाल:- ज़कात फ़र्ज़ है या वाजिब।

जवाब:- ज़कात फ़र्ज़ है। उसकी फ़रज़ीयत का इन्कार करने वाला काफ़िर और न अदा करने वाला फ़ासिक़ और अदायगी मे देर करने वाला गुनाहगार मरदूदुश्शहादत हैं। (गवाही न देने

के योग) (बहारे शरीअत)

सवाल:- ज़कात फ़र्ज़ होने की शर्तें क्या हैं।

जवाब:- चन्द शर्तें हैं। मुसलमान आक़िल बालिग़ होना, माल बक़दरे निसाब का पूरे तौर पर मिलकियत में होना, निसाब का हाजते अस्लीया और किसी के बक़ाया से फ़ारिग़ होना, मालेतिजारत या सोना चांदी होना और माल पर पूरा साल गुज़र जाना।

सवाल:- सोना चांदी का निसाब क्या है और उनमें कितनी ज़कात फ़र्ज़ है।

जवाब:- सोने का निसाब साढ़े सात तोला है जिसमें चालीसवां हिस्सा यानी सवा दो माशा ज़कात फ़र्ज़ है। और चांदी का निसाब साढ़े बावन तोला है जिस में एक तोला तीन माशा छ: रत्ती ज़कात फ़र्ज़ है। सोना चांदी के बजाय बाज़ार भाव से उनकी क़ीमत लगा कर रुपया वग़ैरा देना भी जाइज़ है।

सवाल:- क्या सोना चांदी के ज़ेवरात में भी ज़कात वाजिब होती है।

जवाब:- हां सोना चांदी के ज़ेवरात भी ज़कात वाजिब होती हैं।

सवाल:- तिजारती माल का निसाब क्या है।

जवाब:- तिजारती माल की क़ीमत लगाई जाए फिर उससे सोना चांदी का निसाब पूरा हो तो उसके हिसाब से ज़कात

निकाली जाए।

सवाल:- कम से कम कितने रुपये हों कि जिन पर ज़कात वाजिब होती है।

जवाब:- अगर सोना चांदी न हो और न माले तिजारत हो तो कम से कम इतने रुपये हों कि बाज़ार में साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात जोला सोना खरीदा जा सके तो उन रुपयों की ज़कात वाजिब होती है।

सवाल:- हाजते अस्लीया किसे कहते हैं

जवाब:- ज़िन्दगी बसर करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है जैसे जाड़े और गर्मियों में पहनने के कपड़े, खानादरी के सामान, पेशावरों के औज़ार और सवारी के लिए साईकिल और मोटर वग़ैरा यह सब हाजते अस्लीया में से हैं इनमें ज़कात वाजिब नहीं।



सवाल:- निसाब का दैन से फ़ारिग़ होने का क्या मतलब है।

जवाब:- इसका मतलब यह है कि मालिके निसाब पर किसी का बाक़ी न हो या इतना हो कि अगर बाक़ी अदा कर दे तो भी निसाब बचा रहे तो इस सूरत में ज़कात वाजिब है और अगर बाक़ी इतना हो कि अदा कर दे तो निसाब न रहे तो इस सूरत में ज़कात वाजिब नहीं।

सवाल:- माल पर पूरा साल गुज़र जाने का क्या मतलब है।

जवाब:- इसका मतलब यह है कि हाजते अस्लीया से जिस

तारीख को पूरा निसाब बच गया उस तारीख से निसाब का साल शुरू हो गया फिर साले आइन्दा अगर उसी तारीख को पूरा निसाब पाया गया तो ज़कात देना वाजिब है। अगर दरमियाने साल में निसाब की कमी हो गयी तो यह कमी कुछ असर न करेगी।

# उश्र का बयान

सवाल:- किन चीज़ों की पैदावार में उश्र वाजिब है।

जवाब:- गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, धान और हर क़िस्म के ग़ल्ले और अल्सी, कुसुम, अखरोट, बादाम और हर क़िस्म के मेवे, रुई, फूल, गन्ना, खरबूज़ा, तरबूज़, खीरा, ककड़ी, बैगन और हर क़िस्म की तरकारी सब में उश्र वाजिब है। थोड़ा पैदा हो या ज़्यादा।

सवाल:- किन सूरतों में दसवां हिस्सा और किन सूरतों में बीसवां हिस्सा वाजिब होता है।

जवाब:- जो पैदावार बारिश या ज़मीन की नमी से हो उसमें दसवां हिस्सा वाजिब होता है और जो पैदावार चरसे डोल, पम्पिंग मशीन या ट्यूबविल वग़ैरा के पानी से हो या खरीदे हुए पानी से हो उसमें बीसवां हिस्सा वाजिब होता है।

सवाल:- क्या खेती के अख़राजात (खर्चा) हल बैल और काम करने वालों की मज़दूरी निकाल कर दसवां बीसवां वाजिब होता

है ?

जवाब:- नहीं। बल्कि पूरी पैदावार का दसवां बीसवां वाजिब होता है।

सवाल:- गौरमिन्ट को जो माल गुज़ारी दी जाती है वह उश्र की रक़म से मुजरा की जाएगी या नहीं ?

जवाब:- वह रक़म उश्र से मुजरा नहीं की जाएगी।

सवाल:- ज़मीन अगर बटाई पर दी तो उश्र किस पर वाजिब है?

जवाब:- ज़मीन अगर बटाई पर दी तो उश्र दोनों पर वाजिब है।



# ज़कात का माल किन लोगों पर खर्च किया जाए।

सवाल:- ज़कात और उश्र का माल किन लोगों को दिया जाता है ?

जवाब:- जिन लोगों को दिया जाता है उनमें से कुछ यह हैं (1) फ़कीर यानी वह शख़्स कि जिसके पास कुछ माल है लेकिन निसाब भर नहीं (2) मिसकीन यानी वह शख़्स कि जिसके पास खाने के लिए ग़ल्ला और बदन छिपाने के लिए कपड़ा भी न हो (3) क़र्ज़दार यानी वह शख़्स कि जिसके ज़िम्मा क़र्ज़ हो और

उसके पास क़र्ज़ से फ़ाज़िल कोई माल बक़दरे निसाब न हो (4) मुसाफिर जिसके पास सफ़र की हालत में माल न रहा उसे ज़रूरत भर को ज़कात देना जाइज़ है।

सवाल:- किन लोगों को ज़कात देना जाइज़ नहीं ?

जवाब:- जिन लोगों को ज़कात देना जाइज़ नहीं उनमें से कुछ यह हैं (1) मालदार यानी वह शख़्स जो मालिके निसाब हो (2) बनी हाशिम यानी हज़रते अली, हज़रते जाफ़र, हज़रते अक़ील और हज़रते अब्बास व हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को देना जाइज़ नहीं (3) अपनी नस्ल और फ़रा यानी मां, बाप, दादा दादी, नाना नानी वग़ैरहुम और बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा नवासी को ज़कात देना जाइज़ नहीं। (4) औरत अपने शौहर को और शौहर अपनी औरत को अगरचे तलाक़ दे दी हो जब तक की इद्दत में हो ज़कात नही दे सकता (5) मालदार मर्द के नाबालिग़ बच्चे को ज़कात नहीं दे सकता और मालदार की बालिग औलाद को जबकि मालिके निसाब न हो दे सकता है। (6) वहाबी या किसी दूसरे मुरतद बद मज़हब और काफ़िर को ज़कात देना जाइज़ नहीं।

सवाल:- सैयिद को ज़कात देना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब:- सैयिद को ज़कात देना जाइज़ नहीं इसलिए कि वह भी बनी हाशिम में से हैं।

सवाल:- ज़कात का पैसा मस्जिद में लगाना जाइज़ है या नहीं?

जवाब:- ज़कात का माल मस्जिद में लगाना, मदरसा तामीर करना या उससे मैयित को कफ़न देना या कुआं बनवाना जाइज़ नहीं यानी अगर इन चीज़ों में ज़कात का माल खर्च करेगा तो ज़कात अदा न होगी (बहारे शरीअ़त)

सवाल:- कुछ लोग अपने आप को खानदानी फ़क़ीर कहते हैं उनको ज़कात और ग़ल्ला का उश्र देना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब:- अगर वह लोग साहिबे निसाब हों तो उन्हें ज़कात और उश्र देना जाइज़ नहीं।

सवाल:- किन लोगों को ज़कात देना अफ़ज़ल है ?

जवाब:- ज़कात और सदक़ात में अफ़ज़ल यह है कि पहले अपने भाई बहनों को दे फिर उनकी औलाद को फिर चचा और फूफियों को फिर उनकी औलाद को फिर मामू और खाला को फिर उनकी औलाद को फिर दूसरे रिश्तादारों को फिर पड़ोसियों को फिर अपने पेशा वालों को फिर अपने शहर या गांव के रहने वालों को। और ऐस तालिबे इल्म को भी ज़कात देना अफ़ज़ल है जो इल्मेदीन हासिल कर रहा हो बशर्ते कि यह लोग मालिके निसाब न हों।



# सदक़ये फ़ित्र का बयान

सवाल:- सदक़ये फ़ित्र देना किस पर वाजिब होता है ?

जवाब:- हर मालिके निसाब पर अपनी तरफ़ से और अपनी

हर नाबालिग़ औलाद की तरफ़ से एक एक सदक़ये फ़ित्र देना ईदुल फ़ित्र के दिन वाजिब होता है।

सवाल:- सदक़ये फ़ित्र की मिक़दार क्या है ?

जवाब:- सदक़ये फ़ित्र की मिक़दार यह है कि गेंहूं या उसका आटा आधा साअ दें। और खजूर, मुनक़्क़ा या जौ या उस का आटा एक साअ़ दें और अगर इन चारों के अलावा कोई दूसरा ग़ल्ला वग़ैरा देना चाहें तो क़ीमत का लिहाज़ करना यानी उस चीज़ का आधे साअ गेंहूं या एक साअ जौ की क़ीमत का होना ज़रूरी है।

सवाल:- साअ कितनी मिक़दार का होता है ?

जवाब:- आला दर्जा की तहक़ीक़ और इहतियात यह है कि साअ का वज़न तीन सौ इक्कयावन (351) रुपया भर होता है और आधा साअ एक सौ पच्चहत्तर (175) रुपये अठन्नी भर ऊपर।

सवाल:- नए वज़न से साअ कितने का होता है ?

जवाब:- नए वज़न से एक साअ चार किलो और तक़रीबन 94 ग्राम होता है। और आधा साअ दो किलो तक़रीबन 47 ग्राम का होता है।

सवाल:- अगर गेंहूं या जौ देने की बजाय उनकी क़ीमत दी जाये तो क्या हुक्म है।

जवाब:- गेंहूं या जौ देने के बजाय उनकी क़ीमत देना अफ़ज़ल है।

सवाल:- सदक़्ये फ़ित्र किन लोगों को देना जाइज़ है ?

जवाब:- जिन लोगों को ज़कात देना जाइज़ है उनको सदक़्येफ़ित्र भी देना जाइज़ है और जिन लोगों को ज़कात देना जाइज़ नहीं उनको सदक़्ये फ़ित्र भी देना जाइज़ नहीं।

# रोज़ा का बयान

सवाल:- रोज़ा किसे कहते हैं ?

जवाब:- सुबह सादिक़ से गुरूबे आफ़ताब (सूर्य अस्त) तक नीयत के साथ खाने, पीने और जिमा (संभोग) से रुकने का नाम रोज़ा है।

सवाल:- रमज़ान शरीफ़ के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज़ हैं ?

जवाब:- रमज़ान शरीफ़ के रोजे हर मुसलमान आक़िल बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ हैं। उनकी फ़रज़ीयत का इन्कार करने वाला काफ़िर और बिला उज़्र छोड़ने वाला सख्त गुनाहगार और फ़ासिक़ मरदूदुश्शहादत है। और बच्चा की उम्र जब दस साल हो जाये और उसमें रोज़ा रखने की ताक़त हो तो उस से रोज़ा रखवाया जाए और न रखे तो मार कर रखवायें।

सवाल:- किन सूरतों में रोज़ा न रखने की इजाज़त है ?

जवाब:- जिन सूरतों में रोज़ा न रखने की इजाज़त है उनमें से बाज़ यह हैं (1) सफ़र यानी तीन दिन की राह के इरादा से बाहर निकलना लेकिन अगर सफ़र में मशक़्क़त न हो तो रोज़ा रखना अफ़ज़ल है। (2.3) हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को अपनी जान या बच्चा का सही अंदेशा हो तो इस

हालत में रोज़ा न रखने की इजाज़त है (4) मर्ज़ यानी मरीज़ को मर्ज़ बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तन्दुरुस्त को बीमार हो जाने का गालिब गुमान हो तो उस दिन रोज़ा न रखना जाइज़ है (5) शैखे फ़ानी यानी वह बूढ़ा कि न अब रोज़ा रख सकता है और न आइन्दा उसमें इतनी ताक़त आने की उम्मीद है कि रख सकेगा तो उसे रोज़ा न रखने की इजाज़त है। और हैज़ व निफ़ास की हालतों में रोजा रखना जाइज़ नहीं।

सवाल:- क्या ऊपर बयान किए हुए लोगों को बाद में रोज़ा की क़ज़ा करना फ़र्ज़ हैं।

जवाब:- हां उज़्र खत्म हो जाने के बाद सब लोगों को रोज़ा की क़ज़ा करना फ़र्ज़ है और शैखे फ़ानी अगर जाड़ों में क़ज़ा रख सकता है तो रखे वर्ना हर रोज़ा के बदले दोनों वक़्त एक मिसकीन को पेट भर खाना खिलाए या हर रोज़ा के बदले सदक़ए फ़ित्र की मिक़दार मिसकीन को दे दे।

सवाल:- जिन लोगों को रोज़ा न रखने की इजाज़त है क्या वह किसी चीज़ को अलानियह खा पी सकते हैं।

जवाब:- नहीं। उन्हें भी अलानियह किसी चीज़ को खाने पीने की इजाज़त नहीं।

सवाल:- रमज़ान के रोज़े की नीयत किस तरह की जाती है।

जवाब:- नीयत दिल के इरादा का नाम है मगर ज़ुबान से कह लेना मुसतहब है अगर रात में नीयत करे तो यूं कहे नवैतु अन असू म ग़दन लिल्लाहि तआला मिन फ़ रज़ि र म ज़ा न और

दिन में नीयत करे तो यूं कहे नवैतु अन असू म हाजल यौम लिल्लाहि तआला मिन फ़ र ज़ि र म जा न।

सवाल:- रोज़ा इफ़तार करने के वक़्त कौन सी दुआ पढ़ी जाती है।

जवाब:- यह दुआ पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्म लक सुम्तु व बि क आमन्तु व अलै क तवक्कलतु व अला रिज़्कि क अफ़्तरतु फ़गफिरली मा क़द्दम्तु व मा अख़्ख़रतु।

## रोज़ा तोड़ने और न तोड़ने वाली चीज़ों का बयान

सवाल:- किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है ?

जवाब:- खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है जबकि रोज़ादार होना याद हो और हुक़्क़ा बीड़ी सिगरेट वग़ैरा पीने और पान या सिर्फ़ तम्बाकू खाने से भी बशर्ते कि याद हो रोज़ा जाता रहता है। कुल्ली करने में बिला इरादा पानी हलक़ से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग़ तक चढ़ गया या कान में तेल टपकाया या नाक में दवा चढ़ाई अगर रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट गया वर्ना नहीं। क़सदन (जान बूझकर) मुंह भर क़ै की और रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा जाता रहा। और मुंह भर न हो तो नहीं। और अगर बिला इख़्तियार क़ै हो और मुंह भर न हो तो रोज़ा गया और अगर मुंह भर हो तो लौटाने की सूरत में जाता रहा वर्ना नहीं (बहारे शरीअ़त)

सवाल:- किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता।

जवाब:- भूलकर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, तेल या सुर्मा लगाने और मक्खी, धुंवा या आटे वग़ैरा का गुबार (गर्दा) हलक़ में जाने से रोज़ा नहीं जाता, कुल्ली की और पानी बिल्कुल उगल दिया सिर्फ़ कुछ तरी मुंह में बाक़ी रह गयी थी थूक के साथ उसे निगल गया या कान में पानी चला गया या खंकार मुंह में आया और खा गया अगरचे कितना ही हो रोज़ा न जायेगा। इहतिलाम (स्वप्नदोष) हुआ या ग़ीबत (चुगली) की तो रोज़ा न गया अगरचे ग़ीबत सख़्त कबीरा (बड़ा ) गुनाह है। और जनाबत (नापाकी) की हालत में सुबह की बल्कि अगरचे सारे दिन जुनुब (नापाक) रहा रोज़ा न गया। मगर इतनी देर तक जान बूझकर गुस्ल न करना कि नमाज़ क़ज़ा हो जाए गुनाह और हराम है।

## रोज़ा के मकरूहात

सवाल:- किन चीज़ों से रोज़ा मकयह हो जाता है।

जवाब:- झूट, ग़ीबत, चुग़ली, गाली देने, बेहूदा बात करने और किसी को तकलीफ़ देने से रोज़ा मकरूह हो जाता है।

सवाल:- क्या रोज़ादार को कुल्ली करने के लिए मुंह भर पानी लेना मकरूह है।

जवाब:- हां रोज़ादार को कुल्ली करने के लिए मुंह भर पानी

लेना मकरूह है।

सवाल:- क्या रोज़ा की हालत में खुश्बू सूंघना, तेल मालिश करना और सुर्मा लगाना मकरूह है।

जवाब:- नहीं रोज़ा की हालत में खुश्बू सूंघना, तेल मालिश करना और सुर्मा लगाना मकरूह नहीं। मगर मर्दों को ज़ीनत के लिए सुर्मा लगाना हमेशा मकरूह है और रोज़ा की हालत में बदरजए औला (ज़रूर) मकरूह है। (बहारे शरीअ़त दुर्रे मुख़तार)

सवाल:- क्या रोज़ा में मिसवाक करना मकरूह है।

जवाब:- नहीं। रोज़ा में मिसवाक करना मकरूह नहीं बल्कि जैसे और दिनों में मिसवाक करना सुन्नत है वैसे ही रोज़ा में भी मिसवाक करना मसनून है। चाहे मिसवाक खुश्क हो या तर (गीली) और ज़वाल से पहले करे या बाद में किसी वक़्त मकरूह नहीं।



# निकाह़ का बयान

सवाल:- निकाह़ करना कैसा है।

जवाब:- जो शख़्स नान व नफ़क़ा की कुदरत रखत हो अगर उसे यक़ीन हो कि निकाह नहीं करेगा तो गुनाह में मुबतिला हो जाएगा तो ऐसे शख़्स को निकाह करना फ़र्ज़ है। और अगर गुनाहगार का यक़ीन नहीं बल्कि सिर्फ़ ख़तरा है तो निकाह करना

वाजिब है। और शहवत(लालसा) का बहुत ज़्यादा ग़लबा न हो तो निकाह करना सुन्नते मुअक्कदा है। और अगर इस बात का खतरा है कि निकाह करेगा तो नान व नफ़क़ा न दे सकेगा या निकाह के बाद जो फ़राइज़ मुतअल्लिक़ा हैं उन्हें पूरा न कर सकेगा तो निकाह करना मकरूह है। और इन बातों का खतरा ही नहीं बल्कि यक़ीन हो तो निकाह करना हराम है (दुर्रे मुखतार, बहारे शरीअ़त)

सवाल:- किन औरतों से निकाह करना हराम है।

जवाब:- मां, बेटी, बहिन, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, दूध पिलाने वाली मां, दूध शरीकी बहिन, सास, मदखूला बीवी की बेटी, नसबी बेटा की बीवी, दो बहनों को इकट्ठा करना, शौहर वाली औरत, काफ़िरा अस्लीया और मुरतद्दा वहाबीया इन सब से निकाह हराम है। इस मसअला की मज़ीद तफ़सील बहारे शरीअ़त वग़ैरा से मालूम करें।

सवाल:- अगर लड़की-लड़का नाबालिग हों तो निकाह कैसे होगा।

जवाब:- अगर नाबालिग़ हों तो उनके वली की इजाज़त से होगा।

सवाल:- वली होने का हक़ किसको है।

जवाब:- अगर औरत मजनून (पागल) है और बेटे वाली है तो उस के बेटे को वली होने का हक़ है। फिर उस के पोता पर

पोता वग़ैरा को। अगर यह न हों या जिसका निकाह है वह नाबालिग़ हो तो बाप वाली होगा। अगर यह न हो तो दादा फिर परदादा वग़ैरहुम। फिर हक़ीक़ी भाई। फिर सौतेला भाई फिर हक़ीक़ी भाई का बेटा फिर सौतेले भाई का बेटा। फिर हक़ीक़ी चचा फिर सौतेला चचा। फिर हक़ीक़ी चच का बेटा फिर सौतेला चचा का बेटा। फिर बाप का हक़ीक़ी चचा फिर सौतेले चचा फिर बाप के हक़ीक़ी चचा का बेटा फिर सौतेले चचा का बेटा। खुलासा यह कि उस खानदान में सब से ज़्यादा क़रीब का रिश्तेदार जो मर्द हो वही वली होगा। और अगर यह सब न हों तो मां वली हैं। फिर दादी फिर नानी फिर बेटी फिर पोती वग़ैरा फिर नाना।



## निकाह पढ़ने का तरीक़ा

सवाल:- निकाह पढ़ने का तरीक़ा क्या है।

जवाब:- निकाह पढ़ने का बेहतर तरीका यह है कि दुल्हन अगर बालिग हो तो निकाह पढ़ने वाला दुल्हन से वर्ना उसके वली से इजाज़त लेकर मज्लिसे निकाह में आये। दूल्हा को पांचो कलिमे या कलिमये तय्यिबा और ईमाने मुजमल व मुफ़स्सल पढ़ाये फिर खड़े होकर खुतबये निकाह पढ़े और बैठ कर पढ़ना भी जाइज़ है। फिर दूल्हा की तरफ़ मुखातिब हो कर यूं कहे कि मैंने बहैसियत वकील फुलां बिन्ते फुलां (जैसे हिन्दा बिन्ते

ज़ैद) को इतने महर के बदले आपके निकाह में दिया क्या आपे ने क़ुबूल किया। जब दूल्हा कबूल कर ले तो निकाह पढ़ने वाला दूल्हा दुल्हन के दरमियान उल्फ़त व महब्ब्त की दुआ करे।

# तलाक़ का बयान

सवाल:- तलाक़ किसे कहते हैं।

जवाब:- औरत निकाह से शौहर की पाबन्द हो जाती है उस पाबन्दी के उठा देने को तलाक़ कहते हैं।

सवाल:- तलाक़ देना कैसा है।

जवाब:- तलाक़ देना जाइज़ है लेकिन बग़ैर वजहे शरयी मना है। और वजहे शरयी हो तो तलाक़ देना मुबाह है बल्कि अगर औरत शौहर को या दूसरों को तकलीफ़ देती हो या नमाज़ न पढ़ती हो तो तलाक़ देना मुसतहब है। और अगर शौहर नामर्द हो या उस पर किसी ने जादू कर दिया हो कि हमबिस्तरी (सम्भोग) नहीं कर पाता और उसके दूर करने की भी कोई सूरत नज़र नहीं आती तो इन सूरतों में तलाक़ देना वाजिब है। अगर तलाक़ नहीं दी तो गुनाहगार होगा। (दुर्रेमुख़तार, बहारे शरीअ़त)

सवाल:- तलाक़ देने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है।

जवाब:- तलाक़ देने का बेहतरीन तरीक़ा यह है कि जिस तुहर में हमबिस्तरी (सम्भोग) न की हो उसमें एक तलाक रजयी दे

और औरत के क़रीब न जाए यहां तक कि इद्दत गुज़र जाए। और एक तलाक़े बाइन दे तो भी जाइज़ है और अगर औरत मदख़ूला हो यानी शौहर उससे हमबिस्तरी (सम्भोग) कर चुका हो तो तीन तलाक़ न दे कि इस सूरत में बग़ैर हलाला दोबारा निकाह न होगा। और अगर शौहर ने उससे हमबिसतरी नहीं की है तो इन लफ़्ज़ों के साथ तलाक़ न दे कि मैंने उसे तीन तलाक़ दी या तलाक़े मुग़ल्ल्ज़ा दी कि इस सूरत में वह भी बग़ैर हलाला तलाक़ देने वाले के लिए हलाल न होगी।

## इद्दत का बयान

सवाल:- इद्दत कितने दिन की होती है।

जवाब:- बेवह (विधवा) औरत अगर हामिला हो तो उसकी इद्दत बच्चा पैदा होना है और अगर हामिला न हो तो उसकी इद्दत चार महीने दस दिन है। और तलाक़ वाली औरत अगर हामिला हो तो उसकी इद्दत भी बच्चा जनना है। और तलाक़ वाली औरत अगर आइसा यानी पचपन साला या नाबालिग हो तो उसकी इद्दत तीन माह है। और तलाक़ वाली औरत अगर हामिला, नाबालिग़ या पचपन साला न हो यानी हैज़ वाली हो तो उसकी इद्दत तीन हैज़ है। चाहे यह तीन हैज़ तीन माह या तीन साल या उससे ज़्यादा में आये।

नोट:- (1) तलाक़ वाली ग़ैर मदख़ूला औरत यानी जिससे

शौहर ने हमबिसतरी नहीं की है उसके लिए कोई इद्दत नहीं (2) अवाम में जो मशहूर है कि तलाक़ वाली औरत की इद्दत तीन महीने तेरह दिन है तो यह बिल्कुल ग़लत और बे बुनियाद है। जिसकी शरीअत में कोई अस्ल नहीं।

# खाने का बयान

सवाल:- खाना खाने से पहले और बाद में दोनों हाथ गट्टों तक धोए। सिर्फ़ एक हाथ या सिर्फ़ उंगलियां न धोए कि सुन्नत अदा न होगी। खाने से पहले हाथ धोकर पोंछना मना है और खाने के बाद हाथ धोकर पोंछ ले कि खाने का असर बाक़ी न रहे बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाना शुरू करें अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाये तो जब याद आये यह दुआ पढ़े। "बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आखिरिही" रोटी पर कोई चीज़ न रखी जाए और हाथ रोटी से न पोंछें। नंगे सर खाना अदब के खिलाफ़ है। खाना दाहिने हाथ से खायें बायें हाथ से खाना शैतान का काम है। खाने के वक़्त बायां पांव बिछा दें और दाहिना खड़ा रखें या सुरीन (पुट्ठा) पर बैठे और दोनों घुटने खड़े रखे। खाने के वक़्त बातें करता रहे। बिल्कुल चुपचाप रहना मजूसियों का तरीक़ा है मगर बुरी बातें न बके बल्कि अच्छी बातें करें। खाने के बाद उंगलियां चाट ले और बर्तन को भी उंगलियों से पोंछ कर चाट ले। खाने की शुरूआत नमक से की जाए और खत्म

भी उसी पर करे कि उस से बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। खाने के बाद यह दुआ पढ़े।

अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अत अम ना व सक़ाना व कफ़ाना व ज अ लना मिनल मुस्लिमीन।

# पीने का बयान

पानी बिस्मिल्लाह पढ़ कर दाहिने हाथ से पीये। बायें हाथ से पीना शैतान का काम है और तीन सांस में पीये हर मर्तबा बर्तन को मुंह से हटा कर सांस ले। पहली और दूसरी मर्तबा एक एक घूंट पिये और तीसरी सांस में जितना चाहे पी डाले खड़े होकर पानी हरगिज़ न पीये। हदीस शरीफ़ में है कि जो शख़्स भूलकर ऐसा कर डाले वह क़ै कर दे और पानी को चूस कर पीये ग़ट ग़ट ग़ट बड़े घूंट न पीये जब पी चुके तो अलहम्दु लिल्लाह कहे। पीने के बाद गिलास वग़ैरा का बचा हुआ पानी फेंकना इसराफ़ व गुनाह है। सुराही में मुंह लगाकर पानी पीना मना है इसी तर लोटे की टोंटी से भी पानी पीना मना है मगर जब कि देख लिया हो कि उनमें कोई चीज़ नहीं है तो हर्ज नहीं।

# लिबास (पहनावा) का बयान

इतना लिबास ज़रूर पहनें कि जिसे से सत्रे औरत हो जाये। औरतें बहुत बारीक और चुस्त कपड़ा हरगिज़ न पहनें कि जिससे

बदन के हिस्से ज़ाहिर हों कि औरतों को ऐसा कपड़ा पहनना हराम है और मर्द भी पाजामा या तहबन्द इतना हल्का न पहनें कि जिस से बदन की रंगत झलके और सतर (छुपाव) न हो कि मर्दों को भी ऐसा पाजामा व तहबन्द पहनना हराम है। और धोती न पहनें कि धोती पहनना हिन्दुओं का तरीक़ा है और उससे सतर भी नहीं होता कि चलने में रान का पिछला हिस्सा खुल जाता है। मुसलमानों को इस से बचना ज़रूरी है। और नैकर जांघिया हरगिज़ न पहनें कि हराम है। लेकिन तहबन्द वग़ैरा के नीचे पहनें तो कोई हर्ज नहीं।

# ज़ीनत (सिंगार) का बयान

मर्दों को सोने की अंगूठी पहनना हराम है और चांदी की सिर्फ़ एक अंगूठी एक नग वाली जो वज़न में साढ़े चार माशा से कम हो पहन सकते हैं। और कई अंगूठी या एक अंगूठी या कई नग वाली या छल्ले नहीं पहन सकते कि नाजाइज़ है और औरतें सोना चांदी की हर क़िस्म की अंगूठियां और छल्ले पहन सकती हैं लेकिन दूसरी धातों की अंगूठियां जैसे तांबा, पीतल, लोहा और जस्ता वग़ैरा तो यह मर्द व औरत दोनों के लिए नाजाइज़ हैं। लड़कियों को सोने चांदी के ज़ेवर पहनाना जाइज़ है। लड़कों को हराम है पहनाने वाले गुनाहगार होंगे। इसी तरह लड़कियों के हाथ पांव में मेंहदी लगाना जाइज़ है और लड़कों के हाथ

पांव में ज़ीनत के लिए मेंहदी लगाना नाजाइज़ है।

# सोने का बयान

मुसतहब यह है कि बावज़ू सोये और कुछ देर दाहिनी करवट पर दाहिने हाथ को रुख़सार (गाल) के नीचे रख कर क़िबला की तरफ़ मुंह करके सोये फिर उसके बाद बायें करवट पर। पेट के बल न लेटे हदीस शरीफ़ में है कि इस तरह लेटने को अल्लाहतआला पसन्द नहीं फ़रमाता। और पांव पर पांव रखना मना है जब कि चित लेटा हो और यह उस सूरत में है जबकि तहबन्द पहने हो और एक पांव खड़ा हो कि इस तरह बेसत्री (बेपरदगी) का अंदेशा (ख़तरा) है। और ऐसी छत पर सोना मना है कि जिस पर गिरने से कोई रोक न हो और लड़का जब दस साल का हो जाए तो अपनी मां या बहन वग़ैरा के साथ न सुलाया जाए। बल्कि इस उम्र का लड़का इतने बड़े लड़कों या मर्दों के साथ भी न सोये। और दिन के शुरू हिस्सा में सोना या मग़रिब व इशा के दरमियान सोना मकरूह है। और हमारे मुल्क (देश) में उत्तर जानिब पांव फैला कर सोना बिला शुबहा जाइज़ है। उसे नाजाइज़ समझना गलती है। और जब सो कर उठे तो यह दुआ पढ़े।

"अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमा त ना व इलैहिन्नुशूर"

# फ़ातिहा का आसान तरीक़ा

पहले तीन या पांच या सात बार दुरूद शरीफ़ पढ़े फिर कम से कम चारों कुल, सूरए फ़ातिहा और अलिफ़ लाम्मीम से मुफ़लिहू न तक पढ़े फिर आखिर में तीन या पांच या सात बार दुरूद शरीफ़ पढ़े और बारगाहे इलाही में हाथ उठा कर यूं दुआ करे या अल्लाह हमने जो कुछ दुरूद शरीफ़ पढ़ा है और कुरआन मजीद की आयतें तिलावत की हैं उनका सवाब (अगर खाना या शीरीनी हो तो इतना और कहे कि इस खाना और शीरीनी का सवाब) मेरी तरफ़ से हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नज़्र पहुंचा दे फिर उनके वसीले से तमाम अंबियायेकिराम अलैहिमुस्सलाम व सहाबा और तमाम औलिया व उलमा को अता फ़रमा (फिर अगर किसी खास बुजुर्ग को सवाब पहुंचाना हो तो उनका नाम खुसूसियत से ले जैसे यूं कहे कि) खुसूसन हज़रते ग़ौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अनहु या ख्वाजये अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अनहु को नज़्र पहुंचा दे और फिर तमाम मूमिनीन व मूमिनात की अरवाह को सवाब अता फ़रमा। और किसी आम आदमी को सवाब पहुंचाना हो तो उसका ज़िक्र खुसूसियत से करे। जैसे यूं कहे कि खूसूसन हमारे वालिद, वालिदा या दादा, दादी या नाना नानी की रूह को सवाब पहुंचा दे और तमाम मोमिनीन व मोमिनात की रूहों को सवाब पहुंचा दे आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमति क या अरहमर राहिमीन।

# इस्लामी कलिमे

(1) अव्वल कलिमये तैइब

ला इलाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह।

(2) दूसरा कलिमये शहादत

अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अश् हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह।

(3) तीसरा कलिमये तमजीद

सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व लाइला ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौ ल वला कु व त इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम।



(4) चौथा कलिमये तौहीद

लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्दहु ला शरी क लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह् यी व युमीतु व हु व हय्युल्लायमूतु बि यदि हिल खैरु व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर।

(5)पांचवा कलिमये रद्दे कुफ़्

अल्लाहुम्म इन्नी अऊजु बिक मिन अन उशरिक बि क शै औं वअना अअलमु बिही व असत्तगफ़िरु क लिमाला अअलमु बिही तुब्तु अनहु वत्तबर्रातु मिनल कुफ़रि वश शिर कि वल मआसी कुल्लिहा व अस्लम्तु व आमन्तु व अकूल् ला इलाह इल्लल्लाहुमुहम्मदुर्रसूलुल्लाह।

# ईमाने मुजमल

आमन्तु बिल्लाहि कमा हु व बि अस्माइहि व सिफ़ातिही व क़बिल्तु जमी अ अह कामिही।

# ईमाने मुफ़स्सल

आमन्तु बिल्लाहि व मलाइ क तिही व कुतु बिही व रुसुलिही वल योमिल आखिरि वल कद्‌रि खैरिही व शर्‌रिही मिनल्लाहि तआला वल बअ् सि बअ्दल मौत।

# दुरूद शरीफ़ और मुफीद दुआयें

(1) सल्लल्लाहु अलन्नबीयिल उम्मीयि व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातौं वसलामन अलय क या रसूलुल्लाह। इस दुरूद शरीफ़ को बाद नमाज़ जुमा दस्त बस्ता मदीना मुनव्वरह की तरफ़ मुतवज्जिह होकर सौ बार पढ़े दीन व दुनियां की बेशुमार नेमतों से सरफ़राज़ हो।

(2)पहले दाहिना क़दम रखकर मस्जिद में दाखिल हो और यह दुआ पढ़े। "अल्लाहुम्मफ़ तह़ ली अबवा ब रह् मतिक"

(3) पहले बांया क़दम मस्जिद से निकाले और यह दुआ पढ़े। "अल्लाहुम्म इन्नी असअलु क मिन फ़ज़लि क व रह्मतिक"

(4) चांद देख कर यह दुआ पढ़े।

"अल्लाहुम्म अहिल्लहु अलयना बिल अम ने वल ईमान

वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाहु या हिलाल।

(5) जब बुरा ख्वाब देखे और जग जाए तो तीन बार "अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शयता निर्रजीम" पढ़े और तीन बार बायें तरफ़ थूके फिर सोना चाहे तो करवट बदल कर सोये।

(6) जब आसमान से तारा टूटता हुआ देखे तो निगाह नीची कर ले और यह दुआ पढ़े "माशअल्लाहु लाहौ ल वला कूवत इल्ला बिल्लाह।

(7) अंधे, लंगड़े और कोढ़ी वग़ैरा किसी मुसीबत ज़दा को देखे तो यह दुआ पढ़े। मगर आशेबे चश्म (आंख उठना) जुकाम और खारिश के मरीज़ों को देख कर यह दुआ न पढ़ें कि इन बीमारियों से बदन की इसलाह होती है वह दुआ यह है।

"अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मबतला क बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़ ल क़ तफ़ज़ीला "

(8) जब सोना चाहें तो यह दुआ पढ़ें।

"अल्लाहुम्म बिइस्मिक अमूतु व अह् या" और दूसरे सभी अवराद से फ़ारिग़ होकर सूरये काफ़िरून पूरी पढ़े और खामोश सो जाए। उसके बाद अगर बात चीत की ज़रूरत पड़ जाए तो दोबारा फिर पूरी सूरह पढ़ ले।

(9) जब नींद से बेदार हो (जागे) यह दुआ पढ़े।

"अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अह् याना बअद मा अमातना व इलयहिन्नुशूर।"

(10) ज़हरीले जानवरों से हिफ़ाज़त की दुआ।

"अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन शर्रिमा ख़ ल क़ "

इस दुआ को जो सुबह के वक़्त पढ़ ले तमाम दिन ज़हरीले जानवरों से महफ़ूज़ रहेगा और जो शाम को पढ़ ले तो वह सुबह तक अमान में रहेगा।

(11) क़र्ज़ से सुबक्दोश (उत्तीर्ण) होने के लिए दुआ।

"अल्लाहुम्म इकफ़िनी बिहलालि क अन हरामि क व अग़निनी बिफ़ज़लि क अम्मन सि वा क" हर नमाज़ के बाद ग्याहर ग्यारह बार और सुबह व शाम सौ सौ बार रोज़ाना अव्वल व आख़िर दुरूद शरीफ़। इसी दुआ की निस्बत मौला अली करमल्लाहु तआला वजतहहुल करीम ने फ़रमाया कि अगर तुझ पर पहाड़ के बराबर भी क़र्ज़ होगा तू उसे अदा कर देगा

(12) बरकते रिज़्क़ के लिए अमल।

"सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह" रोज़ाना तुलूये सुबह के साथ ही सौ बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ़ के साथ पढ़ा करें। बेहतर यही है कि नमाज़े फ़ज्र से पहले पढ़े। वर्ना अगर जमाअत काइम हो जाए तो बादे नमाज़ बहर सूरत सूर्य निकलने से पहले पढ़ ले।

(13)बाज़ार में दाख़िल हो तो यह दुआ पढ़े।

"ला इलाह इल्लल्लाहु वह् दहू ला शरीक लहू लहुल्मुल्कु व लहुल्हम्दु युह् यी व युमीतू व हु व हैय्युल्ला यमूतु बियदिहिल ख़ैर व हु व अला कुल्लि शैइन क़दीर।

(14)नया लिबास (वस्त्र) पहने तो यह दुआ पढ़े अल्हम्दु लिल्लाहिल्लजी कसानी मा उवारी बिही औरती व अ त जम्मलु बिही फी हयाती।

(15) आईना देख कर पढ़े

"अल्हम्दु लिल्लाहि अल्लाहुम्म कमा हस्सन त खल की फ़हस्सिन खुलकी"

(16) जब किसी को रुख़सत करे तो यह दुआ पढ़े

"अस्तौ दि उल्लाह दी न क व अमा न त क व खवाती म अ म लि क"

सफ़र में जाते वक़्त अहबाब व अइज़्ज़ा से रुख़सत होते वक़्त कहे

"अस्तौदि उ कुमुल्ला हल्लजी ला युजीउ व दाइअह"

(17) वक़्ते सफ़र यह दुआ पढ़े

अल्लाहुम्म बि क असूलु व बि क अहूलु व बि क असीरु"

जब सफ़र पर रवाना हो जाये तो यह दुआ पढ़े।

"अल्लहुम्म इन्न नस्अलु क फ़ी स फ़ रिना हाजल बिर्र वत्तक़्वा व मिनल अ़ म लि मा तिरज़ा"



फिर यह दुआ पढ़े अल्लाहुम्म हव्विन अ़लयना हाजस्स फ़ र वत्त विअ़न्ना बुअ़्दहू अल्लाहुम्म अन्तस्‍ साहि़ बु फ़िस्सफ़रि वल खलीफतु फिल अहलि अल्लाहुम्म इन्नी अऊजु बि क मिंव व असाइस्स फ़ रि व कआ बतिल मन जरि व सूइल मुन क ल बि फ़िल मालि वल अह्लि वल व ल दि"

(18) सफ़र से वापसी पर यह दुआ पढ़े।

"आइबू न ताइबू न आबिदू न लिरब्बिना हामिदू न"

(19)शहर में दाख़िल होते वक़्त पढ़े

"अल्लाहुम्म बारिक लना फ़ीहा" तीन बार "अल्लाहुम्मरजुक्ना जनाहा व ह ब्बिना इला अहलिहा व ह ब्बिव सालिही अहलिहा

इलयना"

(20) जब मंज़िल पर पहुंचे यह दुआ पढ़े।

"रब्बि अनज़िलनी मुनज़लम्मुबारकन व अन त खयरुल्मुनज़िलीन"

(21) आंधी और अंधेरे के वक़्त की दुआ।

"अल्लाहुम्म इन्ना नस्अलु क मिन खयरि हाजिहिर्‌रीहि व खयरि मा फ़ीहा व खयरी मा उमिरत बिहिव नऊज़ुबिक मिन शर्‌रिहाजिहिर्‌रीहि व शर्‌रिमा फ़ीहा व शर्‌रीमा उमिरतबिहि"

समाप्त

बिऔनिही तआला सुम्न बिऔनिरसू लिहिल अअला जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।

سُوْرَةُ الفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ
يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۵ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ | وَهِيَ سِتُّ اٰيَاتٍ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ اِلٰهِ النَّاسِ ○
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۵ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ
فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○

سُوْرَةُ الفَلَقِ مَكِّيَّةٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | وَهِيَ خَمْسُ اٰيَاتٍ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَ

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | وَهِيَ اَرْبَعُ اٰيَاتٍ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | وَهِيَ خَمْسُ اٰيَاتٍ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | وَهِيَ ثَلٰثُ اٰيَاتٍ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ

ع ٥/٤ ع ٤/٤ ع ٥/٥

بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۟ ع

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۟ | وَهِيَ سِتُّ اٰيَاتٍ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۟ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۟ۙ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۟ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۟ۙ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۟ؕ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۟ ع

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ قِيْلَ مَدَنِيَّةٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۟ | وَهِيَ ثَلٰثُ اٰيٰتٍ

اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۟ؕ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۟ؕ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۟ ع

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۟ | وَهِيَ سَبْعُ اٰيَاتٍ

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۟ؕ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۟ۙ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۟ؕ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۟ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ

ع ۲ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ع ۳
ع ۴

ساهون ۝ الذين هم يراءون ۝ ويمنعون الماعون ۝

| سورة القريش مكية | بسم الله الرحمن الرحيم | وهي اربع ايات |
|---|---|---|

لإيلف قريش ۝ إلفهم رحلة الشتاء والصيف ۝

فليعبدوا رب هذا البيت ۝ الذي اطعمهم

من جوع ۥ وامنهم من خوف ۝

| سورة الفيل مكية | بسم الله الرحمن الرحيم | وهي خمس ايات |
|---|---|---|

الم تر كيف فعل ربك باصحب الفيل ۝ الم

يجعل كيدهم في تضليل ۝ وارسل عليهم

طيرا ابابيل ۝ ترميهم بحجارة من سجيل ۝

فجعلهم كعصف مأكول ۝